दृष्टि The Vision

मेन्स आंसर राइटिंग

संग्रह

मई 2025

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर–1 3

- इतिहास 3
- भूगोल 5
- भारतीय कला और संस्कृति 8
- भारतीय समाज 10

सामान्य अध्ययन पेपर–2 15

- राजनीति और शासन 15
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 17
- सामाजिक न्याय 23

सामान्य अध्ययन पेपर–3 27

- अर्थव्यवस्था 27
- आंतरिक सुरक्षा 30
- जैव विविधता और संरक्षण 31
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 34
- आपदा प्रबंधन 36

सामान्य अध्ययन पेपर–4 39

- केस स्टडी 39
- सैद्धांतिक प्रश्न 50

निबंध 62

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : भक्ति साहित्य ने भारतीय संस्कृति को विकसित करने में किस प्रकार योगदान दिया तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसकी अभिव्यक्ति की प्रकृति क्या थी? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भक्ति आंदोलन और उसकी साहित्यिक परंपरा का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
- इसकी प्रकृति पर बल देते हुए भारतीय संस्कृति, भाषा, सामाजिक सुधार, कला रूपों और धार्मिक सद्भाव पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भक्ति आंदोलन, जो दक्षिण भारत में (7वीं-12वीं शताब्दी के दौरान) विकसित हुआ और बाद में पूरे उपमहाद्वीप में इसका विस्तार हुआ, ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बदलाव को जन्म दिया, जिसमें कर्मकांड की तुलना में व्यक्तिगत भक्ति पर अधिक बल दिया गया। भक्ति साहित्य ने भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया, भक्ति के माध्यम से क्षेत्रों को एकजुट किया और स्थानीय परंपराओं को विविध रूपों में दर्शाया।

भक्ति साहित्य ने भारतीय संस्कृति को आकार दिया:

- स्थानीय भाषाएँ और साहित्य: भक्ति रस के कवियों ने संस्कृत के अभिजात्यवाद को चुनौती देने के लिये तमिल (अलवर), मराठी (तुकाराम), हिंदी (तुलसीदास), कन्नड़ (बसवन्ना) और असमिया (शंकरदेव) जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को चुना।
- इससे न केवल धार्मिक विमर्श का लोकतंत्रीकरण हुआ, बल्कि क्षेत्रीय साहित्यिक सिद्धांतों और भविष्य के राष्ट्रवादी स्थानीय भाषा आंदोलनों की नींव भी रखी गई।
- सांस्कृतिक अंतरंगता: दोहा (कबीर), अभंग (तुकाराम), कीर्तन (चैतन्य महाप्रभु) और पद (मीराबाई) जैसे भक्ति संगीत रूपों को जन्म दिया, जो मौखिक परंपराओं, लोक मुहावरों एवं स्थानीय संगीत शैलियों के साथ प्रतिध्वनित हुए।
- कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत (कर्नाटक में त्यागराज) जैसे शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत परंपराओं से प्रेरित हुए।
- सामाजिक रूढ़िवादिता का उन्मूलन: जीवंत उदाहरणों और शिक्षाओं के माध्यम से, रविदास (जाति से दलित) जैसे भक्ति संतों ने जातिगत कठोरता को चुनौती दी।
  - उनकी रचनाएँ केवल असमानता की निंदा नहीं थीं, बल्कि उन्होंने यह स्थापित किया कि सच्चा धार्मिक या आध्यात्मिक अधिकार जाति या वंश से नहीं, बल्कि 'भाव' यानी भक्ति से उत्पन्न होता है।
  - अक्कमहादेवी और मीराबाई जैसी महिला संतों ने पुरुष-प्रधान सामाजिक नियमों (पितृसत्तात्मक मानदंडों) से परे जाकर अपनी भक्ति को व्यक्त किया।
- अंतर-धार्मिक संवाद और बहुलवाद: कबीर की निर्गुण भक्ति ने मूर्ति पूजा और अनुष्ठानों को अस्वीकार कर दिया, जबकि इस्लामी एकेश्वरवाद को प्रतिध्वनित किया।
- फिर भी किसी भी परंपरा को पूरी तरह अपनाए बिना, उन्होंने एक संश्लेषित आध्यात्मिक शब्दावली गढ़ी, जो बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण के बीच हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से संगत थी।
- सूफी परंपराओं के साथ साझा मूल्य, सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया गया।

विभिन्न क्षेत्रों में भक्ति अभिव्यक्ति की प्रकृति:

क्षेत्र	प्रमुख विशेषताएँ
दक्षिण भारत	प्रारंभिक उत्पत्ति (6वीं-9वीं शताब्दी), विष्णु और शिव की भक्ति की प्रधानता
महाराष्ट्र	वारकरी परंपरा, विट्ठल पूजा, अभंगों (भक्ति कविता) के प्रयोग पर केंद्रित है।
उत्तर भारत	निर्गुण (निराकार) और सगुण (आकृति सहित) परंपराएँ, राम और कृष्ण भक्ति पर बल।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

कर्नाटक	लिंगायत/वीरशैव आंदोलन, जातिवाद और कर्मकांड की सख्त अस्वीकृति।
बंगाल और ओडिशा	कृष्ण के प्रति भाव-भक्ति पर बल देने से स्थानीय वैष्णव धर्म प्रभावित हुआ।

निष्कर्ष:

भक्ति साहित्य ने भारतीय संस्कृति को गहराई से आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है— जहाँ आध्यात्मिकता, सामाजिक जीवन के साथ एकीकृत हुई, कला का संबंध साहित्य से जुड़ा और व्यक्ति की अनुभूति सामूहिक चेतना में समाहित हुई। इसकी क्षेत्रीय विविधता ने एक अधिक समावेशी और मानवीय भारतीय समाज की नींव रखी, जिसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।

प्रश्न : भारत की कृषि अर्थव्यवस्था और भूमि स्वामित्व के पैटर्न पर औपनिवेशिक भू-राजस्व समझौतों के प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- तीन प्रमुख औपनिवेशिक भूमि राजस्व बंदोबस्त (स्थायी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी) का परिचय दीजिये।
- कृषि अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव की व्याख्या कीजिये तथा भूमि स्वामित्व पैटर्न में परिवर्तन जैसे कि ज़मींदारों का उदय आदि पर भी चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

ब्रिटिश शासन द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी बंदोबस्त भू-राजस्व व्यवस्थाएँ केवल कर वसूली की प्रणालियाँ नहीं थीं, बल्कि उन्होंने भारत की पारंपरिक कृषि संरचना को मूलत: परिवर्तित कर दिया। इन व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश राजस्व को अधिकतम करना था, किंतु इसके परिणामस्वरूप पारंपरिक भूमि स्वामित्व प्रणाली छिन्न-भिन्न हो गई और भारतीय कृषि पर दीर्घकालिक सामाजिक व आर्थिक प्रभाव पड़े।

मुख्य भाग:

प्रणाली	क्षेत्र	प्रमुख विशेषताएँ
स्थायी बंदोबस्त (1793)	बंगाल, बिहार, ओडिशा	निश्चित राजस्व, ज़मींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता; वंशानुगत अधिकार; ज़मींदारी प्रथा।
रैयतवाड़ी बंदोबस्त (19वीं सदी के प्रारंभ में)	मद्रास, बम्बई, असम, पंजाब के कुछ हिस्से	कृषकों (रैयतों) के साथ प्रत्यक्ष समझौता, राजस्व समय-समय पर तय किया जाता था।
महालवाड़ी बंदोबस्त (वर्ष 1822 से आगे)	उत्तर-पश्चिमी प्रांत, पंजाब, मध्य भारत के कुछ भाग।	इकाई के रूप में गाँव या 'महाल'; राजस्व का सामूहिक रूप से आकलन; संयुक्त जिम्मेदारी।

कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- **राजस्व प्रथम दृष्टिकोण:** अंग्रेज़ों ने कृषक कल्याण की अपेक्षा निश्चित राजस्व को प्राथमिकता दी तथा भूमि को मुख्यत: राजकोषीय संसाधन माना।
  - स्थायी बंदोबस्त ने फसल के उतार-चढ़ाव को नजरअंदाज़ करते हुए भूमि राजस्व को निश्चित कर दिया, जिसके कारण लगान में वृद्धि हुई, कृषि संकट उत्पन्न हुआ, ज़मींदार गायब हो गए और भूमि सुधार के लिये बहुत कम प्रोत्साहन मिला।
  - इसके अलावा, भूमि स्वामित्व की सुरक्षा की कमी ने किसानों को बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने से हतोत्साहित किया।
- **किसान ऋणग्रस्तता:** रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, किसानों से प्रत्यक्ष कर संग्रह में उच्च और अनम्य मांगें शामिल थीं।
- इससे कई लोग कर्ज में डूब गए, जिससे उनकी भूमि छिन गई, साहूकारों पर उनकी निर्भरता बढ़ गई और उनकी ज़मीनें बिखर गईं।
- **खाद्य असुरक्षा और कृषि व्यावसायीकरण:** इन बंदोबस्तों ने खाद्यान्न की तुलना में नकदी फसल (जैसे: नील, कपास,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

अफीम) की कृषि को बढ़ावा दिया, जिससे खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुँचा।

- इसके अतिरिक्त, महालवाड़ी बंदोबस्त ने ग्राम समुदायों पर राजस्व का आकलन किया और गाँव के अभिजात वर्ग के हाथों में सत्ता केंद्रित की, जिससे साधारण कृषक हाशिये पर चले गए।

भूमि स्वामित्व पैटर्न में परिवर्तन:

- **ज़मींदारों का नया वर्ग:** स्थायी बंदोबस्त ने ज़मींदारों को भूमि के मालिक और कर संग्रहकर्त्ता के रूप में स्थापित कर दिया। इसने एक भू-स्वामी अभिजात वर्ग का निर्माण किया, जो प्राय: अनुपस्थित ज़मींदार होते थे, जिन्हें अधिकतम किराया वसूलने के लिये प्रोत्साहित किया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप एक सामंती कृषि संरचना का निर्माण हुआ।
- **प्रथागत अधिकारों का ह्रास:** पारंपरिक गाँव के सामुदायिक स्वामित्व और वंशानुगत भूमि अधिकारों को कमज़ोर किया गया। बंदोबस्तों ने निजी स्वामित्व को वैध बनाया, जिससे भूमि की बिक्री और हस्तांतरण में आसानी हुई, जो प्राय: छोटे किसानों और जनजातीय समुदायों के लिये नुकसानदेह था।
- **काश्तकारी और बटाईदारी में वृद्धि:** कई कृषक दमनकारी शर्तों के तहत काश्तकार या बटाईदार बन गए, जिससे ग्रामीण असमानता और काश्तकारी की असुरक्षा बढ़ गई।
  - अंतत:, गैर-कृषि ज़मींदार वर्ग का उदय और भूमिहीन काश्तकारों की बढ़ती जनसंख्या।
- **स्थायी प्रभाव:** इन बंदोबस्तों ने संरचनात्मक असमानताओं को जन्म दिया, ग्रामीण भारत में वर्ग विभाजन उत्पन्न किया और कृषि संबंधी अशांति को बढ़ावा दिया, जिसमें संथाल विद्रोह और दक्कन दंगे जैसे किसान विद्रोह शामिल थे।
  - कृषि संकट के कारण अकाल की स्थिति और भी गंभीर हो गई, जैसा कि वर्ष 1943 के बंगाल अकाल के दौरान देखा गया, जहाँ कठोर राजस्व मांगों ने भेद्यता को और भी बदतर बना दिया।

निष्कर्ष:

औपनिवेशिक भूमि राजस्व समझौतों ने भूमि स्वामित्व को ज़मींदारों के प्रभुत्व की ओर पुनर्गठित किया, पारंपरिक सांप्रदायिक प्रणालियों को विस्थापित किया, जिससे दीर्घकालिक कृषि संकट और सामाजिक स्तरीकरण के बीज बोये गये।

भूगोल

प्रश्न : विश्लेषण कीजिये कि किस प्रकार क्षोभमंडल की विशेषताएँ इसे मौसम 654q1 संबंधी घटनाओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंडल बनाती हैं। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- क्षोभमंडल की संक्षिप्त परिभाषा और इसके ऊर्ध्वाधर विस्तार के साथ अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये, इसकी संरचनात्मक और संरचनागत विशेषताओं की व्याख्या कीजिये।
- इस बात पर प्रकाश डालिये कि ये विशेषताएँ मेघ निर्माण और वर्षण जैसी मौसमी प्रक्रियाओं को किस प्रकार सुगम बनाती हैं।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

क्षोभमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 18 किलोमीटर की ऊँचाई तक फैली होती है। इसकी ऊँचाई अक्षांश और ऋतु के अनुसार भिन्न होती है—विषुवतीय क्षेत्रों में यह अधिक ऊँचा (लगभग 18 किमी.) तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में कम (लगभग 8 किमी.) होता है। इस मंडल में वायुमंडलीय द्रव्यमान का लगभग 75% और लगभग सभी जल वाष्प शामिल हैं, जो इसे मेघ निर्माण, वर्षण एवं तूफान जैसी मौसम संबंधी घटनाओं के लिये प्राथमिक मंडल/क्षेत्र बनाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

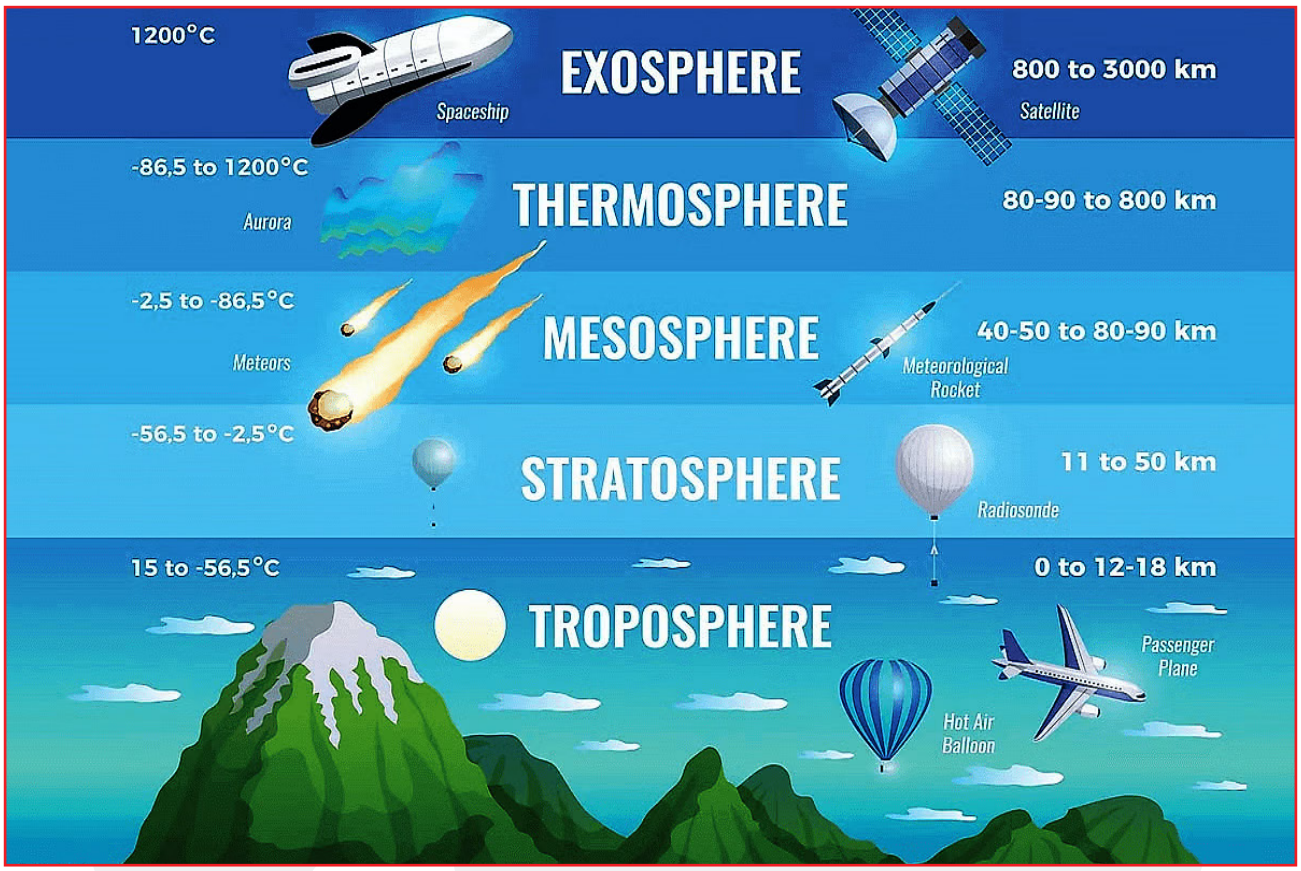

मुख्य भाग:

क्षोभमंडल: मौसम की घटनाओं से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ

- **तापमान प्रवणता और तापमान ह्रास दर:** क्षोभमंडल में ऊँचाई के साथ तापमान लगभग 6.5°C प्रति किमी की दर से घटता जाता है। इस कारण गर्म हवा ऊपर उठती है।
  - जैसे-जैसे यह ऊपर जाती है, वह ठंडी होती है और संघनित होकर मेघ का निर्माण करती है। यह संघनन ऊष्मा मुक्त करता है, जो और अधिक ऊपर की गति को प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया चक्रवात और तूफानों के विकास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
    - उदाहरण के लिये भारतीय मानसून वायुमण्डलीय दाब प्रवणता और क्षोभमण्डल के भीतर आर्द्रता परिवहन द्वारा संचालित होता है।
- **ग्रह-सीमांत स्तर:** क्षोभमंडल का सबसे निचला भाग 'ग्रह-सीमांत स्तर' कहलाता है, जो पृथ्वी की सतह से सीधे प्रभावित होता है। यहाँ वाष्पीकरण, घर्षण और भू-भागीय तापन जैसे कारक सक्रिय रहते हैं।
  - इस परत में अस्थिर और अशांत वायुप्रवाह पाया जाता है, जो स्थानीय पवन-प्रणालियों, प्रदूषण के फैलाव और सूक्ष्म-जलवायु विविधताओं को नियंत्रित करता है।
- **गैसों की संरचना:** क्षोभमंडल में लगभग संपूर्ण जलवाष्प पाया जाता है, जो जल चक्र (वर्षा, हिमवृष्टि, तुफान आदि) को संचालित करता है।
  - इसमें नाइट्रोजन (78%), ऑक्सीजन (21%) और कार्बन-डाइऑक्साइड व मीथेन जैसे अल्पांश गैसें होती हैं, जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित करके ग्रीनहाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

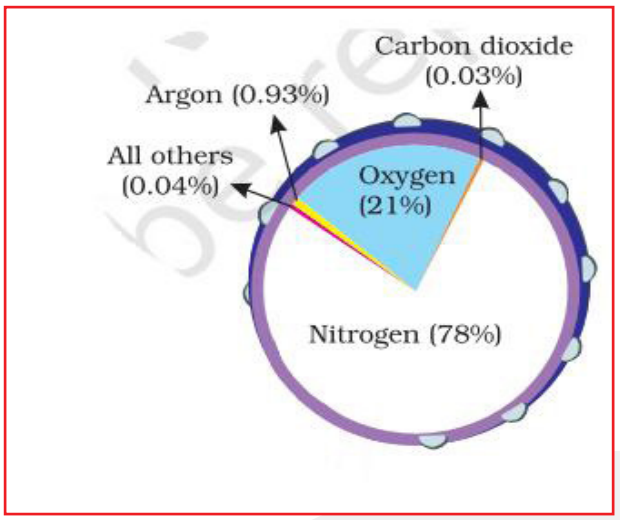

- **मेघ और तूफान का निर्माण:** पक्षाभ मेघ से लेकर कपासी वर्षा मेघ तक सभी प्रकार के बादल क्षोभमंडल के भीतर बनते हैं। सभी प्रकार के बादल — चाहे सिरस हों या घनघोर क्यूम्यूलोनिंबस — क्षोभमंडल में ही बनते हैं।
  - अस्थिरता, नमी और उर्ध्वाधर गति की उपस्थिति के कारण तूफान, बवंडर एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसी तीव्र मौसमी घटनाएँ इसी मंडल में उत्पन्न होती हैं।
- **एक अवरोधक के रूप में क्षोभसीमा:** क्षोभसीमा/ट्रोपोपॉज़ क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा को चिह्नित करती है और एक तापीय अवरोधक के रूप में कार्य करती है, जो इसके आगामी ऊर्ध्वाधर मिश्रण को रोकने का कार्य करती है। इससे मौसमी घटनाएँ केवल क्षोभमंडल तक ही सीमित रहती हैं।
  - यह नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि मौसम क्षोभमंडल तक ही सीमित रहे, जिससे यह एकमात्र ऐसी परत बन जाती है जहाँ ऐसी घटनाएँ प्रभावी रूप से होती हैं।

निष्कर्ष:

क्षोभमंडल की गतिशील और अस्थिर प्रकृति, उच्च आर्द्रता, तापीय प्रवणता एवं सक्रिय पवन-प्रणालियाँ इसे पृथ्वी पर सभी मौसमीय घटनाओं का केंद्र बनाती हैं। इसके व्यवहार को समझना कृषि योजना, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के युग में अत्यंत आवश्यक है।

प्रश्न : पश्चिमी विक्षोभ भारत के शीतकालीन वर्षा पैटर्न के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, फिर भी उनकी परिवर्तनशीलता भारतीय कृषि के लिये अवसर और जोखिम दोनों उत्पन्न करती है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- पश्चिमी विक्षोभ को परिभाषित कीजिये तथा उत्तर-पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा प्रदान करने में उनके महत्त्व को बताइये।
- भारतीय कृषि के लिये इनके अवसरों पर चर्चा कीजिये तथा अल्प वर्षा से सूखे जैसी परिवर्तनशीलता के कारण होने वाले जोखिमों का भी विश्लेषण कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान हैं, जो पश्चिम एशिया व हिमालय क्षेत्र से होते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हैं और मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिमी भारत में सर्दियों की वर्षा लाते हैं। ये मौसम प्रणालियाँ भारत की सर्दियों की फ़सल पैटर्न और जल की उपलब्धता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

मुख्य भाग:

भारतीय कृषि के लिये अवसर:

- **शीतकालीन वर्षा का स्रोत:** यह भी ज्ञात है कि शीतकालीन आर्द्रभूमि पश्चिमी हिमालय में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 40%-50% योगदान देती है।
  - यह वर्षा रबी फसलों– गेहूँ, जौ और सरसों के लिये लाभदायक है, जो भारत की खाद्य सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **खाद्य सुरक्षा में सहायता:** रबी सीजन भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान देता है। पर्याप्त WD वर्षा से मृदा में नमी का पुनर्भरण सुनिश्चित होता है, जो बुवाई के लिये आवश्यक है और इन फसलों को महत्त्वपूर्ण विकास चरणों के माध्यम से बनाए रखता है।
- **भूजल पुनर्भरण:** भूजल स्रोतों से सर्दियों में होने वाली वर्षा उथले जलभृतों और भूजल का पुनर्भरण कर देती है, जो उत्तर-पश्चिम

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत के शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। चूँकि भूजल रबी की आधी से अधिक फसलों की सिंचाई करता है, इसलिये भूजल स्रोत अप्रत्यक्ष रूप से सिंचाई की जरूरतों को पूरा करते हैं।

- **जलवायु शीतलन और पाला शमन:** पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में कमी आती है और मेघ बनते हैं, जिससे हिमालय की तलहटी में पाला पड़ने का खतरा कम हो जाता है, जिससे संवेदनशील फसलों की सुरक्षा होती है।

परिवर्तनशीलता और संबद्ध जोखिम:

- **अनियमित घटना और सूखा:** शुष्क मौसम संबंधी घटनाएं अपनी आवृत्ति, समय और तीव्रता में परिवर्तनशीलता दिखाती हैं, जो अल नीनो, आर्कटिक दोलन और उत्तरी अटलांटिक दोलन जैसी बड़ी जलवायु घटनाओं से प्रेरित होती हैं, जिससे रबी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
  - पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा में कमी या विलंब से सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मृदा में नमी कम हो सकती है तथा बुवाई कम हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः फसल खराब हो सकती है तथा खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ सकती है।
- **बाढ़ और फसल क्षति:** इसके विपरीत, तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण अत्यधिक वर्षा या ओलावृष्टि हो सकती है, जिससे जलभराव, परिपक्व फसलों को नुकसान और कटाई में विलंब हो सकता है। भारी पश्चिमी विक्षोभ वर्षा के कारण पंजाब और हरियाणा में बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हो गई हैं।
- **पशुधन और कृषि पद्धतियों पर प्रभाव:** शीतकालीन वर्षा में परिवर्तनशीलता चारे की उपलब्धता और चारागाह की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, जिससे वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन उत्पादकता प्रभावित होती है।

निष्कर्ष:

बेहतर पूर्वानुमान, जल प्रबंधन, बीमा एवं लचीली कृषि पद्धतियों के माध्यम से प्रभावी अनुकूलन, भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिये पश्चिमी विक्षोभ से होने वाले लाभों को प्राप्त करने और इससे उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिये आवश्यक है।

भारतीय कला और संस्कृति

प्रश्न : नाट्य शास्त्र में निहित आध्यात्मिक और भावनात्मक सिद्धांतों ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों के विकास को किस प्रकार निर्देशित किया है, इसका परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- नाट्य शास्त्र, भारतीय प्रदर्शन कलाओं के संदर्भ में इसके महत्त्व तथा इसके मूल सिद्धांतों का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- *नाट्य शास्त्र* ने शास्त्रीय नृत्य के आध्यात्मिक और भावनात्मक आधार को किस प्रकार आकार दिया तथा क्षेत्रीय नृत्य शैलियों को प्रभावित किया, चर्चा कीजिये।
- उपर्युक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय: भरत मुनि द्वारा 200 ईसा पूर्व और 200 ईसवी के बीच रचित नाट्य ***शास्त्र*** भारतीय शास्त्रीय नृत्य का आधारभूत ग्रंथ है। इसमें आध्यात्मिक और भावनात्मक सिद्धांत दिये गए हैं जो शास्त्रीय नृत्य को एक अभिव्यंजक कला और आध्यात्मिक संवाद के माध्यम के रूप में आकार प्रदान करती हैं।

मुख्य भाग:

नाट्य शास्त्र में आध्यात्मिक सिद्धांत: नृत्य का आधार

- नाट्य ***शास्त्र*** नृत्य को भगवान ब्रह्मा द्वारा रचित एक दिव्य रचना मानता है, जिसमें आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये चार वेदों के तत्त्वों को सम्मिलित किया गया है।
- इसमें इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि नृत्य भक्ति और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का एक रूप है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस कला का निर्माण भगवान शिव ने नटराज के रूप में किया था।
  - इस प्रकार, नृत्य आध्यात्मिक जागृति और ईश्वर के साथ संवाद के लिये एक वाहन के रूप में कार्य करता है।
  - उदाहरण के लिये उत्तर भारत में विकसित कथक नृत्य पारंपरिक रूप से मंदिरों में भगवान कृष्ण की कहानी और भक्ति के रूप में किया जाता था, जो ईश्वर और मानव आत्मा के बीच शाश्वत नृत्य का प्रतीक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भावनात्मक सिद्धांत और रस: नृत्य के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना

- नाट्य ***शास्त्र में*** रस को भावनात्मक सार के रूप में परिभाषित किया गया है, जो नृत्य दर्शकों में जगाता है, जिसमें नौ प्रमुख रस हैं जैसे ***श्रृंगार*** (प्रेम), ***वीर*** (वीरता), और ***भयंकर*** (भय), आदि। इन्हें भावों के माध्यम से जीवंत किया जाता है, जो नर्तक द्वारा व्यक्त की गई भावनाएँ हैं।
  - इस ग्रंथ में आठ प्राथमिक भावों की पहचान की गई है, जैसे ***रति*** (प्रेम), ***शोक*** (दुःख), और ***उत्साह*** (ख़ुशी), जिन्हें चेहरे के भाव (*अंगिका*), हाथों के हाव-भाव (*हस्त*) और शरीर की मुद्रा (*स्थान*) के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जो शास्त्रीय नृत्य का अभिव्यंजक आधार बनाते हैं।
  - उदाहरण के लिये, कथक में ***घुंघरू*** और तेज़ ***चक्कर*** *का प्रयोग* आनंद और दिव्य प्रेम को दर्शाने (विशेष रूप से राधा-कृष्ण की कथाओं में) के लिये किया जाता है।
    - ओडिसी में, सुंदर ***त्रिभंगी*** मुद्रा भक्ति और सौंदर्य को व्यक्त करती है, जो अक्सर भगवान जगन्नाथ की स्तुति में की जाती है।

नृत्य शैली	नाट्य शास्त्र का प्रमुख प्रभाव	भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू
भरतनाट्यम (तमिलनाडु)	अभिव्यक्ति (अभिनय) और कथात्मक कहानी कहना।	मुद्राएँ और भाव श्रृंगार (रोमांस) और वीर (वीरता) जैसे रसों को व्यक्त करते हैं; भगवान शिव और अन्य देवताओं के प्रति भक्ति।
कथक (उत्तर भारत)	कथात्मक अभिव्यक्ति (अभिनय) और लय (ताल)।	श्रृंगार (प्रेम) और करुणा (दया) जैसी भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ; सूफी और भक्ति प्रभाव।
कुचिपुड़ी (आंध्र प्रदेश)	अभिनय को नृत्य के साथ एकीकृत करता है।	पौराणिक कथाओं को समर्पित प्रदर्शनों में आध्यात्मिकता और भक्ति पर ज़ोर दिया जाता है।
मणिपुरी	नाट्य शास्त्र के भक्ति विषयों में गहराई से निहित।	रासलीला और भक्ति कथाओं में सुंदर गतिविधियों और हाव-भाव के माध्यम से श्रृंगार (प्रेम) और अद्भुत (विस्मय) पर ध्यान केंद्रित करता है।

निष्कर्ष:

नृत्य के विकास के साथ, नाट्य शास्त्र के ये सिद्धांत इन कला रूपों का मूल सार बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सिद्धांत आधुनिक युग में इनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करते हैं, साथ ही इनकी प्राचीन आध्यात्मिकता एवं भावनात्मकता को सम्मान देते हैं।

प्रश्न : विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला दक्षिण भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- विजयनगर साम्राज्य और उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- विजयनगर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिये और बताइये कि दक्षिण भारतीय संस्कृति के व्यापक संदर्भ में यह किस तरह अलग है। साथ ही, इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व पर भी प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

संगम वंश के हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य (1336-1646 ई.) दक्कन की राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान दक्षिण भारत में एक सांस्कृतिक राजवंश के रूप में उभरा। अपनी स्थापत्य कला के लिये प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में कुछ उल्लेखनीय और विशिष्ट भवनों का निर्माण किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों का मिश्रण था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

विजयनगर: एक सांस्कृतिक केंद्र

- **स्थापत्य कला शैलियों का मिश्रण:** विजयनगर स्थापत्य कला ने दक्षिण भारतीय परंपराओं (चालुक्य, चोल, होयसल, पांड्या) को इंडो-इस्लामिक तत्त्वों के साथ अनोखे ढंग से मिश्रित किया, जो विशेष रूप से दरबारी संरचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। इस मिश्रण ने एक जीवंत वास्तुशिल्प पहचान बनाई।
- **मंदिर स्थापत्य कला:** हम्पी में विरुपाक्ष, हज़ारा राम और विट्ठल जैसे मंदिर अपने विशाल गोपुरम, जटिल नक्काशीदार ग्रेनाइट स्तंभों और अखंड मूर्तियों के लिये जाने जाते हैं। विट्ठल मंदिर अपने 56 संगीतमय स्तंभों के लिये जाना जाता है, जो अभियांत्रिकी की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं।
  - दरबारी और धर्मनिरपेक्ष स्थापत्य कला: लोटस महल, क्वीन्स बाथ और कमला महल जैसी शाही इमारतों में ग्रेनाइट एवं गारे का उपयोग किया गया था, जिसमें हिंदू व इस्लामी शैलियों को सजावटी मेहराबों एवं ज्यामितीय डिज़ाइनों के साथ जोड़ा गया था, जो साम्राज्य की भव्यता को दर्शाते हैं।
- **सामग्रियों का उपयोग:** जहाँ होयसलों ने अपने स्थापत्य में नरम शैल जैसे 'सोपस्टोन' का प्रयोग किया, वहीं विजयनगर स्थापत्य कला में कठोर एवं अधिक टिकाऊ 'ग्रेनाइट' का चयन किया गया, जिसने उनकी संरचनाओं की टिकाऊ गुणवत्ता में योगदान दिया।
  - सामग्री का यह चयन विशेष रूप से मंदिरों, शाही भवनों और किलों के निर्माण में ध्यान देने योग्य है।
- **इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन:** हम्पी शहर उन्नत शहरी नियोजन का एक उदाहरण है। शहर को चौड़ी सड़कों, भव्य प्रवेश द्वारों और सुनियोजित उद्यानों एवं सार्वजनिक स्थानों के साथ डिज़ाइन किया गया था।
  - क्लोराइटिक शिस्ट पत्थरों से निर्मित पुष्कर्णी या शाही जलकुंड, जटिल शिल्पकला का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो जल प्रबंधन में सौंदर्य और उपयोगिता का अद्वितीय समन्वय दर्शाते हैं।

विजयनगर स्थापत्य कला का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व

- **सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक:** विजयनगर स्थापत्य शैली हिंदू पहचान, कला और मंदिर उपासना की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति थी, जो उत्तर भारत में इस्लामी विस्तार के प्रति एक प्रतिक्रियात्मक उत्तर के रूप में उभरी।
- **धर्म, राजनीति और कला का एकीकरण:** मंदिर केवल उपासना के स्थल नहीं थे, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्ता के केंद्र थे, जो राजसत्ता को वैधता प्रदान करते थे तथा सामाजिक एकता को सुदृढ़ करते थे।
- **स्थायी विरासत:** इस युग में विकसित की गई स्थापत्य शैलियाँ दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु और कर्नाटक के मंदिरों की उत्तरोत्तर स्थापत्य परंपराओं पर गहरा प्रभाव डालती हैं।
  - हम्पी, जो उस समय की राजधानी थी, आज एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य एवं सांस्कृतिक विरासत की भव्यता को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करती है।

निष्कर्ष:

विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। यह विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों तथा सांस्कृतिक प्रभावों, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करती है। साम्राज्य की स्थापत्य उपलब्धियाँ आज भी अपनी अभियांत्रिकीय दक्षता, कलात्मक वैभव और सांस्कृतिक गौरव के लिये उत्कृष्ट मानी जाती हैं।

भारतीय समाज

प्रश्न : समकालीन भारतीय समाज में पारंपरिक सामाजिक मूल्यों की निरंतरता और परिवर्तन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय संदर्भ में पारंपरिक सामाजिक मूल्यों को परिभाषित कीजिये तथा भारतीय समाज में उनके महत्त्व को संक्षेप में रेखांकित कीजिये।
- उन प्रमुख सामाजिक मूल्यों का अभिनिर्धारण कीजिये जो समय के साथ कायम रहे हैं तथा समकालीन समाज में उनकी भूमिका की भी चर्चा कीजिये।
- विश्लेषण कीजिये कि विभिन्न आधुनिक प्रभावों के कारण ये पारंपरिक मूल्य किस प्रकार परिवर्तित हो गए हैं।
- निरंतरता और परिवर्तन की दोहरी प्रकृति का सारांश प्रस्तुत कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

भारतीय समाज विविध परंपराओं का मिश्रण है, जो मूल्यों और प्रथाओं की समृद्ध संरचना में गहराई से निहित है, जिसमें समय के साथ निरंतरता एवं परिवर्तन दोनों हुए हैं। यद्यपि कई पारंपरिक मानदंड कायम हैं, तथापि वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण जैसी आधुनिक शक्तियों ने सामाजिक प्रथाओं को नया रूप दिया है, जो इसकी विकसित प्रकृति को दर्शाता है।

मुख्य भाग:

पारंपरिक सामाजिक मूल्यों की निरंतरता:

- **वरिष्ठ जनों के प्रति सम्मान:** वरिष्ठ जनों के प्रति सम्मान एक प्रमुख सांस्कृतिक मूल्य बना हुआ है, संयुक्त परिवार प्रणाली अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों और यहाँ तक कि शहरी परिवारों में प्रचलित है।
- **परिवार-केंद्रित सामाजिक संरचना:** परिवार सामाजिक संगठन की प्राथमिक इकाई बना हुआ है।
  - विवाह और पारिवारिक दायित्वों को अभी भी बहुत महत्त्व दिया जाता है, विशेष तौर पर छोटे शहरों एवं ग्रामीण भारत में, अरेंज मैरिज प्रणाली बहुत हद तक बरकरार है। परंपरा में निहित यह प्रणाली अभी भी पारिवारिक बंधनों को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **जाति आधारित सामाजिक पदानुक्रम:** भारतीय संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के कानूनी उन्मूलन के बावजूद, जाति अभी भी भारतीय समाज में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - जातिगत पंचायतें और जातिगत पहचान आज भी दृढ़ बनी हुई है।
- **समुदाय और आतिथ्य:** आतिथ्य का मूल्य बरकरार है, प्रसिद्ध भारतीय कहावत, 'अतिथि देवो भव' (अतिथि भगवान है), अभी भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है।

पारंपरिक सामाजिक मूल्यों का परिवर्तन:

- **व्यक्तिवाद और उपभोक्तावाद:** सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक शहरी भारत में व्यक्तिवाद का बढ़ता प्रभाव है।
  - पाश्चात्य संस्कृति, शिक्षा और वैश्विक संपर्क जैसे आधुनिक प्रभावों ने संयुक्त परिवार प्रणाली को नष्ट कर दिया है, जिससे एकल परिवार संरचना को बढ़ावा मिला है।
    - इस बदलाव ने एकल अभिभावक परिवारों को जन्म दिया है, जहाँ घरों में आमतौर पर एकल रूप से अभिभावक और उनके बच्चे होते हैं, जो बदलते सामाजिक मूल्यों एवं जीवन शैली को दर्शाता है।
  - युवा पीढ़ी व्यक्तिगत कॅरियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अधिक इच्छुक है, जिसके कारण प्राथमिकताओं में बदलाव आ रहा है।
  - उपभोक्ता संस्कृति के उदय के कारण (विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में) व्यक्तिगत सफलता, धन संचय और स्टेटस सिंबल पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है ।
- **लैंगिक भूमिकाएँ:** परंपरागत लैंगिक भूमिकाएँ जो कठोर रूप से परिभाषित की गई थीं, धीरे-धीरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं। कार्यबल, शिक्षा और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  - उदाहरण के लिये पिछले सात वर्षों में महिला श्रम बल भागीदारी दर सत्र 2017-18 में 23.3% से बढ़कर सत्र 2023-24 में 41.7% हो गई है और भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़कर 14% (लोकसभा) हो गया है।
  - हालाँकि, लिंग-आधारित 'पिंक कॉलर' नौकरियों की अवधारणा, जो प्राय: कम वेतन वाली होती हैं और मुख्य रूप से महिलाओं से संबद्ध होती हैं (जैसे: नर्सिंग, शिक्षण और प्रशासनिक भूमिकाएँ), कायम है।
- **जाति व्यवस्था:** जाति व्यवस्था, हालाँकि अभी भी प्रभावशाली है, लेकिन इसमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, विशेष रूप से शिक्षा और आर्थिक गतिशीलता के प्रभाव से।
  - अंतर-जातीय विवाह अधिक आम हो गए हैं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, जिससे सख्त जातिगत पहचान धीरे-धीरे खत्म हो रही है।
    - अंतर-जातीय संघों में वृद्धि के बावजूद, जाति-आधारित पहचान कभी-कभी बनी रहती है तथा नए तरीकों से दृढ़ होती है, जैसे: राजनीतिक संबद्धता, जाति-आधारित आरक्षण या सामुदायिक संगठनों के माध्यम से।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया:** प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के उदय ने भारतीयों के संवाद, सामाजिक समन्वय और स्वयं को देखने के तरीके को बदल दिया है।
  - गोपनीयता, पहचान और अभिव्यक्ति से जुड़े मूल्य तेज़ी से विकसित हो रहे हैं, जिससे पीढ़ीगत संघर्ष हो रहे हैं, विशेष रूप से विवाह, लैंगिकता और लिंग आधारित पहचान जैसे मुद्दों के संबंध में।

निरंतरता और परिवर्तन में संतुलन:

- **कानूनी संरक्षण:** अनुच्छेद 15 के द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करके सशक्त बनाया गया है।
  - अनुच्छेद 21 ने LGBTQ+ अधिकारों की रक्षा की है , विशेष रूप से ***नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (वर्ष 2018)*** मामले में समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करने के माध्यम से।
- **सांस्कृतिक संश्लेषण:** भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से अपने मूल सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए विविध प्रभावों को समाहित करने में सफल रहा है।
  - पारंपरिक मूल्यों को वैश्विक परिप्रेक्ष्यों के साथ संयोजित करने की इस समावेशी प्रक्रिया ने एक विशिष्ट आधुनिक भारतीय पहचान का निर्माण किया है, जो विरासत एवं प्रगति दोनों को महत्त्व देती है।
- जंडियाला गुरु क्षेत्र में प्रचलित धातु शिल्प, ठठेरों का पारंपरिक शिल्प, आधुनिकीकरण के दबावों के बावजूद, पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ रहा है।

निष्कर्ष:

भारत की सांस्कृतिक विरासत और समानता व स्वतंत्रता के आधुनिक मूल्यों का साथ-साथ विकास होना चाहिये। निरंतरता और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाना एक समावेशी समाज के निर्माण की कुंजी है, जो 21वीं सदी में सभी नागरिकों के लिये सामाजिक एकता और प्रगति सुनिश्चित करे।

प्रश्न : अनेक नीतिगत उपायों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, भारत में मैला ढोने की कुप्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग) अभी भी जारी है। कानूनी प्रतिबंधों और लक्षित कल्याणकारी पहलों के बावजूद इसके जारी रहने के कारणों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग) पर विधिक प्रतिबंध का उल्लेख कीजिये और फिर इस कुप्रथा के जारी रहने को स्वीकार करते हुए संदर्भ निर्धारित करें। को रेखांकित कीजिये, साथ ही इस तथ्य की भी पुष्टि कीजिये कि यह कुप्रथा आज भी प्रचलन में है।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के लिये सरकार की पहलों का परीक्षण करते हुए इस कुप्रथा के जारी रहने में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिये तथा इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिये प्रभावी उपाय भी प्रस्तावित कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

हालाँकि वर्ष 1993 से हाथ से मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के तहत आधिकारिक तौर पर हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, संरचनागत और प्रशासनिक चुनौतियों की जटिलताओं के कारण मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी है। देश के 775 ज़िलों में से 465 में मैनुअल स्कैवेंजिंग का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है (जनवरी 2025 तक), जो दर्शाता है कि यह कुप्रथा अभी भी 310 ज़िलों में जारी है।

मुख्य भाग:

मैनुअल स्कैवेंजिंग के पूर्णत: निषेध करने के लिये संवैधानिक सुरक्षा और नीतिगत उपाय:

संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

- अनुच्छेद 14: मैनुअल स्कैवेंजर को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो सभी को समानता प्रदान करने के संवैधानिक वादे के विपरीत है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- अनुच्छेद 17: यह कुप्रथा अस्पृश्यता, जिसे संविधान द्वारा समाप्त एवं निषिद्ध किया गया है, पर आधारित है।
- अनुच्छेद 21: हाथ से मैला ढोने की अपमानजनक एवं खतरनाक परिस्थितियाँ जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।

नीतिगत उपाय:

- **विधायी उपाय:** हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, (PEMSRA), 2013 इस प्रथा को प्रतिबंधित करता है तथा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था करता है, जिसमें मृतक सफाईकर्मी के परिजनों को रोज़गार एवं उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान शामिल है।
  - हाथ से मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत मैनुअल स्कैवेंजिंग एवं अस्वास्थ्यकर शौचालयों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  - सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- **योजनाएँ और संस्थागत समर्थन:** NAMASTE योजना (वर्ष 2023) का उद्देश्य स्वच्छता कार्यों के यंत्रीकरण को बढ़ावा देना तथा हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी 2.0) के अंतर्गत यंत्रीकरण और सुरक्षित स्वच्छता अवसंरचना हेतु धन आवंटित किया जाता है।
- नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेंस एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन (NSKFDC) सफाई कर्मचारियों को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम सफाई कर्मचारियों को वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - राष्ट्रीय गरिमा अभियान का उद्देश्य हाथ से मैला ढोने वालों का सामाजिक सशक्तीकरण और गरिमा की पुनः स्थापना करना है, जिसे जागरूकता, जनसंवाद एवं पुनर्वास पहलों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
  - मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिये स्वरोज़गार योजना (SRMS) का कार्यान्वयन हाथ से मैला ढोने वालों के स्वरोज़गार और आर्थिक पुनर्वास पर केंद्रित है।

इन उपायों के बावजूद, निम्नलिखित कारणों से मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी है:

- **सामाजिक और सांस्कृतिक कारक:** मैनुअल स्कैवेंजिंग जाति-आधारित भेदभाव से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीमांत समुदायों, विशेष रूप से दलितों को इस अपमानजनक व्यवसाय में विवश किया जाता है।
  - कानूनों के बावजूद सामाजिक कलंक की स्थायित्वपूर्ण भावना और जातीय पदानुक्रम की सांस्कृतिक स्वीकृति इस कुप्रथा की निरंतरता में योगदान देती है।
- **आर्थिक बाधाताएँ:** गरीबी और वैकल्पिक आजीविका का अभाव कई मैनुअल स्कैवेंजरों को इस खतरनाक काम को जारी रखने के लिये विवश करते हैं।
  - पुनर्वास कार्यक्रम स्थायी रोज़गार या कौशल विकास प्रदान करने में अपर्याप्त रहे हैं, जिसके कारण मैनुअल स्कैवेंजिंग पर आर्थिक निर्भरता बढ़ रही है।
- **अवसंरचना संबंधी कमियां:** कई क्षेत्र अभी भी अस्वास्थ्यकर शुष्क शौचालयों और पुराने स्वच्छता अवसंरचना पर निर्भर हैं, जिनकी मैन्युअल सफाई की आवश्यकता होती है।
  - मशीनीकरण की धीमी गति और आधुनिक सफाई प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता का अभाव, मैनुअल स्कैवेंजिंग की आवश्यकता को कायम रखता है।
- **लापरवाह प्रवर्तन और प्रशासनिक विफलता:** PEMSRA अधिनियम जैसे सख्त कानूनों के बावजूद, अकुशल निगरानी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण प्रवर्तन कमज़ोर बना हुआ है।
  - डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ व अन्य मामले (2023) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य की गई व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रक्रिया अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकी है, जिससे 'हाथ से मैला ढोने' वालों की पहचान और रिपोर्टिंग में भारी कमी बनी हुई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

इन चुनौतियों से निपटने हेतु निम्नलिखित उपाय किये जाने की आवश्यकता है:

- **मानवाधिकार आयोग (NHRC) की अनुशंसाएँ:** वर्ष 2013 के अधिनियम में सफाई कर्मचारियों और 'हाथ से मैला ढोने' वालों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना आवश्यक है।
  - डी-स्लजिंग बाज़ार को विनियमित कर सूचीबद्ध करना, सुरक्षात्मक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जन-जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित करना और खतरनाक अपशिष्ट की सफाई के लिये नवाचारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है।
  - जातिगत कलंक को समाप्त करने के लिये जन-जागरूकता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- **न्यायिक निर्देशों का पालन करना:** बलराम सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों का कठोरता से अनुपालन करने तथा समय-समय पर सर्वेक्षण कर प्रभावी पुनर्वास और संरक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- **तकनीकी समाधान:** सब्सिडी, जागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय बाधाओं और प्रतिरोध को दूर करके केरल के रोबोटिक सफाईकर्मी 'बैंडिकूट' जैसे नवाचारों के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **बुनियादी अवसंरचना:** स्वच्छता बुनियादी अवसंरचना को उन्नत करने के लिये बेहतर सीवेज और सीवेज उपचार प्रणालियों में निवेश की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

विधिक प्रतिबंधों एवं कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद, जातिगत भेदभाव, गरीबी, अविकसित बुनियादी अवसंरचना और प्रवर्तन की कमज़ोरी के कारण 'हाथ से मैला ढोने' की कुप्रथा अब भी जारी है। इसका उन्मूलन कठोर प्रवर्तन, सामाजिक सुधार, बेहतर स्वच्छता तकनीक और प्रभावी पुनर्वास के माध्यम से ही संभव है। इस दिशा में सभी हितधारकों का समन्वित प्रयास ही प्रभावित समुदायों को गरिमा और समानता सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजनीति और शासन

प्रश्न : संघवाद और संसदीय अनुशासन को बनाए रखने में राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संघवाद और संसदीय अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि उपराष्ट्रपति किस प्रकार संघीय सिद्धांतों का समर्थन करते हैं तथा संसदीय कार्यवाही में सदाचार सुनिश्चित करते हैं।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत का उपराष्ट्रपति देश में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद हैं, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं (अनुच्छेद 64)। इस संदर्भ में, उपराष्ट्रपति संघवाद को बनाए रखने और संसदीय अनुशासन सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्य भाग:

संघवाद को बनाए रखने में राज्य सभा के पदेन सभापति की भूमिका:

- **राज्य हितों का प्रतिनिधित्व:** उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, चर्चा के माध्यम से यह सुनिश्चित करते हैं कि केंद्रीय हित राज्य हितों पर हावी न हों। विशेष रूप से कराधान (GST) और संसाधनों के वितरण जैसे मुद्दों पर वे संघीय संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।
- **निर्णायक मत:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत राज्य सभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया है।
  - यह शक्ति यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय बिना किसी गतिरोध के कुशलतापूर्वक लिये जाएँ, केंद्रीय प्रभुत्व को रोका जाए तथा विधायी प्रक्रिया में राज्य की स्वायत्तता को संरक्षित किया जाए।
- **विशेष शक्तियों का प्रयोग:** राज्य सभा के पास राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना (अनुच्छेद 249) या अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने (अनुच्छेद 312) जैसी कुछ संघीय शक्तियाँ हैं।
  - अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी के रूप में, प्रक्रियागत तटस्थता के साथ इन प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावों को सुगम बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **संघीय चिंताओं को संबोधित करना:** अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका में, उपराष्ट्रपति प्रमुख संघीय मुद्दों, जैसे कि अंतर-राज्य परिषद, अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन), और राज्य की स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर बहस में मध्यस्थता करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संसदीय अनुशासन बनाए रखने में पदेन सभापति की भूमिका:

- **सदन में व्यवस्था बनाए रखना:** राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 256 के अंतर्गत, सभापति किसी सदस्य, जिसका आचरण कुशलता पूर्वक नही है या उसने सभापति के प्राधिकार की अवहेलना की है, को शेष सत्र के लिये निलंबित कर सकता हैं।
- **अवरोधवाद को रोकना:** राज्यसभा को भूमि अधिग्रहण विधेयक और GST जैसे मामलों में अवरोधवाद के लिये आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे में, अध्यक्ष की निष्पक्ष और संतुलित भूमिका रचनात्मक बहस को प्रोत्साहित करने और विधायी गतिरोध को रोकने के लिये आवश्यक है।
- **अयोग्यता से संबंधित शक्ति:** संविधान का अनुच्छेद 103 अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इस पद पर सभापति की भूमिका महत्त्वपूर्ण है, ताकि राज्यसभा की अखंडता को बनाए रखा जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपने राजनीतिक दल से अलग होने वाले सदस्यों को विधि के अनुसार अयोग्य घोषित किया जाए।

- **समितियों को संदर्भित करना और विचार-विमर्श करना:** हाल के वर्षों में राज्यसभा की भूमिका में कमी (वर्ष 2014-2021 तक 74%, यहाँ तक कि वर्ष 2018 में 40% तक कम) देखने को मिली है, अध्यक्ष विधेयकों को गहन विश्लेषण के लिये संसदीय समितियों को संदर्भित करने को प्रोत्साहित कर सकते हैं तथा जल्दबाजी में कानून बनाने से बच सकते हैं।

निष्कर्ष:

जैसा कि सरकारिया और पुँछी आयोगों ने जोर दिया है, कि राज्य सभा संघीय संतुलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्यसभा विचार-विमर्श, क्षेत्रीय समावेशन और संवैधानिक निगरानी का एक मंच बनी रहे, जो एक संघीय लोकतंत्र के मूल तत्त्व हैं।

प्रश्न : विधायी निगरानी और नीतिगत जवाबदेही सुनिश्चित करने में संसदीय समितियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संक्षेप में बताएँ कि संसदीय समितियाँ क्या हैं और उनका महत्त्व क्या है।
- संसदीय समितियों के कार्यों का परीक्षण करके उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिये।
- उपर्युक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारतीय विधायिका के कार्य संचालन में संसदीय समितियाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियाँ विधेयकों और सरकारी व्यय की विस्तृत जाँच के लिये एक आवश्यक तंत्र प्रदान करती हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 और 118 के तहत गठित ये समितियाँ संसद को प्रभावी निगरानी रखने और कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराने में सक्षम बनाती हैं। व्यापक रूप से, संसदीय समितियों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है — स्थायी समितियाँ (स्थायी प्रकृति की) और अस्थायी समितियाँ (अस्थायी प्रकृति की)।

मुख्य भाग:

विधायी निगरानी और जवाबदेही:

- **वित्तीय निगरानी:** लोक लेखा समिति (PAC) और प्राक्कलन समिति जैसी प्रमुख समितियाँ सरकारी व्यय की जाँच करती हैं, पारदर्शिता और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करती हैं। PAC, जिसकी अध्यक्षता विपक्ष के सदस्य द्वारा की जाती है, यह सरकारी खातों का ऑडिट तथा वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करती है।
  - PAC ने वर्ष 2010-11 के आसपास 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जाँच की और 2G लाइसेंसों के आवंटन में गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं, पारदर्शिता की कमी और मानदंडों के उल्लंघन को उजागर किया।
- **विधायी विशेषज्ञता:** समितियाँ विधेयकों और नीतियों की जानकारीपूर्ण, तकनीकी जाँच के लिये एक मंच प्रदान करती हैं। समितियों को भेजे गए विधेयकों का बाहरी हितधारकों और विशेषज्ञों से सलाह लेकर गहन अध्ययन किया जाता है, जिससे व्यापक विश्लेषण सुनिश्चित होता है।
  - नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 की जाँच के लिये एक संयुक्त संसद समिति (JPC) का गठन किया गया था, जिसे बाद में वर्ष 2019 में अधिनियमित किया गया।
- **एक लघु-संसद के रूप में कार्य:** समितियाँ संसद की पार्टी संरचना को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्रतिबिंबित करती हैं, जिससे द्विदलीय विचार-विमर्श संभव होता है। यह राजनीतिक ध्रुवीकरण को कम करता है तथा एक गोपनीय, मीडिया-प्रभावित वातावरण में सहमति-निर्माण की सुविधा प्रदान करता है।
  - संसद और कार्यपालिका के बीच साझाकरण के अंतर को कम कर, समितियाँ विधायी गुणवत्ता और शासन की प्रतिक्रियाशीलता में सुधार करती हैं।
- **कार्यपालिका पर जवाबदेही और नियंत्रण:** यद्यपि समितियों की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं, वे एक सार्वजनिक अभिलेख

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

तैयार करती हैं और सरकार पर विवादास्पद प्रावधानों या प्रशासनिक चूकों पर पुनर्विचार के लिए नैतिक दबाव डालती हैं।

- गोपनीयता स्पष्ट और निष्पक्ष चर्चा को प्रोत्साहित करती है तथा पक्षपात से दूर प्रभावी निगरानी को बढ़ावा देती है।

चुनौतियाँ	आगे की राह
समितियों को विधेयक भेजने में कमी (16वीं लोकसभा में 25% बनाम 15वीं लोकसभा में 71%)।	समितियों को अधिक संसाधनों, कानूनी शक्तियों और अधिकारियों को तलब करने की क्षमता देकर सशक्त बनाया जाए। विस्तृत जाँच के लिये विधेयकों को समितियों को अनिवार्य रूप से भेजने की व्यवस्था लागू करना
विलंबित रिपोर्ट और प्रवर्तन तंत्र का अभाव।	बैठकों का सीधा प्रसारण और रिपोर्टों का व्यापक प्रकाशन करके पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
राजनीतिक हस्तक्षेप	आम सहमति बनाने और राजनीतिक संघर्षों को कम करने के लिये द्वि-दलीय संस्कृति को बढ़ावा देना।
कम जन जागरूकता और सीमित मीडिया कवरेज़	समिति प्रक्रियाओं में नागरिक समाज, विशेषज्ञों और हितधारकों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

संसदीय समितियाँ भारत के लोकतांत्रिक शासन के लिये अपरिहार्य हैं, संस्थागत सुधारों और संवर्द्धित पारदर्शिता के माध्यम से वर्तमान चुनौतियों का समाधान संसदीय लोकतंत्र को मज़बूत करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को बहाल और बढ़ा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के भारत के प्रयासों में आने वाली प्रमुख चुनौतियों और भू-राजनीतिक बाधाओं का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका और स्थायी सदस्यता के लिये भारत के दावे का परिचय दीजिये।
- स्थायी सदस्यता के लिये भारत की दावेदारी पर चर्चा कीजिये तथा भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिये।
- सुधारों की आवश्यकता और वैश्विक शांति एवं शासन में भारत के संभावित योगदान के साथ निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आज भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शक्ति संरचना को स्थायी पाँच (P5) देशों के प्रभुत्व के माध्यम से दर्शाती है। हालाँकि वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, भारत अपनी विशाल जनसंख्या, मज़बूत अर्थव्यवस्था, शांति स्थापना में सक्रिय योगदान और बहुपक्षीय प्रतिबद्धता के आधार पर स्थायी सदस्यता का एक मज़बूत दावेदार बनकर उभरा है, लेकिन उसे कुछ महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य भाग:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये भारत की योग्यता:

- **संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में प्रमुख योगदानकर्त्ता:** भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अपनी स्थापना के बाद से दूसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्त्ता (49 मिशनों में 250,000 कार्मिक) है।
- **जनसांख्यिकीय और आर्थिक भार:** भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है (संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावनाएँ), जिसकी जनसंख्या 1.4 बिलियन से अधिक है, जिससे लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था में इसका प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
  - यह नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी और PPP के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक विकास एवं व्यापार में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है।
- **प्रमाणित परमाणु उत्तरदायित्व:** परमाणु-सशस्त्र राज्य होने के बावजूद, भारत "पहले प्रयोग नहीं" की नीति पर कायम है तथा वर्ष 1998 से स्वेच्छा से परमाणु परीक्षण पर रोक लगाए हुए है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- भारत मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) और वासेनार समझौते जैसे प्रमुख निर्यात नियंत्रण समूहों का सदस्य है, जो परमाणु अप्रसार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- **अस्थायी सदस्य के रूप में सशक्त कार्यकाल:** भारत अब तक UNSC में आठ बार अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है। इस दौरान भारत ने आतंकवाद-रोधी समिति जैसी महत्त्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता की और अफगानिस्तान व समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सैद्धांतिक रुख अपनाया।
- **वैश्विक सुधार का समर्थक:** भारत लगातार सुधारवादी बहुपक्षवाद का समर्थन करता रहा है तथा अधिक समावेशी एवं प्रतिनिधित्वकारी वैश्विक शासन प्रणाली के लिये प्रयासरत रहा है।
  - G-77, ब्रिक्स और भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज को मज़बूत कर रहा है।
  - G20 की अध्यक्षता (2023) और "वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट" (2023) के दौरान भारत की कूटनीतिक सक्रियता ने उसकी वैश्विक विश्वसनीयता को और बढ़ाया है।

UNSC में भारत द्वारा स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ और भू-राजनीतिक बाधाएँ:

- **P5 देशों का प्रतिरोध:** चीन सबसे प्रत्यक्ष विरोध प्रस्तुत करता है, जो रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता, सीमा तनाव और पाकिस्तान के प्रति उसके समर्थन से प्रेरित है।
  - अन्य P5 देश भी अपनी विशिष्ट स्थिति (विशेषकर वीटो अधिकार) को कमज़ोर नहीं करना चाहते।
- **वीटो शक्ति पर गतिरोध:** संयुक्त राष्ट्र में सुधारों में वीटो शक्ति सबसे विवादास्पद मुद्दा है।
  - भारत समान अधिकारों के साथ नई स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है, जबकि अफ्रीकी संघ का "एज़ुलविनी सहमती" जैसे मॉडल या तो वीटो हटाने या समानता की मांग करते हैं, जिससे वार्ता और जटिल हो जाती है।
- **क्षेत्रीय विरोध:** पाकिस्तान, इटली, दक्षिण कोरिया और अर्जेंटीना सहित यूनाइटिंग फॉर कन्सेंसस (UFC) समूह G-4 की कोशिश का विरोध कर रहा है तथा यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे शक्ति असंतुलन बढ़ेगा।
  - पाकिस्तान विशेष रूप से ऐतिहासिक तनाव और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण भारत की दावेदारी का विरोध करता है।
- **कुछ प्रमुख संधियों पर हस्ताक्षर न होना:** भारत ने NPT (परमाणु अप्रसार संधि) और CTBT (संपूर्ण परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि) पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, जिसे कुछ पश्चिमी देश उसकी दावेदारी की कमज़ोरी मानते हैं, हालाँकि भारत का परमाणु अप्रसार रेकॉर्ड मज़बूत रहा है और वह निष्क्रियता रहित, गैर-भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण का समर्थक है।
- **IGN प्रक्रिया में गतिरोध:** वर्ष 2009 में इसके शुभारंभ के बाद से, IGN (अंतर-सरकारी वार्ता) प्रक्रिया में कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, प्रक्रियागत बाधाओं और सदस्य राज्यों के बीच आम सहमति की कमी के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हुई है।

UNSC में स्थायी सदस्यता हेतु भारत द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

- G4 (भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील) और L.69 समूह के साथ व्यापक कूटनीतिक सहमति बनाना, ताकि समावेशी सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाया जा सके।
- G20 और ग्लोबल साउथ में हालिया सक्रिय भागीदारी से बनी कूटनीतिक गति का लाभ उठाना।
- फ्राँस, रूस और ब्रिटेन जैसे समर्थक P5 देशों के समर्थन को मज़बूत करना, और चीन के विरोध को राजनयिक रूप से संतुलित करना।
- भारत की परमाणु ज़िम्मेदारी और निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराना, ताकि NPT/CTBT से जुड़ी आलोचनाओं को संतुलित किया जा सके।

निष्कर्ष:

संशोधित और प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिये भारत का प्रयास 21वीं सदी की बहुध्रुवीय वास्तविकताओं को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये, भारत को शामिल करने सहित सार्थक सुधार अब वैकल्पिक नहीं हैं, बल्कि समतापूर्ण वैश्विक शासन के लिये अनिवार्य हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं का मूल्यांकन, विशेष रूप से कार्बन सीमा कर और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के संदर्भ में कीजिये तथा इनके द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्दों में)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता और कार्बन सीमा करों एवं गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के महत्त्व का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा कर प्रस्ताव और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO), भारत पर उनके प्रभाव तथा ये मुद्दे भारत-यूरोपीय संघ व्यापार संबंधों और राजनयिक संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं, इसकी जाँच कीजिये।
- उपर्युक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत और यूरोपीय संघ (EU) लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 रखा गया है। हालाँकि, EU के प्रस्तावित कार्बन बॉर्डर टैक्स (CBT) और भारत के विस्तारित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) जैसे गैर-टैरिफ मुद्दे विवाद के महत्त्वपूर्ण बिंदु बनकर उभरे हैं, जो द्विपक्षीय व्यापार और कूटनीतिक संबंधों की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं।

मुख्य भाग:

कार्बन सीमा कर (कार्बन बॉर्डर टैक्स- CBT):

- **यूरोपीय संघ का प्रस्ताव:** यह यूरोपीय संघ में कार्बन-गहन आयात पर टैरिफ है, जिसका उद्देश्य कार्बन रिसाव को रोकना है।
  - स्टील, एल्युमीनियम, सीमेंट और उर्वरक जैसे भारतीय आर्थिक क्षेत्र, जो ऊर्जा-गहन और कोयले पर अत्यधिक निर्भर हैं, उन्हें निर्यात लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। यह यूरोपीय संघ के बाज़ार में भारत की मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कमज़ोर कर सकता है।
- **भारत की चिंताएँ:** CBAM को एक गैर-टैरिफ बाधा के रूप में देखा जाता है जो विकासशील देशों को असमान रूप से प्रभावित करती है।
  - भारत न्यायसंगत एवं समतापूर्ण परिवर्तन का समर्थन करता है तथा जलवायु ढाँचे के अंतर्गत विभेदित उत्तरदायित्वों की मांग करता है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs):

- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, QCOs का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरणीय स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना है।
  - भारत ने अनिवार्य BIS प्रमाणन के लिये 769 उत्पादों को कवर करते हुए 187 QCO अधिसूचित किये हैं।
  - इनमें विद्युत उपकरण, मशीनरी, रसायन आदि क्षेत्र शामिल हैं।
- **यूरोपीय संघ के निर्यात पर प्रभाव:** भारत की विस्तारित QCO व्यवस्था के कारण यूरोपीय संघ के निर्यातकों को अनुपालन संबंधी मानदंडों का सामना करना पड़ रहा है।
  - विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और औद्योगिक मशीनरी शामिल हैं।
- **भारत का पक्ष:** भारत का मानना है कि ये गुणवत्ता जाँच, उपभोक्ता की सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण होते हुए भी, गैर-टैरिफ बाधाओं के रूप में कार्य कर सकती हैं जो यूरोपीय बाज़ार तक पहुँच को सीमित कर देती हैं।
  - भारत दोनों क्षेत्रों के बीच सुगम व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिक लचीले मानकों और गुणवत्ता पर पारस्परिक मान्यता समझौतों (MRAs) पर बातचीत करना चाहता है।

द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर प्रभाव:

अवसर:

- क्यूसीओ भारत के उत्पाद मानकों में सुधार कर सकते हैं, जिससे वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बन सकेंगे।
  - इसका एक प्रमुख उदाहरण जापान है, जहाँ सख्त आंतरिक नियमों और मज़बूत गुणवत्ता नियंत्रण के कारण टोयोटा जैसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांडों का विकास हुआ है।
  - CBT के साथ जुड़ने से भारत की हरित साख में वृद्धि हो सकती है तथा यूरोपीय संघ के साथ जलवायु-तकनीक सहयोग के द्वार खुल सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- स्थिर विनियामक ढाँचे और बेहतर बाज़ार पहुँच के साथ, यूरोपीय संघ की कंपनियाँ भारत में निवेश करने के लिये अधिक इच्छुक हो सकती हैं, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में।

अल्पकालिक चुनौतियाँ:

- CBAM और QCO विनियामक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, जिससे FTA की प्रगति धीमी हो जाती है। भारतीय निर्यातकों और यूरोपीय संघ के निर्माताओं दोनों के लिये अनुपालन लागत में वृद्धि हुई है।
- यूरोपीय संघ चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है, जिसमें भारत एक प्रमुख विकल्प है।
  - *लेकिन,* अनसुलझे नियामक अवरोध निवेश को अन्य देशों की ओर मोड़ सकते हैं।

निष्कर्ष:

हालाँकि ये गैर-टैरिफ बाधाएँ समझौते में देरी कर सकती हैं, लेकिन वे दोनों पक्षों को स्थिरता, व्यापार निष्पक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता से संबंधित व्यापक चिंताओं को दूर करने के लिये एक मंच भी प्रदान करती हैं। इन चिंताओं के प्रति संतुलित दृष्टिकोण भारत-यूरोपीय संघ के आर्थिक संबंधों की भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा।

प्रश्न : भारत की पड़ोस नीति किस प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के उद्देश्यों के साथ रणनीतिक और सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करने का प्रयास करती है। समालोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की पड़ोस नीति और क्षेत्रीय स्थिरता एवं एकीकरण के इसके दोहरे लक्ष्यों का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- परीक्षण कीजिये कि भारत आर्थिक एकीकरण के प्रयासों तथा संबंधित चुनौतियों के साथ रणनीतिक/सुरक्षा चिंताओं को किस प्रकार संतुलित करता है।
- उपर्युक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत की 'पड़ोस पहले' नीति का उद्देश्य एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्थिर दक्षिण एशियाई क्षेत्र को बढ़ावा देना है। यह नीति रणनीतिक-सुरक्षा अनिवार्यताओं को सुनिश्चित करने और कनेक्टिविटी, सहयोग और बहुपक्षीय सहभागिता के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के बीच जटिल अंतरसंबंध को दर्शाती है।

मुख्य भाग:

सामरिक एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएं:

- **सीमा एवं प्रादेशिक सुरक्षा:** भारत, चीन (वास्तविक नियंत्रण रेखा) और पाकिस्तान (नियंत्रण रेखा) के साथ विवादास्पद सीमा साझा करता है, जिसके कारण कई संघर्ष हुए हैं, विशेष रूप से वर्ष 1962 का भारत-चीन युद्ध और पाकिस्तान के साथ तनाव बना हुआ है।
  - भारत की नीति में शांति बनाए रखना तथा आतंकवाद, सीमा पार से घुसपैठ और बाहरी प्रभाव, विशेषकर पाकिस्तान से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करना प्राथमिकता है।
- **बाह्य प्रभाव का प्रबंधन:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) जैसी परियोजनाओं के माध्यम से दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के सामरिक हितों के लिये चुनौती है।
  - भारत अन्य पड़ोसियों के साथ संबंधों को मज़बूत करके इसका मुकाबला कर रहा है, चाबहार बंदरगाह (ईरान) और कलादान मल्टीमॉडल परियोजना (म्याँमार) जैसी वैकल्पिक संपर्क परियोजनाएँ प्रदान कर रहा है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना:** भारत नेपाल और बांग्लादेश जैसे निकटतम पड़ोसियों में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये लोकतांत्रिक संस्थाओं और विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा को मज़बूत करता है।

क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य और प्रयास:

- **कनेक्टिविटी बढ़ाना:** भारत बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) नेटवर्क और भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।
  - इन परियोजनाओं का उद्देश्य वस्तु और लोगों की आवाजाही को आसान बनाना, व्यापार लागत को कम करना तथा बाज़ारों को एकीकृत करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **बहुपक्षीय रूपरेखा:** भारत आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये सार्क, बिम्सटेक और IORA जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ जुड़ता है, हालाँकि सार्क की प्रभावशीलता भारत-पाक तनावों से सीमित है। बिम्सटेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले एक अधिक व्यावहारिक मंच के रूप में कार्य करता है।
- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** वैश्विक स्तर पर सबसे कम अंतर-क्षेत्रीय व्यापार (~ 5%) होने के बावजूद, भारत तरजीही व्यापार समझौतों पर कार्य कर रहा है तथा दक्षिण एशिया के भीतर व्यापार को उदार बनाने का लक्ष्य रखता है।
  - ITEC और वैक्सीन मैत्री जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विकास सहायता आर्थिक सद्भावना और क्षमता निर्माण को बढ़ाती है।
- **लोगों के बीच आदान-प्रदान:** भारत क्षेत्रीय संबंधों को गहरा करने के लिये सांस्कृतिक, शैक्षिक और तकनीकी आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे आर्थिक एकीकरण एवं स्थिरता को समर्थन मिलता है।

चुनौतियाँ	आगे की राह
सुरक्षा और आर्थिक संतुलन	संतुलित सीमा नियंत्रण लागू करना जो व्यापार और संपर्क को अत्यधिक बाधित किये बिना सुरक्षा सुनिश्चित करे।
क्षेत्रीय संघर्ष	भारत-पाक तनाव के बावजूद क्षेत्रीय एकता बनाने के लिये अन्य पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करना।
चीन का बढ़ता प्रभाव	बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव के साथ संबंधों को गहरा करना; चाबहार और BBIN जैसी वैकल्पिक संपर्क परियोजनाओं में निवेश करना।
क्षेत्रीय वास्तुकला	द्विपक्षीय और लघुपक्षीय कूटनीति का लाभ उठाते हुए सार्क, बिम्सटेक, IORA के माध्यम से व्यावहारिक बहुपक्षवाद का अभ्यास करना।

निष्कर्ष:

भारत की पड़ोस नीति एक जटिल संतुलनकारी कार्य है, जो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की आकांक्षाओं के साथ अपनी सामरिक-सुरक्षा अनिवार्यताओं को सुसंगत बनाने का प्रयास करती है। विवादों को सुलझाने, संपर्क बढ़ाने और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिये निरंतर प्रयास शांतिपूर्ण एवं आर्थिक रूप से जीवंत पड़ोस के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रश्न : शरणार्थियों और प्रवासन के प्रति भारत का दृष्टिकोण मानवीय सिद्धांतों द्वारा निर्देशित रहा है, लेकिन इसे व्यावहारिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। मानवीय चिंताओं और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण

- शरणार्थियों और प्रवासन के प्रति भारत के ऐतिहासिक एवं मानवीय दृष्टिकोण का संक्षेप में उल्लेख कीजिये।
- भारत द्वारा अपनाए जाने वाले मानवीय सिद्धांतों पर चर्चा कीजिये, साथ ही प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए मुद्दे के प्रभावी समाधान के लिये उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

UNHCR के अनुसार, शरणार्थी वे व्यक्ति हैं जिन्हें उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपने देश से पलायन के लिये विवश होना पड़ता है। हालाँकि भारत वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन या इसके वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है, लेकिन मानवीय आधार पर शरण चाहने वालों को आश्रय प्रदान करता है।

मुख्य भाग

भारत की शरणार्थी नीति में मानवीय सिद्धांत:

- गैर-वापसी सिद्धांत: भारत गैर-वापसी (शरणार्थियों को बलपूर्वक उनके मूल देश वापस नहीं भेजना) के सिद्धांत का पालन करता है जो प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। भारत ने अपने बहुलवादी लोकाचार और ऐतिहासिक अनुभवों को दर्शाते हुए नैतिक एवं राजनीतिक विचारों के आधार पर शरण की पेशकश की है।
  - तिब्बती शरणार्थियों जैसे कई समूहों को दीर्घकालिक पुनर्वास अधिकार और संस्थागत समर्थन प्राप्त हुआ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के अंतर्गत शरणार्थियों के पुनर्वास और दीर्घकालिक वीज़ा (LTVs) की अनुमति में भारत की मानवीय दृष्टि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
- भारतीय न्यायपालिका ने भी संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) के अंतर्गत शरणार्थियों के अधिकारों की पुष्टि की है।

मानवीय चिंताओं और राष्ट्रीय हितों में संतुलन स्थापित करने की चुनौतियाँ:

- **सुरक्षा चिंताएँ:** शरणार्थियों की आमद, विशेष रूप से अफगानिस्तान और म्याँमार (रोहिंग्या) से, आतंकवादियों एवं संगठित अपराध द्वारा घुसपैठ की आशंकाएँ उत्पन्न होती हैं।
- रोहिंग्या शरणार्थियों को नागरिकता या कानूनी दर्जा देने से सरकार का इनकार राष्ट्रीय सुरक्षा और जनांकिकीय परिवर्तनों (विशेषकर असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में) के संबंध में चिंताओं का परिणाम है।
- **कानूनी शून्यता:** भारत में शरणार्थियों से संबंधित कोई राष्ट्रीय कानून या नीति नहीं है, जिससे इस विषय में अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विभिन्न शरणार्थी समूहों के साथ असंगत और तदर्थ उपायों के माध्यम से व्यवहार किया जाता है, जिससे प्रशासनिक प्रबंधन जटिल हो जाता है।
  - यद्यपि नई दिल्ली स्थित UNHCR कार्यालय और 'विदेशी (संशोधन) अधिनियम, 2019' जैसे कुछ तंत्र आंशिक समाधान प्रदान करते हैं, परंतु ये समस्याओं का समग्र समाधान नहीं हैं।
- **संसाधन और आर्थिक दबाव:** बड़े पैमाने पर प्रवासन सीमित संसाधनों, बुनियादी अवसंरचना और रोज़गार के अवसरों पर दबाव डालता है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों में। कभी-कभी सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न होता है, जिससे सामाजिक तनाव एवं विदेशी लोगों के प्रति घृणा बढ़ती है, जिससे शरणार्थियों के एकीकरण पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिये, रोहिंग्या संकट।
- **कूटनीतिक संवेदनशीलताएँ:** शरणार्थियों की स्थिति में प्राय: सीमा पार कूटनीतिक चुनौतियाँ शामिल होती हैं। उदाहरण के लिये, रोहिंग्या या श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को निर्वासित करना संवेदनशील द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ा मामला है।
- **आंतरिक राजनीतिक दबाव:** प्रवासन घरेलू राजनीति को प्रभावित करता है, विशेषकर असम जैसे राज्यों में, जहाँ पहचान और जनांकिकी संबंधी चिंताएँ राजनीतिक रूप से प्रभावित होती हैं। चुनावी राजनीति और स्थानीय भावनाओं के साथ शरणार्थी अधिकारों को संतुलित करना नीति निर्माण को जटिल बनाता है।

मानवीय और राष्ट्रीय हितों में संतुलन

- कानूनी स्पष्टता, अधिकार संरक्षण और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिये एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून विकसित किया जाना आवश्यक है।
- शरणार्थी प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय के लिये संस्थागत क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- मानवीय प्रतिबद्धताओं से समझौता किये बिना वैध सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिये सीमा प्रबंधन और सुरक्षा जाँच को सख्त किया जाना चाहिये।
- शरणार्थी संकटों में साझा जिम्मेदारी के लिये SAARC और BIMSTEC जैसे कार्यढाँचों के भीतर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- निर्भरता और सामाजिक तनाव को कम करने के लिये कौशल विकास एवं आजीविका सहायता के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत की शरणार्थी और प्रवास नीति करुणा एवं व्यावहारिकता के बीच एक जटिल संतुलन का प्रतीक है। मानवीय मूल्यों को राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिये एक स्पष्ट कानूनी कार्यढाँचा तैयार करना, संस्थागत क्षमता को बढ़ाना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामाजिक न्याय

प्रश्न : भारत में किन संरचनात्मक और सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं तक प्रभावी ढंग से पहुँचने में बाधाएँ आती हैं? साथ ही, इन बाधाओं को दूर करने और उनके बेहतर समावेशन को सुनिश्चित करने के लिये विशिष्ट उपाय सुझाएँ। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को परिभाषित कीजिये।
- ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष आने वाली प्रणालीगत और सामाजिक बाधाओं की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी समावेशन के लिये समावेशी नीतियों और बेहतर सेवा वितरण का सुझाव दीजिये।
- उपर्युक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'थर्ड जेंडर' के रूप में मान्यता दिये जाने और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 के बावजूद, सरकारी नीतियाँ अभी भी लिंग आधारित दृष्टिकोण का पालन करती हैं। नतीजतन, 4.88 लाख ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (जनगणना 2011) में से कई हाशिये पर होने के कारण कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गए हैं।

मुख्य भाग:

कल्याणकारी योजनाओं तक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहुँच में संरचनात्मक और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ:

- **कानूनी मान्यता का अभाव:** कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पास उनके लिंग को दर्शाने वाले पहचान दस्तावेज़ों का अभाव होता है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है, जिनके लिये ऐसे सत्यापन की आवश्यकता होती है।
  - सरकारी प्रणालियाँ अक्सर द्विआधारी (बाइनरी) लिंग मानदंडों का पालन करती हैं, जिसके कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लिंग-विशिष्ट लाभों से बाहर रखा जाता है।
- **समाज से बहिष्कार:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समावेशी सुविधाओं के अभाव में सामाजिक बहिष्कार, सार्वजनिक स्थानों तक सीमित पहुँच और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
  - शिक्षा में भेदभाव: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्कूलों/कॉलेजों में उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनमें ड्रॉपआउट रेट अधिक है। इनकी साक्षरता दर मात्र 46% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 74% है।
  - भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल में भेदभाव का सामना करना पड़ता है तथा उनमें HIV के प्रति संवेदनशीलता अधिक होती है, जहाँ इसकी व्यापकता दर 3.1% (UNAIDS) है।
    - उनके पास समर्पित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का अभाव है, केवल हैदराबाद में ही ऐसा एक केंद्र है, जो अब बंद हो चुका है।
  - आजीविका के सीमित अवसरों के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर भीख माँगने, यौनकर्म या शोषणमूलक मनोरंजन उद्योगों में कार्य करने के लिये मज़बूर होना पड़ता है।
- **बेघर होना:** परिवार द्वारा अस्वीकार किया जाना और समावेशी आवास विकल्पों का अभाव कई ट्रांसजेंडर युवाओं को बेघर होने के लिये मज़बूर करता है, जहाँ वे दुर्व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और मादक द्रव्यों के सेवन के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- **ट्रांसफोबिया:** व्यापक ट्रांसफोबिया, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति भय, पूर्वाग्रह और शत्रुता से चिह्नित है, के परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर व्यापक भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा होती है।
- **ट्रांसफोबिया (ट्रांसजेंडरों के प्रति भय/घृणा):** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति व्याप्त भय, पूर्वाग्रह और शत्रुता की भावना, जिसे ट्रांसफोबिया कहा जाता है, के कारण सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में वह भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा के शिकार होते है।
  - सामाजिक कलंक, पारिवारिक अस्वीकृति और निरंतर भेदभाव के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों का मानसिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है। उनमें तनाव संबंधी विकारों, गहन निराशा और आत्मघाती प्रवृत्तियों का जोखिम सामान्य आबादी की तुलना में कहीं अधिक होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सार्वजनिक प्रतिनिधित्व:** मीडिया में नकारात्मक चित्रण और सार्वजनिक चर्चाओं में सीमित दृश्यता हानिकारक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है, जिससे सामाजिक अस्वीकृति बदती है तथा भेदभाव को और बल मिलता है।

नीतिगत उपाय	विवरण
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019	इसका उद्देश्य शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव को समाप्त करना है।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिये डिजिटल रूप से आवेदन करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
गरिमा गृह	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन सुविधाएँ प्रदान करता है।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय परिषद	सरकार को सलाह देने हेतु ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम के तहत स्थापित।

इन बाधाओं को दूर करने के उपाय:

- कल्याणकारी योजनाओं को थर्ड जेंडर को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिये तथा इसमें सरल दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया होनी चाहिये, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी सुविधा मिल सके।
- इसके अतिरिक्त, नीति कार्यान्वयन में ट्रांसजेंडर समावेशन को बढ़ावा देना आवश्यक है, जैसे कि आशा कार्यकर्त्ताओं, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और महिला पुलिस स्वयंसेवकों जैसी भूमिकाओं के माध्यम से, यह सुनिश्चित करना कि समुदाय और स्वास्थ्य संबंधी पहलों में उनकी प्रमुख उपस्थिति हो।
- कल्याणकारी सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक सेवा कर्मचारियों को संवेदनशीलता और भेदभाव-विरोधी प्रथाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
- ट्रांसजेंडर पहचान की कानूनी मान्यता को मज़बूत तथा सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में सुधार करना।

निष्कर्ष:

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों के प्रति कानूनी, प्रशासनिक और कानून प्रवर्तन प्रणालियों को संवेदनशील बनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियों तथा विनियमों से परे एक व्यापक एवं समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है।

प्रश्न : भारत में ग्रामीण गरीबों के बीच परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा में स्वयं सहायता समूहों (SHG) की दोहरी भूमिका के साथ ही महिला सशक्तीकरण में भी उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण

- स्वयं सहायता समूहों को परिभाषित कीजिये, ग्रामीण विकास में उनका महत्त्व बताइये।
- परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा में योगदान में SHG की दोहरी भूमिका की व्याख्या कीजिये और महिला सशक्तीकरण पर SHG के प्रभाव पर भी प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत में स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने ग्रामीण गरीबों के लिये परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, साथ ही महिलाओं के सशक्तीकरण को भी बढ़ावा दिया है। बचत को एकत्र कर तथा सूक्ष्म ऋण तक पहुँच प्राप्त कर, SHG के सदस्य पशुधन, कृषि उपकरणों और लघु उद्यमों (जैसे: सिलाई, डेयरी व्यवसाय) में निवेश करते हैं, जिससे सीधे तौर पर पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि होती है।

मुख्य भाग

स्वयं सहायता समूहों की दोहरी भूमिका:

- **परिसंपत्ति निर्माण:**
  - माइक्रोक्रेडिट पहुँच: NABARD के SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SSHG-BLP) ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 54.82 लाख SHG को लगभग 209.29 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया।
- ऋण तक सीधी पहुँच ने पशुपालन, लघु कृषि और हस्तशिल्प जैसी आय-उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है।
  - उदाहरण के लिये, आंध्र प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों ने पशुधन अधिग्रहण को सुगम बनाया, उत्पादक क्षमता को बढ़ाया तथा फसल विफलता और चिकित्सा आपात स्थितियों जैसी विपत्तियों के प्रति घरेलू समुत्थानशक्ति को बढ़ाया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- बचत और पूंजी निर्माण: स्वयं सहायता समूहों (SHG) की बचत को औसतन 7.5% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (CAGR) से पिछले पाँच वर्षों में जोड़ा गया है, जिससे अर्थव्यवस्था के मूल स्तर पर वित्तीय समावेशन को गति मिली है।

- **आय सुरक्षा:** स्वयं सहायता समूह खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और हथकरघा जैसे सूक्ष्म उद्यमों में विविधीकरण को प्रोत्साहित करके आय सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं।
- नियमित बचत और ऋण चक्र वित्तीय बफर का निर्माण करते हैं, जिससे अनौपचारिक उधारदाताओं पर निर्भरता कम हो जाती है।
  - उदाहरण के लिये, मीशो के साथ समझौता ज्ञापन से SHG सदस्यों को विपणन मंच और व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल रहा है, जिससे बाज़ार तक पहुँच तथा आय के अवसरों में सुधार हो रहा है।

महिला सशक्तीकरण में योगदान:

- **संसाधनों पर नियंत्रण:** स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों से उत्पन्न आय का लगभग 70% हिस्सा महिलाओं के नियंत्रण में होता है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है।
- **उद्यमिता:** NABARD के सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDP) और कौशल उन्नयन योजनाएँ (m-Suwidha) महिलाओं को संधारणीय कृषि और गैर-कृषि उद्यम के संचालन के लिये कौशल एवं सहायता प्रदान करती हैं।
- **सामाजिक एजेंसी:** स्वयं सहायता समूह सामूहिक प्रयासों के माध्यम से भेदभाव, दहेज और घरेलू हिंसा जैसे लिंग आधारित मुद्दों से निपटते हैं।
  - उदाहरण के लिये, मध्य प्रदेश में 'सचेत दीदी' और 'शिक्षा सखी' महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा रही हैं।
- **राजनीतिक भागीदारी:** स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के स्थानीय चुनाव लड़ने की संभावना तीन गुना अधिक होती है, राजस्थान एवं केरल के कई नेता सरपंच चुने गए हैं, जहाँ उन्होंने स्वच्छता और शिक्षा से संबंधित नीतियों को प्रभावित किया है।
  - एक उल्लेखनीय उदाहरण पूर्व सरपंच श्रीमती सम्पतिया उइके का है, जो राज्यसभा के लिये चुनी गईं, जिन्होंने स्वयं सहायता समूह नेताओं की सफल राजनीतिक सशक्तीकरण यात्रा में अहम भूमिका निभाई।

चुनौतियाँ	आगे की राह
तमिलनाडु और दिल्ली-NCR में हस्तशिल्प एवं खाद्य पदार्थ बनाने वाले स्वयं सहायता समूह निम्नस्तरीय पैकेजिंग, ब्रांडिंग तथा बिक्री संवर्द्धन से जूझ रहे हैं, जिससे बड़े शहरी बाज़ारों तक उनकी पहुँच सीमित हो गई है।	बाज़ार पहुँच को बढ़ावा देने के लिये, सरकार GeM व क्लस्टर विकास जैसे ई-कॉमर्स संबंधों को बढ़ावा दे रही है तथा आठ 'वोकल फॉर लोकल' GeM आउटलेट स्टोर्स की शुरुआत कर रही है, जो स्टार्टअप्स एवं स्वयं सहायता समूहों को व्यापक बाज़ारों तक पहुँचने और बिक्री बढ़ाने में मदद करते हैं।
कई स्वयं सहायता समूहों को विलंब और अपर्याप्त ऋण प्रवाह का सामना करना पड़ता है; उदाहरण के लिये, हरियाणा में सदस्यों ने बैंक अधिकारियों की उदासीनता और पात्र समूहों के लिये खाते खोलने या ऋण प्रक्रिया करने से अस्वीकृति की शिकायत की।	डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्मों का विस्तार किया जाना चाहिये, MSME समाधान पोर्टल के माध्यम से बेहतर ऋण लक्ष्यीकरण के लिये SHG डेटा को आधार एवं GSTIN के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
वित्तीय साक्षरता में पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव, उदाहरण के लिये; एर्नाकुलम ज़िले (केरल) में, केवल 54% SHG सदस्यों को UPI जैसे डिजिटल भुगतान टूल के बारे में जानकारी थी, जो डिजिटल वित्तीय साक्षरता में अंतर को दर्शाता है।	डिजिटल उपकरणों और वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये, झारखंड में डिजिटल दीदियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वेच्छा से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दे रही हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष

SHG ने ग्रामीण गरीबों के बीच परिसंपत्ति सृजन और आय सुरक्षा को सक्षम करने में एक परिवर्तनकारी दोहरी भूमिका का प्रदर्शन किया है। नीति समर्थन, क्षमता निर्माण एवं समावेशी शासन के माध्यम से इन समूहों को सशक्त करना भारत के समावेशी विकास तथा ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : भारत में महिला सशक्तीकरण के लिये जेंडर बजटिंग किस सीमा तक प्रभावी साबित हो सकता है? इसकी वर्तमान स्थिति और सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक शर्तों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- जेंडर बजटिंग और महिलाओं को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका को परिभाषित कीजिये, विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में, जहाँ लैंगिक असमानताएँ निरंतर बनी हुई हैं।
- संरचनात्मक असंतुलन को ठीक करने पर इसके प्रभाव, भारत में वर्तमान स्थिति और प्रभावी कार्यान्वयन के लिये प्रमुख आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत में वर्ष 2005-06 में शुरू की गई जेंडर बजटिंग, लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये बजट प्रक्रिया में लैंगिक दृष्टिकोण के अनुप्रयोग को संदर्भित करती है। महिलाओं की आबादी 48% से अधिक है, इसलिये जेंडर बजटिंग एक महत्त्वपूर्ण नीति उपकरण के रूप में कार्य करती है।

मुख्य भाग:

सशक्तीकरण में जेंडर बजट की भूमिका:

- समतामूलक संसाधन आवंटन: लैंगिक बजट महिला-केंद्रित कार्यक्रमों के लिये समर्पित वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करता है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है।
  - जेंडर बजट आवंटन में निरंतर वृद्धि हुई है, वर्ष 2025-26 में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किया गया है, जो लैंगिक असमानताओं को कम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- आर्थिक सशक्तीकरण और समावेशन: जेंडर बजट शिक्षा और रोज़गार में लैंगिक आधारित असमानताओं को संबोधित करता है।
  - महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में 42% (वर्ष 2023-24) की वृद्धि के साथ, जेंडर बजटिंग कौशल भारत, DAY-NRLM जैसी रोज़गार और उद्यमिता योजनाओं के माध्यम से अग्रिम समावेशन का समर्थन करता है।
- सुरक्षा और समान अवसर: सुरक्षित शहर परियोजना जैसी पहलों के लिये निर्भया फंड का समर्थन महिलाओं की सुरक्षा को मज़बूत करने में जेंडर बजट की क्षमता को उज़ागर करता है।
  - जेंडर बजटिंग से महिला नेतृत्व को भी बढ़ावा मिलता है, जैसा कि स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं में देखा जा सकता है, जहाँ 81% से अधिक खाताधारक महिलाएँ हैं।

भारत में जेंडर बजटिंग की वर्तमान स्थिति:

- **विकास को प्रोत्साहन:** जेंडर बजट का विस्तार 49 मंत्रालयों तक कर दिया गया है, जिसमें रेलवे, बंदरगाह जैसे 12 नए मंत्रालय शामिल हैं, जिससे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से परे लैंगिक चिंताओं को मुख्यधारा में लाया जा रहा है।
- 14000 से अधिक महिला सहायता डेस्क स्थापित किये गए, जिनका नेतृत्व महिला अधिकारी करेंगी।
  - महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा के लिये 8 मेट्रो शहरों में सुरक्षित शहर परियोजनाएँ कार्यान्वित की गईं।
  - 20.5% MSME महिलाओं के नेतृत्व में हैं, जिसमें 27 मिलियन लोगों को रोज़गार मिला हुआ है।
- **चुनौतियाँ:** सभी मंत्रालयों में जेंडर बजटिंग सेल (GBC) नहीं हैं, तथा कुल अनुदान का 30% से भी कम हिस्सा जेंडर बजटिंग विवरण में दर्शाया जाता है।

प्रभावी कार्यान्वयन के लिये मुख्य आवश्यकताएँ

- **समय पर उपयोग और जवाबदेही:** निर्भया फंड का 76% उपयोग किया जा चुका है और उपयोग प्रमाणपत्रों में विलंब से संपूर्ण जवाबदेही तय करने में बाधा आती है। जेंडर बजट स्टेटमेंट और ई-श्रम पोर्टल जैसे उपकरण योजना के प्रभाव की निगरानी और आकलन में सहायता करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **क्षमता निर्माण:** बेहतर योजना और कार्यान्वयन के लिये जेंडर बजटिंग सेल (GBC) के माध्यम से मंत्रालयों और राज्य विभागों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- वित्त तक आसान पहुँच: महिलाओं को संपार्श्व-मुक्त ऋण, वैकल्पिक ऋण जाँच और वित्तीय साक्षरता (जैसे, KCC, मुद्रा योजना) से लाभ होता है, श्रमिक पंजीकरण सामाजिक सुरक्षा और रोज़गार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष:

भारत में जेंडर बजटिंग महिला-केंद्रित पहलों के लिये संसाधनों का आवंटन करके महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निरंतर ध्यान और प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, यह SDG-5 (लैंगिक समानता) को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जिससे सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिये समान विकास सुनिश्चित हो सके।

प्रश्न : भारत के आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन में MSME की भूमिका का परीक्षण कीजिये। MSME क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- MSME का परिचय दीजिये तथा भारत के आर्थिक विकास में उनके महत्त्व को समझाइयें।
- सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और रोज़गार में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिये, उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिये नीतिगत उपाय सुझाइये।
- उपर्युक्त निष्कर्ष निकालें।

परिचय:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारत की आर्थिक वृद्धि और रोज़गार सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5.93 करोड़ पंजीकृत इकाइयों के साथ, वे विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण, निर्यात और समावेशी आजीविका में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

मुख्य भाग:

आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन में MSME की भूमिका

- **रोज़गार सृजन और लैंगिक समानता:** MSME क्षेत्र 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान करता है, जिससे यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार प्रदाता बन गया है। यह व्यापक रूप से रोज़गार सृजन गरीबी उन्मूलन और सामाजिक स्थिरता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - पीएम विश्वकर्मा और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं ने सूक्ष्म उद्यमों और स्वरोज़गार को बढ़ावा दिया है, जिसमें 20.5% उद्यम पंजीकरण और 68% मुद्रा ऋण महिलाओं को समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है।
- **जीडीपी वृद्धि में योगदान:** एमएसएमई भारत के जीडीपी में लगभग 30% और विनिर्माण उत्पादन में 45% का योगदान करते हैं।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना:** ग्रामीण एमएसएमई स्थानीय नौकरियों का सृजन करके और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को समर्थन देकर पलायन को कम करते हैं।
  - प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और आत्मनिर्भर भारत कोष ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देते हैं। पशुपालन ऋण गारंटी योजना (2023) पशुधन एमएसएमई को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है, जिससे भारत के डेयरी और मांस क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है।
- **निर्यात को बढ़ावा देना:** 2023-24 में भारत के निर्यात में एमएसएमई उत्पादों की हिस्सेदारी 45.73% होगी। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी सरकारी पहलों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एमएसएमई की भागीदारी को मजबूत किया है।

एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **औपचारिकता और वित्तीय बाधाएं:** बड़ी संख्या में एमएसएमई अनौपचारिक रूप से काम करते हैं, जिससे औपचारिक ऋण, बीमा, सामाजिक सुरक्षा लाभ और सरकारी प्रोत्साहन तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- केवल 20% एमएसएमई को औपचारिक ऋण तक पहुंच है। कई अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं, जिससे लागत बढ़ जाती है और विकास सीमित हो जाता है।
  - सीजीटीएमएसई जैसी योजनाओं के बावजूद, 6.3 करोड़ एमएसएमई में से केवल 2.5 करोड़ ने ही औपचारिक ऋण का लाभ उठाया है।

- **विनियामक बोझ:** एमएसएमई को श्रम, कराधान और पर्यावरण अनुपालन में जटिल विनियामक प्रक्रियाओं और अतिव्यापी कानूनों से जूझना पड़ता है , जो व्यावसायिक दक्षता और नवाचार में बाधा डालते हैं।
- **कुशल कार्यबल की कमी:** अधिकांश एमएसएमई पुरानी तकनीक का उपयोग करते हैं, जिनमें से केवल 45% एआई के किसी न किसी रूप को अपनाते हैं और मात्र 6% बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं। इससे उत्पादकता और बाज़ार पहुँच सीमित हो जाती है।
- **बुनियादी ढांचे की बाधाएं:** खराब सड़क और रेल संपर्क, उच्च रसद लागत (जीडीपी का 14-18% बनाम वैश्विक बेंचमार्क 8%), लगातार बिजली कटौती और औद्योगिक पार्कों की कमी एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है, विशेष रूप से प्रमुख औद्योगिक राज्यों के बाहर।
- **पर्यावरण अनुपालन दबाव:** भारतीय एमएसएमई सालाना लगभग 110 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जित करते हैं । वैश्विक ईएसजी मानदंडों और कार्बन करों, जैसे कि यूरोप के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, का अनुपालन विशेष रूप से निर्यात-उन्मुख इकाइयों के लिए चुनौतियां पेश करता है।

चुनौतियों से निपटने के उपाय

- **औपचारिक ऋण पहुंच को मजबूत करना:** एमएसएमई के लिए ऋण पहुंच बढ़ाने के लिए, फिनटेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त ऋण का विस्तार किया जाना चाहिए।
  - मुद्रा और सीजीटीएमएसई योजनाओं को एकीकृत किया जाना चाहिए, तथा एमएसएमई समाधान पोर्टल के माध्यम से भुगतान की समयसीमा को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
  - बेहतर नीति निर्धारण के लिए एमएसएमई डेटा को जीएसटीआईएन और आधार के साथ एकीकृत करें।
- **विनियामक सरलीकरण:** एमएसएमई के लिए विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एकल-खिड़की निकासी प्रणाली लागू की जानी चाहिए।
  - विनियमन को कम करने के लिए आरएएमपी योजना को मजबूत किया जाना चाहिए, तथा तीव्र शिकायत निवारण के लिए राज्य स्तरीय एमएसएमई सुविधा परिषदों की स्थापना की जानी चाहिए।
- **बाजार पहुंच को बढ़ावा देना:** एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देना, मुक्त व्यापार समझौतों और क्लस्टर विकास का लाभ उठाना, ओएनडीसी और जीईएम के माध्यम से ई-कॉमर्स एकीकरण को बढ़ाना और वैश्विक बाजार पहुंच के लिए रियायती ब्रांडिंग और प्रमाणन प्रदान करना।
- **प्रौद्योगिकी अपनाना:** समर्पित एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करना, प्रशिक्षुता और कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करना, डिजिटल एमएसएमई 2.0 पहल को आगे बढ़ाना और एआई, आईओटी और स्वचालन को अपनाने को बढ़ावा देना।
- **बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार:** कच्चे माल के बैंकों का विकास और प्रमुख इनपुट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से बुनियादी ढांचे की खामियों को दूर करने में मदद मिल सकती है।
  - वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना तथा क्लस्टर आधारित खरीद और थोक खरीद सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

एमएसएमई की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने तथा सतत, समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत सुधार, डिजिटल अपनाने, बाजार विस्तार और संवर्धित संस्थागत समर्थन से युक्त एक समन्वित दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : आतंकवाद से निपटने में भारतीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये। वर्तमान चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में, क्या समन्वय को बढ़ाने के लिये संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- आतंकवाद से निपटने में खुफिया एजेंसियों की भूमिका का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- मौजूदा खुफिया एजेंसियों पर चर्चा कीजिये, आतंकवाद का मुकाबला करने में इन एजेंसियों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान कीजिये तथा बेहतर समन्वय के लिये सुधार संबंधी सुझाव भी दीजिये।
- उपर्युक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत की खुफिया एजेंसियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने, विशेष रूप से आतंकवाद का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रॉ (RAW), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) जैसी संस्थाएँ आसूचना एकत्रण और आतंकवाद-विरोधी अभियानों में अग्रणी हैं। हालाँकि इन्हें कई सफलताएँ मिली हैं, लेकिन खराब समन्वय जैसी चुनौतियाँ इनकी कार्यक्षमता में बाधक बनी हुई हैं।

आतंकवाद से निपटने में भारतीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका:

- **खुफिया जानकारी एकत्र करना और विश्लेषण:** RAW बाहरी आसूचना एकत्र करने के लिये उत्तरदायी है, जिसका मुख्य फोकस पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से उत्पन्न खतरों, तथा लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे आतंकी संगठनों पर रहता है। ये वही समूह हैं जिन्होंने वर्ष 2001 संसद हमले और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था।
  - IB घरेलू आतंकी नेटवर्क्स पर नजर रखती है, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) जैसे संगठन शामिल हैं।
  - वर्ष 2009 में स्थापित, NIA का कार्य आतंकवाद-संबंधी अपराधों (जैसे बम विस्फोट और बम धमकियों) की जाँच करना और दोषियों को सजा दिलाना है।
- **निवारक उपाय:** खुफिया एजेंसियाँ संचार को रोकने (कॉल इंटरसेप्शन) और सामरिक बलों की तैनाती सहित निवारक कार्यवाहियाँ करने के लिये आसूचना सूचनाओं का उपयोग करती हैं, ताकि हमले होने से पहले ही उन्हें विफल किया जा सके।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) जैसी एजेंसियाँ, खुफिया जानकारी के आधार पर, वर्ष 2008 के मुंबई हमलों जैसी बड़ी आतंकवादी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देती हैं, ताकि तत्काल खतरों को बेअसर किया जा सके।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** भारतीय खुफिया एजेंसियाँ CIA (अमेरिका) और मोसाद (इज़रायल) जैसी वैश्विक समकक्षों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क पर नज़र रखने, खुफिया जानकारी साझा करने और विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद के संबंध में संयुक्त अभियान चलाने के लिये कार्य करती हैं।

भारतीय खुफिया एजेंसियों के समक्ष चुनौतियाँ:

- **समन्वय की कमी:** समन्वय बढ़ाने के लिये मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) की स्थापना के बावजूद, केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसियों के बीच अंतराल बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप भूमिकाओं में दोहराव और महत्त्वपूर्ण अवसरों की हानि होती है।
  - एजेंसियां प्रायः अलग-अलग कार्य करती हैं, जिससे समग्र खुफिया प्रणाली कमज़ोर हो जाती है।
- **अपर्याप्त तकनीकी क्षमताएँ:** भारत की खुफिया एजेंसियों को साइबर आतंकवाद और ऑनलाइन अक्षमता से निपटने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - NTRO और DIA जैसी एजेंसियाँ अभी भी बड़े डेटा निगरानी की जटिलताओं के अनुकूल होने में लगी हुई हैं, तथा वास्तविक समय की खुफिया जानकारी प्राप्त करने का कार्य अभी भी प्रगति पर है।
  - इसके अलावा, डेटा विश्लेषकों, साइबर विशेषज्ञों और भाषा विशेषज्ञों जैसे विशेषज्ञ तकनीकी जनशक्ति की कमी भी चुनौती को बढ़ा देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **नौकरशाही संबंधी बाधाएँ:** नौकरशाही संबंधी लालफीताशाही के कारण निर्णय लेने में काफी देरी होती है तथा खुफिया सूचनाओं के त्वरित प्रसार एवं कार्रवाई में बाधा उत्पन्न होती है, विशेषकर उच्च-स्तरीय आतंकविरोधी अभियानों के दौरान।
- **जनशक्ति की कमी:** भर्ती संबंधी समस्याएँ और कैडर प्रबंधन की खामियाँ इन अंतरालों को और बढ़ा देती हैं।
  - अधिकांश एजेंसियाँ पुलिस और सेना के प्रतिनिधिमंडलों पर निर्भर रहती हैं, जिसके कारण आधुनिक खुफिया कार्यों, जैसे साइबर सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिये आवश्यक विशेष प्रशिक्षण वाले समर्पित खुफिया अधिकारियों का आभाव है।

संरचनात्मक सुधार और बेहतर समन्वय की आवश्यकता:

- **संस्थागत सुधार:** सभी खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच निर्बाध और त्वरित डेटा साझाकरण की सुविधा के लिये राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) को उन्नत किया जाना चाहिये।
- इससे विभिन्न खुफिया एजेंसियों के कार्यों को केंद्रीकृत किया जा सकेगा, जिससे वास्तविक समय में सूचना साझा करने में सुधार होगा।
  - कारगिल समीक्षा समिति (1999) ने सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये बेहतर खुफिया जानकारी साझा करने और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की सिफारिश की थी।
- **साइबर इंटेलिजेंस:** इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर साइबर सुरक्षा और बड़े डेटा एनालिटिक्स में। इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत हासिल किया जा सकता है।
- भारत साइबर-आतंकवादी खतरों का पता लगाने के लिये चेहरे की पहचान और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण जैसी AI-संचालित निगरानी प्रणालियों को एकीकृत करके लाभान्वित हो सकता है।
- **मानव संसाधन अनुकूलन:** साइबर सुरक्षा, तकनीकी विश्लेषण और भाषा विशेषज्ञता जैसे विशिष्ट कौशल वाले कर्मियों की भर्ती के लिये एक समर्पित खुफिया कैडर की स्थापना करना।
- शैक्षिक संस्थानों और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साझेदारी से उभरते खतरों से निपटने में सक्षम कुशल कार्यबल तैयार करने में मदद मिलेगी।
- **निरीक्षण तंत्र:** एक संरचित खुफिया निरीक्षण को जवाबदेही के लिये वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों की एक राष्ट्रीय खुफिया निरीक्षण समिति (NIOC) की स्थापना करनी चाहिये, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) रणनीतिक तथा आंतरिक सुरक्षा पर अपनी सलाहकार भूमिका जारी रखेगा।

निष्कर्ष:

खुफिया कार्य के लिये अधिक एकीकृत दृष्टिकोण, साथ ही एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, भारत को आतंकवाद की उभरती प्रकृति से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम बनाएगा। दीर्घकालिक सुधारों के लिये प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व इन परिवर्तनों को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि भारत की खुफिया एजेंसियाँ भविष्य में आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें।

जैव विविधता और संरक्षण

प्रश्न : आर्द्रभूमि पर्यावरण में क्या भूमिका निभाती है? भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों के संदर्भ में रामसर अभिसमय के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिये? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- आर्द्रभूमि और उनके पारिस्थितिक महत्त्व को परिभाषित कीजिये।
- रामसर कन्वेंशन के दृष्टिकोण और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिये इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिये।
- आर्द्रभूमि के महत्त्व और निरंतर संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता बताते हुए निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

आर्द्रभूमि महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जहाँ जल मृदा को संतृप्त करता है, जिससे विविध पौधे और पशु जीवन का समर्थन होता है। ये आवश्यक पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं। रामसर कन्वेंशन (1971) आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत् उपयोग को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

आर्द्रभूमि का पारिस्थितिक महत्त्व:

- **जैव-विविधता हॉटस्पॉट:** आर्द्रभूमि विविध पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करती हैं, जिनमें वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ शामिल हैं, जिसमें प्रवासी पक्षी, जलीय पौधे और उभयचर शामिल हैं, जो जैव-विविधता के रखरखाव में योगदान करते हैं।
- **कार्बन पृथक्करण:** पृथ्वी के भू-पृष्ठ के केवल 5-8% हिस्से को कवर करने के बावजूद, आर्द्रभूमि पृथ्वी की मृदा के कार्बन का लगभग 20-30% संग्रहीत करती है।
  - कार्बन अवशोषण की यह उच्च दर जलभराव की स्थिति का परिणाम है, जो अपघटन को धीमा कर देती है, जिससे कार्बनिक पदार्थों का संचयन हो जाता है।
    - उदाहरण के लिये पीटलैंड भू-पृष्ठ के लगभग 3% हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन विश्व के लगभग एक तिहाई कार्बन को संग्रहीत करते हैं, जो विश्व के सभी वनों में संग्रहीत कार्बन की मात्रा से दोगुना है।
- **जल निस्यंदन:** आर्द्रभूमि प्राकृतिक जल निस्यंदन के रूप में कार्य करती हैं, जो अतिरिक्त पोषक तत्वों, भारी धातुओं और अवसाद जैसे प्रदूषकों को अवशोषित और विघटित करती हैं, जिससे जल की गुणवत्ता में सुधार होता है और नीचे की ओर स्थित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा होती है।
- **बाढ़ नियंत्रण:** अतिवृष्टि के दौरान वेटलैंड्स अतिरिक्त जल को सोखकर प्राकृतिक स्पंज की तरह कार्य करते हैं, जिससे बाढ़ का खतरा कम होता है। इससे भूजल पुनर्भरण और जल चक्र को बनाए रखने में मदद मिलती है।
  - आर्द्रभूमियाँ विभिन्न समुदायों की आजीविका के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से मत्स्यगृह, कृषि और पर्यटन जैसी गतिविधियों के लिये।

रामसर कन्वेंशन का दृष्टिकोण:

- **'बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग' दृष्टिकोण:** रामसर सम्मेलन द्वारा 'बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग' दृष्टिकोण पारिस्थितिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आर्द्रभूमि संसाधनों के संरक्षण और सतत् उपयोग पर ज़ोर देता है।

भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयास:

- फरवरी 2025 तक, भारत ने 89 रामसर स्थलों को नामित किया है, जो 1.5 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं।
  - सुंदरबन, केवलादेव और चिल्का जैसे प्रमुख स्थल भारत की समृद्ध आर्द्रभूमि जैव-विविधता को उजागर करते हैं।
- राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण संरक्षण और सतत् उपयोग के लिये मार्गदर्शन करते हैं।
  - राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना प्रदूषण नियंत्रण और आवासन पुनरुद्धार के माध्यम से क्षीण हो चुकी आर्द्रभूमि को बहाल करने पर केंद्रित है।

निष्कर्ष:

अपने विधिक ढाँचे, सामुदायिक सहभागिता और पुनरुद्धार पहलों के माध्यम से रामसर कन्वेंशन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, भावी पीढ़ियों के लिये इन अमूल्य पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है।

प्रश्न : पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने में भारत की जलवायु परिवर्तन नीतियों की प्रभावशीलता पर चर्चा करें। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं और एनडीसी लक्ष्यों का परिचय दें
- भारत की प्रगति और एनडीसी के साथ संरेखित प्रमुख नीतियों और पहलों की रूपरेखा तैयार करना
- उचित निष्कर्ष निकालें।

परिचय:

पेरिस समझौते के तहत भारत के एनडीसी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन से निपटने की उसकी प्रतिबद्धता को

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

दर्शाते हैं। भारत ने 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने (2005 के स्तर से), 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने , 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक बढ़ाने और वनरोपण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन CO_2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का संकल्प लिया है (भारत का अद्यतन एनडीसी, 2022)।

शरीर:

एनडीसी की दिशा में भारत की प्रगति

- **नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार:** नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है, और इसकी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट (मार्च 2025) तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष 198.75 गीगावाट थी, जो ' पंचामृत' लक्ष्यों के तहत 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन लक्ष्य की ओर स्थिर प्रगति को दर्शाता है।
  - यह तीव्र वृद्धि, विद्युत उत्पादन में 50% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक है।
- **उत्सर्जन तीव्रता में कमी:** भारत ने 2005 और 2020 के बीच अपनी उत्सर्जन तीव्रता में लगभग 29% की कमी कर ली है , जो कि 2030 के लिए निर्धारित 33-35% के लक्ष्य से काफी आगे है।
  - भारत, जहां प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में काफी कम है, "साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों" के सिद्धांत पर जोर देता है , तथा उत्सर्जन में कमी के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- **वन क्षेत्र:** भारत का लक्ष्य अपने भौगोलिक क्षेत्र के वन एवं वृक्ष क्षेत्र को 33% तक बढ़ाना है, जिससे कार्बन अवशोषण क्षमता में वृद्धि होगी।
  - सक्रिय वनरोपण और संरक्षण कार्यक्रम अनुमानित 2.5-3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य कार्बन सिंक में योगदान करते हैं।
- **जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ:** जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन बनाने के लिए कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य और तटीय क्षेत्र प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

भारत के प्रयास एनडीसी के अनुरूप

नीति/पहल	फोकस क्षेत्र
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2008)	आठ मिशनों में सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ आवास, जल, हिमालय, हरित भारत, टिकाऊ कृषि और जलवायु ज्ञान को शामिल किया गया है।
जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी)	जलवायु प्रभावों के अनुकूल ढलने में संवेदनशील क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना।
मिशन लाइफ	2028 तक 80% गांवों और शहरी निकायों में पर्यावरण-अनुकूल शासन के लिए 1 बिलियन भारतीयो को संगठित करना ।
जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएँ (एसएपीसीसी)	राज्य-विशिष्ट चुनौतियों के अनुरूप अनुकूलित जलवायु कार्य योजनाएँ।
पीएटी योजना और उजाला कार्यक्रम	बाजार तंत्र और व्यापक एलईडी अपनाने के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देता है।
फेम-II योजना	2030 तक नई बिक्री में 30% ईवी हिस्सेदारी का लक्ष्य रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का समर्थन किया गया।
हरित भारत मिशन	वन क्षेत्र को बढ़ाकर 24.56% किया गया, जिससे कार्बन सिंक और पारिस्थितिकी संतुलन में सुधार हुआ।

निष्कर्ष:

भारत की जलवायु परिवर्तन नीतियाँ पेरिस समझौते के तहत अपने NDCs को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति दर्शाती हैं। हालाँकि, इस प्रगति को बनाए रखने और तेज़ करने के लिए विकास प्राथमिकताओं, प्रौद्योगिकी पहुँच, ऊर्जा की कमी और शासन से संबंधित चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। अनुकूलन को मज़बूत करना, सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को गहरा करना भारत के जलवायु लचीलेपन और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रश्न : अंतरिक्ष के व्यावसायीकरण और बढ़ती निजी भागीदारी ने एक नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है। भारत के लिये इसके महत्त्व की विवेचना कीजिये तथा विकसित हो रहे इस पारिस्थितिकी तंत्र में ISRO की भूमिका को भी रेखांकित कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण

- अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिये और विवेचना कीजिये कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार- 2020 ने निजी भागीदारी को किस प्रकार सक्षम किया है।
- भारत के लिये इसके महत्त्व पर चर्चा कीजिये, ISRO की भूमिका को रेखांकित करते हुए इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों के साथ-साथ आवश्यक उपायों का भी परीक्षण कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग तेज़ी से बढ़ते व्यावसायीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ विकसित हो रहा है, जिससे एक गतिशील नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रवृत्ति के अनुरूप, भारत के वर्ष 2020 अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों ने निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को सक्षम किया, जिससे विकास में तीव्रता आई, नवाचार को बढ़ावा मिला तथा रणनीतिक और आर्थिक क्षमताओं को मज़बूती मिली।

मुख्य भाग:

भारत के लिये नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का महत्त्व:

- **आर्थिक विकास और बाज़ार विस्तार:** भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अगले पाँच वर्षों में लगभग 48% की CAGR से बढ़ने का अनुमान है, जिसका लक्ष्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मार्केट साइज़ तक विस्तार करना है।
  - यह क्षेत्र निजी निवेश को आकर्षित कर रहा है, MGF-कवच जैसे उद्यम पूंजी कोष ने पिछले तीन वर्षों में 2,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिससे नवाचार एवं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिला है।
- **आयात निर्भरता में कमी:** वर्तमान में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी घटकों (जैसे: इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्बन फाइबर और सोलर सेल) के लिये भारत की आयात लागत इस क्षेत्र में उसके निर्यात आय से बारह गुना अधिक है।
  - स्वदेशी अंतरिक्ष स्टार्टअप और निजी भागीदारों को बढ़ावा देने से इस निर्भरता को कम किया जा सकता है, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है तथा आत्मनिर्भरता का निर्माण किया जा सकता है।
- **मांग-संचालित मॉडल की ओर बदलाव:** सरकार के नेतृत्व वाले मिशनों पर केंद्रित पारंपरिक आपूर्ति-संचालित मॉडल के विपरीत, निजी भागीदारी एक मांग-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाती है, जहाँ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियाँ सीधे वाणिज्यिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जिसमें स्मार्ट शहरों एवं परिशुद्ध कृषि के लिये उपग्रह डेटा का उपयोग भी शामिल है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता:** SpaceX और ब्लू ओरिजिन जैसी अंत र्राष्ट्रीय कंपनियों ने लागत एवं समय में भारी कटौती करके अंतरिक्ष तक अभिगम में क्रांतिकारी बदलाव किया है।
  - POEM कार्यक्रम जैसी पहलों के साथ PSLV प्रक्षेपणों पर स्टार्टअप पेलोड में वृद्धि (वर्ष 2022 में 6 से वर्ष 2024 में 24 तक), भारत स्वयं को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में स्थापित कर रहा है।
- **सामाजिक और रणनीतिक लाभ:** निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने, आपदा मोचन हेतु तैयारी और पर्यावरणीय निगरानी जैसी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने वाले नवीन समाधान विकसित होते हैं।
  - इससे ISRO को उच्चस्तरीय सामरिक और अंतर-ग्रहीय अनुसंधान पर भी ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल रही है।

विकासशील पारिस्थितिकी तंत्र में ISRO की भूमिका:

- **उत्प्रेरक और सुविधाकर्त्ता:** ISRO, IN-SPACe के माध्यम से, निजी क्षेत्र को बुनियादी अवसंरचना और विनियामक सहायता तक अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। यह स्टार्टअप और SME को स्वतंत्र रूप से एंड-टू-एंड अंतरिक्ष गतिविधियों को अंतिम रूप देने में सक्षम बनाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **विनियामक और सक्षमकर्त्ता:** ISRO और अंतरिक्ष विभाग (DoS) अंतरिक्ष संसाधनों के सुरक्षित व कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये विनियामक के रूप में कार्य करते हैं
  - भारतीय अंतरिक्ष नीति- 2023 जैसी स्पष्ट नीतियों के माध्यम से गैर-सरकारी निजी संस्थाओं (NGPE) को बढ़ावा दिया गया, जो स्वचालित मार्ग के तहत उपग्रह निर्माण और संचालन में 74% FDI की अनुमति देता है।
- **सहयोग और साझेदारी:** ISRO प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यिक उत्पादन के लिये निजी कंपनियों के साथ साझेदारी करता है, जिसका उदाहरण NSIL, HAL, L&T तथा स्काईरूट एयरोस्पेस व अग्निकुल कॉसमॉस जैसे स्टार्टअप हैं, जिन्होंने भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करने जैसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
- **क्षमता निर्माण:** ISRO अटल इनोवेशन मिशन के ATL स्पेस चैलेंज, अंतरिक्ष तकनीक इनक्यूबेटर और IN-SPACe के माध्यम से सेवानिवृत्त विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन जैसी पहलों के माध्यम से निजी अंतरिक्ष विकास का समर्थन करता है।
  - यह प्रक्षेपण वाहनों और ग्राउंड स्टेशनों जैसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना तक भी पहुँच प्रदान करता है।
- **मुख्य अनुसंधान पर ध्यान:** निजी भागीदारों को वाणिज्यिक प्रक्षेपण और उपग्रह उत्पादन के प्रबंधन में सक्षम बनाकर, ISRO अंतर-ग्रहीय मिशनों, गहन अंतरिक्ष अन्वेषण एवं रणनीतिक प्रक्षेपणों में उन्नत अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिससे भारत का अंतरिक्ष नेतृत्व बढ़ सकता है।

स्टार्टअप और निजी भागीदारी को बढ़ावा देने में चुनौतियाँ:

- **नियामक बाधाएँ:** अनुमोदन में ओवरलैपिंग और स्वतंत्र नियामक का अभाव; ISRO ऑपरेटर एवं नियामक दोनों के रूप में कार्य करता है।
- **उच्च जोखिम एवं अनिश्चितता:** लंबी परिपक्वता अवधि और अनिश्चित बाज़ार निजी निवेश को बाधित करते हैं।
- **वित्तपोषण संबंधी मुद्दे:** भारतीय निवेशक अंतरिक्ष तकनीक जैसे जोखिम भरे क्षेत्रों की तुलना में 5G जैसे सुरक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे निजी वित्तपोषण सीमित हो जाता है।
  - ISRO का मामूली बजट, PM-किसान जैसी योजनाओं के एक चौथाई से भी कम है, जो इसके विकास को बाधित करता है।
- **आयात पर निर्भरता:** भारत प्राय: उन्नत अंतरिक्ष-संबंधी सेवाओं और प्रौद्योगिकियों का आयात करता है, जबकि कम कौशल, कम मूल्य वाली वस्तुओं का निर्यात करता है या उन पर निर्भर रहता है, जिससे घरेलू उच्च मूल्य वाली क्षमताओं में अंतर उजागर होता है।
- **अंतरिक्ष मलबा एवं सुरक्षा चिंताएँ:** निजी गतिविधियों में वृद्धि से विदेशी हस्तक्षेप और रणनीतिक खतरों जैसी चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
  - अंतरिक्ष में बढ़ता मलबा उपग्रह सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि टकराव से महत्त्वपूर्ण अंतरिक्ष परिसंपत्तियाँ नष्ट हो सकती हैं।

आगे की राह:

- **अंतरिक्ष गतिविधियों के लिये अधिनियम लागू करना:** कानूनी स्पष्टता प्रदान करने और उद्योग के विकास को समर्थन देने के लिये एक समर्पित अंतरिक्ष गतिविधियाँ अधिनियम लागू किया जाना चाहिये।
- **मूल्य शृंखला मानचित्रण:** अंतराल की पहचान करने, वैश्विक स्तर पर बेंचमार्क करने और बाज़ार संचालित समाधानों को आकार देने के लिये विभिन्न खंडों का विश्लेषण किया जाना चाहिये।
- **सरकारी सहायता:** मांग को प्रोत्साहित करने और व्यापार मॉडल को मान्य करने के लिये स्टार्टअप को अनुबंध प्रदान किया जाना चाहिये। वित्तपोषण तंत्र को बेहतर बनाने के साथ ही निवेशकों के बीच जोखिम से बचने की प्रवृत्ति को कम करने के प्रयास किये जाने चाहिये।
- **क्षमता निर्माण:** शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये, विशेष रूप से सिस्टम इंजीनियरिंग एवं अंतरिक्ष तकनीक में।
- **क्षेत्रगत तालमेल:** विशेषज्ञता और बाज़ार अभिगम के लिये स्टार्टअप्स, ISRO और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अतिरिक्त उपाय:** प्रौद्योगिकी विकास निधि का विस्तार किया जाना चाहिये, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण शुरू किया जाना चाहिये तथा पूंजी तक पहुँच में सुधार किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

अंतरिक्ष का व्यावसायीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी भारत के वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के नेतृत्वकर्त्ता के रूप में उभरने के लिये महत्त्वपूर्ण है। सुविधाकर्त्ता, विनियामक और नवप्रवर्तक के रूप में ISRO की उभरती भूमिका एक जीवंत अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है जो राष्ट्र को आर्थिक, सामाजिक एवं रणनीतिक लाभ प्रदान करती है।

आपदा प्रबंधन

प्रश्न : राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (NCRMP) किस प्रकार तटीय राज्यों में संवेदनशीलता को कम करने में योगदान प्रदान करती है ? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- NCRMP और इसके उद्देश्यों का परिचय दीजिये।
- परियोजना द्वारा क्रियान्वित प्रमुख घटकों और रणनीतियों पर चर्चा कीजिये तथा भेद्यता को कम करने में NCRMP के प्रभाव पर प्रकाश डालिये।
- उपर्युक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (NCRMP) चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाकर भारत के तटीय राज्यों की भेद्यता को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दो चरणों में क्रियान्वित की जाने वाली यह परियोजना चक्रवात-प्रवण क्षेत्रों में प्रमुख बुनियादी ढाँचे के निर्माण और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार पर केंद्रित है।

NCRMP के घटक:

- **प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणालियाँ (EWDS):** NCRMP ने अत्याधुनिक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ स्थापित की हैं, जिनमें विश्वसनीय संचार प्रदान करने के लिये चेतावनी सायरन, उपग्रह रेडियो और जन संदेश शामिल हैं।
  - ये प्रणालियाँ आपदा की स्थितियों में लास्ट-मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती हैं, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक और केरल में।
- **बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना:** NCRMP भूमिगत विद्युत केबल बिछाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिससे चक्रवाती क्षति के प्रति महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की संवेदनशीलता कम हो जाती है।
  - उदाहरण के लिये, चक्रवातों के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये 1,387.76 किलोमीटर भूमिगत विद्युत केबल बिछाई गई है।
- **चक्रवात जोखिम शमन अवसंरचना (CRMI):** इस परियोजना में बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रयों (MPCS), सड़कों, पुलों और लवण युक्त तटबंधों का निर्माण शामिल है, जो तटीय समुदायों की अनुकूलता को काफी हद तक बढ़ाता है।
  - कुल 795 MPCS का निर्माण किया गया है, जो चक्रवातों के दौरान समुदायों के लिये सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराते हैं।
- **समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन:** इस परियोजना में व्यापक क्षमता निर्माण पहल, प्राथमिक चिकित्सा और आश्रय प्रबंधन जैसे आपदा प्रतिक्रिया कौशल में 68,000 से अधिक सामुदायिक प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

भेद्यता न्यूनीकरण पर NCRMP का प्रभाव:

- **आपदा प्रतिक्रिया समय में सुधार:** उन्नत चेतावनी प्रणालियों और मौसम निगरानी स्टेशनों की स्थापना से चक्रवात के खतरों के प्रति प्रतिक्रिया समय में काफी सुधार हुआ है, जिससे तेजी से निकासी संभव हुई है तथा हताहतों की संख्या में कमी आई है।
- **अनुकूल बुनियादी ढाँचे:** चक्रवात आश्रयों, तटबंधों और मज़बूत बुनियादी ढाँचे ने तटीय निवासियों को सुरक्षा प्रदान की है। इससे संपत्ति के नुकसान और मानव छति को काफी हद तक कम किया जा सका है।
- **समुदाय को मज़बूत बनाना:** व्यापक सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों और आपदा प्रतिक्रिया अभ्यासों के माध्यम से, NCRMP ने स्थानीय आबादी को आपात स्थितियों के दौरान खुद को बचाने के लिये ज्ञान और उपकरणों से सशक्त बनाया है, जिससे समुदाय की अस्तुकूलता में सुधार हुआ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- NCRMP द्वारा मत्स्य पालन, कृषि और पर्यटन जैसे आजीविका स्रोतों को मज़बूती प्रदान की गई है, जो चक्रवाती घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

- **स्थिरता और रखरखाव:** यह परियोजना प्रत्येक राज्य में चक्रवात आश्रय रखरखाव और प्रबंधन समितियों (CSMMC) के गठन के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देती है।
  - ये समितियां दीर्घकालिक रखरखाव के लिये कोष की स्थापना के माध्यम से चक्रवात आश्रयों के रखरखाव और परिचालन स्थिरता को सुनिश्चित करती हैं।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (NCRMP) ने तटीय राज्यों की संवेदनशीलता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, जलवायु परिवर्तन के अनुमानों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इस परियोजना को निरंतर विकसित होते रहना चाहिए, ताकि उभरते खतरों का समाधान तथा तटीय क्षेत्रों की सहनक्षमता (resilience) को और मज़बूत बनाया जा सके।

प्रश्न : भारतीय शहरों को प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। शहरी नियोजन एवं बुनियादी अवसंरचना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को एकीकृत करने की आवश्यकता की विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- शहरीकरण और बुनियादी अवसंरचना की चुनौतियों के कारण भारतीय शहरों के समक्ष बढ़ते आपदा जोखिमों को परिभाषित कीजिये।
- शहरी आपदा प्रबंधन में प्रमुख चुनौतियों और शहरी नियोजन में DRR को एकीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये तथा आपदा समुत्थान बढ़ाने के उपायों की रूपरेखा तैयार कीजिये।
- उपर्युक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारतीय शहरों में जनसंख्या और बुनियादी अवसंरचना में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जिससे बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ अग्नि और औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसे मानव निर्मित खतरों का जोखिम बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन में प्रगति के बावजूद, समुत्थानशीलता सीमित बनी हुई है, जिससे अनुकूल, सुरक्षित शहरों के निर्माण के लिये शहरी नियोजन में DRR को एकीकृत करना आवश्यक हो गया है।

मुख्य भाग:

शहरी आपदा प्रबंधन के समक्ष चुनौतियाँ:

- **तीव्र एवं अनियोजित शहरीकरण:** उचित विनियमन के बिना बाढ़ के मैदानों, आर्द्रभूमियों और भूकंपीय क्षेत्रों में विस्तार रहा है, जिससे आपदा जोखिम बढ़ रहा है।
- बेंगलुरु में बाढ़ की स्थिति अतिक्रमण और जल निकासी की अपर्याप्त क्षमता के कारण और भी गंभीर हो जाती है। यह शहरी नियोजन की खराब स्थिति को दर्शाता है, जिसमें बाढ़ क्षेत्र प्रबंधन जैसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों की अनदेखी की जाती है।
  - **भवन विनियमों का कमज़ोर प्रवर्तन:** कई शहरी संरचनाएँ भवन संहिताओं या ज़ोनिंग कानूनों का पालन करने में विफल रहती हैं।
    - गुजरात में मोरबी पुल का ढहना (2022) सुरक्षा मानकों की उपेक्षा के परिणामों को दर्शाता है।
- **विखंडित शासन प्रणाली:** आपदा प्रतिक्रिया और शहरी विकास की ज़िम्मेदारी कई एजेंसियों पर होती है, जिनके बीच सीमित समन्वय होता है, जिससे संकट के समय कार्यों में अकार्यक्षमता और अंतराल उत्पन्न होते हैं।
- **अपर्याप्त प्रारंभिक चेतावनी और संचार प्रणालियाँ:** आपदा चेतावनियाँ प्राय: कमज़ोर समुदायों, जैसे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों और हाशिये पर पड़े समूहों तक नहीं पहुँच पातीं, जिससे समय पर निकासी और तैयारी सीमित हो जाती है।
- प्रारंभिक चेतावनी के प्रसार और संपर्क की कमी के कारण बचाव कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए और वर्ष 2013 केदारनाथ बाढ़ के दौरान हताहतों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी (एनआईडीएम और आपदा के बाद के आकलन के अनुसार)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सार्वजनिक भागीदारी का अभाव:** शहरी निवासी प्राय: आपदा जोखिमों या तैयारी प्रथाओं के प्रति अनभिज्ञ या अनिच्छुक होते हैं, जिससे सामुदायिक अनुकूलता कम होती है तथा प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियाओं पर निर्भरता बढ़ती है।

शहरी नियोजन और बुनियादी अवसंरचना में DRR को एकीकृत करने की आवश्यकता:

- **व्यवस्थित जोखिम मूल्यांकन:** शहरी या नगरीय नियोजन को बाढ़ क्षेत्रों, भूकंपीय क्षेत्रों और जोखिमग्रस्त आबादी की पहचान करने के लिये व्यापक खतरे और भेद्यता मानचित्रण द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिये।
- PMAY जैसे कार्यक्रमों को आपदा-रोधी मानकों के अनुरूप झुग्गी-झोपड़ियों में आवासों के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिये, जिससे कमज़ोर समुदायों के लिये जोखिम कम हो सके।
- **स्थानीयकृत शहरी आपदा प्रबंधन योजनाएँ:** शहरों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार अधिक घनत्व वाली आबादी, बुनियादी अवसंरचना की सुरक्षा एवं परिवहन संबंधी समस्याओं जैसी चुनौतियों के अनुरूप आपदा प्रबंधन से संबंधित योजनाएँ शुरू की जानी चाहिये।
- जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितता से निपटने के लिये, उन्हें जल निकासी प्रणालियाँ, हरित अवसंरचना (जैसे: जल-संवेदनशील फुटपाथ, ग्रीन रूफ) और अक्षय ऊर्जा समाधान लागू करने चाहिये, ताकि हीटवेव और सूखे जैसे जोखिमों को कम किया जा सके, यह सब राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन (NAPCC) के अनुरूप होना चाहिये।
- **भवन निर्माण:** शहरी नियोजन विनियमों में निर्माण में आपदा-रोधी डिज़ाइन (भूकंप-रोधी संरचनाएँ, बाढ़ सुरक्षा) को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है, जिसे अनुमोदन से पहले ऑडिट द्वारा समर्थित किया जाना चाहिये।
- मॉडल बिल्डिंग कोड और ज़ोनिंग कानूनों में DRR को शामिल करने से शहरी बुनियादी अवसंरचना की स्थिरता मज़बूत होगी।
- **बेहतर समन्वय और क्षमता निर्माण:** आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, शहरी स्थानीय निकायों, आपातकालीन प्रत्युत्तरदाताओं और नागरिक समाज के बीच एकीकृत कमान और बेहतर समन्वय से तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि होती है।

शहरी नियोजन के लिये नीतिगत रूपरेखा:

- **सशक्त कार्यान्वयन:** शहरी स्तर पर अनिवार्य आपदा तैयारी और शमन योजनाओं को सुनिश्चित करने के लिये आपदा प्रबंधन अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाना।
- **उप-नियमों का प्रवर्तन:** शहरों में आपदा-रोधी निर्माण और सुरक्षित बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिये मॉडल बिल्डिंग उप-नियमों (2016) को लागू करना।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश:** शहरी जोखिम आकलन, भेद्यता मानचित्रण करने और शहरी नियोजन एवं विकास के सभी पहलुओं में DRR को एकीकृत करने के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों का उपयोग करना।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा चेतावनियों का निर्बाध, भू-लक्षित प्रसार सुनिश्चित करने के लिये कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली के अखिल भारतीय कार्यान्वयन का विस्तार करना।
  - मोबाइल उपयोगकर्त्ताओं को सीधे वास्तविक समय, बहुभाषी अलर्ट देने के लिये सेल ब्रॉडकास्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- **सहभागिता:** जागरूकता अभियान, सहभागी योजना और स्थानीय ज्ञान को शामिल करने से सार्वजनिक तत्परता में सुधार होता है तथा समुत्थानशील संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष:

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को एकीकृत करना यह सुनिश्चित करता है कि शहरी विकास सतत्, समावेशी और प्राकृतिक तथा मानवजनित आपदाओं के प्रति अनुकूल हो। इसका प्रभावी एकीकरण एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की मांग करता है, जिसमें नीति निर्माताओं, शहरी योजनाकारों, आपातकालीन सेवाओं और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी हो तथा यह मज़बूत कानूनी तथा संस्थागत ढाँचे पर आधारित हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : आपको हाल ही में एक ऐसे राज्य में ज़िला श्रम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है जहाँ स्थानीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। एक नियमित जाँच के दौरान, आपको पता चलता है कि क्षेत्र का एक बड़ा होटल अपने श्रमिकों को अनिवार्य वेतन का भुगतान न करके न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है। होटल का मालिक एक प्रभावशाली स्थानीय राजनेता है, जिसके राज्य के प्रभावशाली अधिकारियों से गहरे संबंध हैं। आप एक प्रारंभिक जाँच शुरू करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे उल्लंघनों का स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार है। हालाँकि, जब आप श्रमिकों से संपर्क करते हैं, तो उनमें से कोई भी औपचारिक शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उन्हें होटल प्रबंधन से प्रतिशोध और अपनी नौकरी जाने का डर होता है। उसी समय, आपकी जाँच उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करती है, जो होटल मालिक के राजनीतिक प्रभाव का हवाला देते हुए आप पर जाँच न करने का दबाव डालना शुरू कर देते हैं।

यह स्थिति एक नैतिक दुविधा प्रस्तुत करती है। यद्यपि श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन स्पष्ट है, फिर भी आप कानून को बनाए रखने के अपने कर्त्तव्य और इस मुद्दे को अनदेखा करने के लिये उच्च अधिकारियों के दबाव के बीच संघर्ष का सामना करते हैं। आपके द्वारा लिये गए निर्णय का श्रमिकों और आपके कॅरियर दोनों के लिये गंभीर परिणाम होंगे।

(a) इस मामले में शामिल मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।

(b) निम्नलिखित विकल्पों का मूल्यांकन कीजिये तथा कारण सहित उचित कार्रवाई का सुझाइये:

1. उच्च अधिकारियों द्वारा अनौपचारिक रूप से दी गई सलाह के अनुसार मामले को रद्द कर देना चाहिये।
2. होटल मालिक को अधिनियम का उल्लंघन न करने के लिये राजी करना चाहिये।
3. विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर औपचारिक निर्देश की मांग करनी चाहिये।
4. न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिये।

(c) कार्रवाई का अनुशंसित तरीका क्या हो सकता है?

परिचय:

यह मामला नियोक्ताओं द्वारा समाज के एक कमज़ोर वर्ग के शोषण का एक उत्कृष्ट उदाहरण दर्शाता है। किये गए काम के लिये न्यूनतम मज़दूरी के भुगतान को अनिवार्य करने वाले कानूनी प्रावधानों के बावजूद, नियोक्ता प्राय: श्रमिकों की सीमित सौदाकारी शक्ति का लाभ उठाते हैं। यह शक्ति असंतुलन नौकरी की निम्न-कुशल प्रकृति, वैकल्पिक आजीविका विकल्पों की कमी और वित्तीय सुरक्षा की अनुपस्थिति जैसे कारकों का परिणाम है।

मुख्य भाग:

हितधारक	मामले में भूमिका
ज़िला श्रम अधिकारी	श्रम कानूनों को बनाए रखना, श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करना एवं कर्त्तव्यबद्ध।
होटल कर्मचारी	वेतन शोषण के शिकार; प्रतिशोध और नौकरी छूटने का भय।
होटल मालिक	राजनीतिक रूप से प्रभावशाली; लाभ और प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देता है।
उच्च अधिकारी	कानूनी प्रवर्तन की तुलना में पर्यटन और राजनीतिक दबाव को प्राथमिकता देते हैं।
राज्य सरकार	वैध शासन सुनिश्चित करने तथा श्रम अधिकारों और आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिये जिम्मेदार।
स्थानीय समुदाय	रोज़गार के लिये पर्यटन पर निर्भरता; यदि समस्या बढ़ती है तो इसका असर पड़ सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

(a) इस मामले में शामिल मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।

- कानूनी अधिकारों का उल्लंघन, विशेष रूप से न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम का उल्लंघन तथा व्यवस्था में विश्वास का ह्रास, श्रमिकों द्वारा अपने अधिकारों की मांग करने में अनिच्छा से स्पष्ट है।
- प्रशासनिक कर्त्तव्य, क्योंकि श्रम अधिकारी कानूनी और नैतिक रूप से न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम को लागू करने के लिये बाध्य है।
- प्रशासनिक-राजनीतिक हस्तक्षेप, क्योंकि उच्च अधिकारी अनौपचारिक रूप से अधिकारी पर मामले को नजरअंदाज़ करने का दबाव बना रहे हैं।
- आर्थिक कारणों, जहाँ मीडिया के संपर्क से पर्यटन राजस्व और ज़िले की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

(b) निम्नलिखित विकल्पों का मूल्यांकन कीजिये तथा कारण सहित उचित कार्रवाई का सुझाइये:

विकल्प 1: उच्च अधिकारियों द्वारा अनौपचारिक रूप से दी गई सलाह के अनुसार मामले को रद्द कर देना चाहिये।

- **लाभ:** प्रशासनिक पदानुक्रम को बनाए रखता है, संघर्ष से बचाता है तथा दंडात्मक स्थानांतरण जैसे संभावित दुष्परिणामों को रोकता है।
  - मामले को रद्द करके और मीडिया के हस्तक्षेप की अनुमति न देकर उस ज़िले की पर्यटन प्रतिष्ठा को बनाए रखा।
- **विपक्ष:** न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के तहत परिभाषित श्रमिक के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन जारी रहता है।
  - यह कर्त्तव्य की उपेक्षा को दर्शाता है तथा भविष्य में जवाबदेही का कारण बन सकता है।
  - अन्य नियोक्ताओं द्वारा इसी प्रकार की शोषणकारी प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।

विकल्प 2: होटल मालिक को अधिनियम का उल्लंघन न करने के लिये राजी करना चाहिये।

- **लाभ:** यह मानते हुए कि वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा, होटल मालिक को सुधार के अवसर का लाभ मिलता है और वह स्वेच्छा से स्थिति को सुधार सकता है।
  - इस मुद्दे को अनौपचारिक रूप से सुलझाया जा सकता है, जिससे औपचारिक विवाद से बचा जा सके, विशेषकर उन मामलों में जहाँ श्रमिक सार्वजनिक रूप से शोषण को स्वीकार करने में संकोच करते हों।
- **विपक्ष:** इसमें प्रवर्तनीयता का अभाव है तथा इससे शोषण जारी रह सकता है या परिवर्तित रूप ले सकता है।
  - समय की मांग के अनुसार उचित कार्रवाई करने में कमज़ोर प्रशासनिक संकल्प प्रदर्शित होता है।
  - नियोक्ता शोषण का कोई अन्य तरीका भी ढूंढ सकते हैं, जैसे: अधिक कार्य घंटे लगाना।

विकल्प 3: विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर औपचारिक निर्देश की मांग करनी चाहिये।

- **लाभ:** इससे औपचारिक लिखित निर्देश प्राप्त हो सकते हैं, जिससे उचित कानूनी और प्रशासनिक माध्यमों से कार्रवाई संभव हो सकेगी।
  - इससे प्रशासनिक पदानुक्रम में कानून को बनाए रखने के लिये दबाव उत्पन्न होगा तथा निष्क्रियता की स्थिति में जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
  - अधिक जाँच के कारण होटल मालिक को भी इसका अनुपालन करने के लिये बाध्य किया जा सकता है।
- **विपक्ष:** इसे उच्च अधिकारियों द्वारा उनके अनौपचारिक निर्देश के प्रति चुनौती के रूप में देखा जा सकता है।
  - यदि उच्च अधिकारी प्रतिक्रिया देने या कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो इससे नियोक्ता का हौसला और बढ़ सकता है तथा व्यवस्था में जनता का विश्वास कम हो सकता है।

विकल्प 4: न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिये।

- **लाभ:** यह श्रमिकों के कानूनी अधिकारों को कायम रखता है तथा प्रशासन में विश्वास को दृढ़ करता है।
  - यह एक मिसाल कायम करता है तथा दूसरों को अपने अधिकारों का दावा करने के लिये प्रोत्साहित करता है तथा विधि के शासन को सुदृढ़ करता है।
- **विपक्ष:** इससे होटल की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, विशेषकर यदि मामला जनता का ध्यान आकर्षित कर ले।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- नियोक्ता जल्दबाज़ी में प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे संभवत: श्रमिकों की नौकरी चली जाएगी।
- वरिष्ठ प्राधिकारियों द्वारा इस कदम को उनके अनौपचारिक निर्देश की अवहेलना के रूप में देखा जा सकता है, जिससे अधिकारी के कॅरियर की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(c) कार्रवाई का अनुशंसित तरीका क्या हो सकता है ?

अनुशंसित कार्रवाई: विकल्प 3 और विकल्प 4 का संयोजन

- प्रारंभ में, सबसे विवेकपूर्ण कदम सक्षम प्राधिकारी को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना, कानूनी उल्लंघनों का दस्तावेज़ीकरण करना और औपचारिक निर्देश मांगना है।
- साथ ही, इसमें सम्मिलित श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी महत्त्वपूर्ण है।
  - इसमें उनकी पहचान गोपनीय रखना, उनके लिये शिकायत दर्ज कराने के सुरक्षित और गुमनाम तरीके बनाना तथा यदि आवश्यक हो तो नियोक्ता द्वारा प्रतिशोध से उन्हें बचाने के लिये व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करना शामिल है।
- हालाँकि, यदि उचित समय सीमा के भीतर कोई प्रतिक्रिया या कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अधिकारी को नोटिस जारी करके और कानूनी कार्रवाई शुरू करके न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करना चाहिये।

कार्रवाई का औचित्य:

- यह चरणबद्ध दृष्टिकोण कानूनी जिम्मेदारी, नैतिक कर्त्तव्य और प्रशासनिक विवेक के बीच संतुलन स्थापित करता है, साथ ही आकस्मिक टकराव को कम करता है तथा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

निष्कर्ष:

एक लोक सेवक के रूप में, किसी का प्राथमिक दायित्व संविधान को बनाए रखना और जनहित की सेवा करना है। श्रमिकों के अधिकारों को बनाए रखना न केवल एक कानूनी कर्त्तव्य है, बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता भी है। इस तरह की कार्रवाइयाँ सहानुभूति, ईमानदारी और निष्पक्षता के मूल्यों को सुदृढ़ करती हैं, जो नीतिगत लोक सेवा के प्रमुख लक्षण हैं।

प्रश्न : आप एक ऐसे शहर के ज़िला मजिस्ट्रेट हैं, जहाँ काफी संख्या में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग रहते हैं। आपको व्यस्त यातायात चौराहों पर ट्रांसजेंडर समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा आक्रामक तरीके से भीख मांगने के बारे में बढ़ती हुई सार्वजनिक शिकायतों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों ने बताया कि उन्हें परेशान किया जाता है या पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता है साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने चौराहों पर होने वाली अव्यवस्था और सुरक्षा जोखिमों के बारे में चिंता जताई है।

जाँच के बाद, आपको पता चलता है कि सामाजिक बहिष्कार के कारण कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा या रोज़गार तक पहुँच सीमित है। कई ट्रांसजेंडर अधिकार समूह इन शिकायतों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका तर्क है कि समुदाय के कई लोगों के लिये भीख मांगना आजीविका का एकमात्र व्यवहार्य स्रोत बना हुआ है, क्योंकि मुख्यधारा के रोज़गार क्षेत्रों में उन्हें लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

आप पर सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने का दबाव है, लेकिन साथ ही आप एक ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहे समुदाय की गरिमा, अधिकारों और सामाजिक न्याय को बनाए रखने की आवश्यकता से भी अवगत हैं।

(a) सार्वजनिक व्यवस्था और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों व गरिमा के बीच संतुलन बनाते समय कौन-से प्रमुख नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न होती हैं? प्रचलित सामाजिक मानसिकता इन दुविधाओं को कैसे प्रभावित करती है ?

(b) तात्कालिक चिंताओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के दीर्घकालिक कल्याण को संबोधित करने के लिये आप कौन-सी नीतिगत हस्तक्षेपों पर विचार कर सकते हैं ?

परिचय:

यह मामला समाज के एक संवेदनशील वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा और समुदाय के व्यापक सुखदायक अनुभव के बीच सन्तुलन

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

स्थापित करने से सम्बंधित है। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामाजिक समावेशन में अनुभव किये जाने वाले भेदभाव के मुद्दे, उनकी आजीविका के साधनों (जैसे भीख माँगना या यौनकर्म) से जुड़ी सामाजिक चुनौतियाँ जैसे प्रतिस्पर्द्धी हितों को संबोधित करना शामिल है।

हितधारक	हित
ट्रांसजेंडर व्यक्ति	सम्मानजनक आजीविका तक पहुँच, सामाजिक स्वीकृति, भेदभाव से सुरक्षा।
यात्री	निर्बाध एवं सुरक्षित यात्रा, उत्पीड़न में कमी, तथा सुचारू यातायात प्रवाह।
ज़िला मजिस्ट्रेट (डीएम)	सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, कानूनी और नैतिक ज़िम्मेदारियों को कायम रखना तथा सामाजिक न्याय बनाए रखना।
राज्य सरकार	ऐसे कानून और नीतियाँ बनाना जो सार्वजनिक व्यवस्था और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखें।
NGO/धर्मार्थ संगठन	सहायता सेवाएँ प्रदान करना, समान अधिकारों का समर्थन करना तथा पुनर्वास कार्यक्रमों पर कार्य करना।

मुख्य भाग:

(a) सार्वजनिक व्यवस्था और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों व गरिमा के बीच संतुलन बनाते समय कौन-से प्रमुख नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न होती हैं? प्रचलित सामाजिक मानसिकता इन दुविधाओं को कैसे प्रभावित करती है?

- आजीविका का अधिकार बनाम सार्वजनिक व्यवस्था: सीमित सामाजिक-आर्थिक अवसरों के कारण ट्रांसजेंडर अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने को मज़बूर हो जाते हैं।
- हालाँकि यह उनके लिये आजीविका का एक स्रोत है, लेकिन इससे कभी-कभी यात्रियों को असुविधा होती है, जिससे यातायात प्रभावित होता है।
- प्रशासनिक कर्तव्य बनाम मानवीय उत्तरदायित्व: दुविधा यह है कि कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तथा साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि हाशिये पर पड़े समुदायों को आर्थिक स्थिरता और सम्मान प्राप्त करने में सहायता मिले।
- सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसे ट्रांसजेंडरों की आर्थिक परेशानी को दूर करने के साथ संतुलित किया जाना चाहिये।
- बहिष्कार और अपेक्षा का विरोधाभास: नैतिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब समाज ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये आजीविका के अवसरों को सीमित कर देता है तथा जीवन यापन के लिये भीख मांगने पर उनकी आलोचना करता है।
  - मूल मुद्दा सम्मानजनक जीवनयापन के उनके अधिकार, व्यवस्था एवं उत्पीड़न-मुक्त वातावरण के लिये जनता की अपेक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना है।

नैतिक दुविधाओं को आकार प्रदान करने वाले सामाजिक दृष्टिकोण:

- भेदभावपूर्ण मानसिकता: समाज अक्सर पारंपरिक लैंगिक मानदंडों का अनुपालन न करने के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हाशिए पर धकेल देता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके अधिकारों और गरिमा को स्वीकार करने के बजाय, बहिष्कार और ऐतिहासिक वस्तुकरण की स्थिति उत्पन्न होती है।
- गैर-समावेशी दृष्टिकोण और सामाजिक बहिष्कार: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्राय: 'अप्राकृतिक' माना जाता है या उनका मजाक उड़ाया जाता है तथा अंधविश्वास और सामाजिक भय का सामना करना पड़ता है।
  - अपरिवार और समाज द्वारा अस्वीकृत होने के बाद, कई लोग भीख माँगने या यौनकर्म जैसे हाशिये के साधनों से जीवनयापन करने को मजबूर होते हैं, जिन्हें बाद में उसी समाज द्वारा निंदा की जाती है।
- राजनीतिक उपेक्षा: कम जनसंख्या के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक माना जाता है, जिसके कारण विधायी और प्रशासनिक उदासीनता उत्पन्न होती है।
  - उनकी चिंताओं को शायद ही कभी प्राथमिकता दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उनके उत्थान और सामाजिक एकीकरण के लिये व्यापक नीतियों का अभाव होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

(b) तात्कालिक चिंताओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के दीर्घकालिक कल्याण को संबोधित करने के लिये आप कौन-सी नीतिगत हस्तक्षेपों पर विचार कर सकते हैं ?

तात्कालिक चिंताओं और दीर्घकालिक कल्याण के लिये हस्तक्षेप:

- निर्दिष्ट क्षेत्रों की स्थापना: त्वरित राहत के लिये बाज़ारों या सार्वजनिक स्थानों में विशिष्ट क्षेत्र आवंटित किये जाएँ, जहाँ यातायात या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित किये बिना स्वैच्छिक दान संग्रह की अनुमति हो।
  - सर्वोच्च न्यायालय के ***नालसा निर्णय (2014)*** के बाद, राज्य को ट्रांसजेंडरों को रोज़गार, शिक्षा और सामाजिक स्वीकृति के समान अधिकारों के साथ 'थर्ड जेंडर' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये।
  - दीर्घकालिक समाधान के रूप में, ट्रांसजेंडर समुदाय के सम्मानजनक आजीविका के अधिकार की रक्षा करते हुए बलपूर्वक भीख मांगने पर रोक लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
    - कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मानवीय व्यवहार के लिये संवेदनशील बनाएँ तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और भीख मांगने पर निर्भरता कम करने के लिये माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना चाहिये।
- आपातकालीन सहायता सेवाएँ: अस्थायी आश्रय गृह और सामुदायिक केंद्र स्थापित करना जो कमज़ोर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन, आवास, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करें।
- कौशल प्रशिक्षण का क्रियान्वयन: लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने के लिये गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों के साथ साझेदारी करना दीर्घकालिक परिवर्तन के लिये महत्त्वपूर्ण है। ***NALSA अधिनियम 2014 के तहत कानूनी सहायता का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करना।***
- जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना: सतत् एकीकरण के लिये सामाजिक मानसिकता में बदलाव ज़रूरी है। स्कूलों, कॉलेजों, मीडिया और सामुदायिक संवाद के ज़रिए जागरूकता अभियान चलाकर प्रचलित रूढ़िवादिता को चुनौती दी जा सकती है तथा सम्मान एवं समझ को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- निगरानी और पुनर्वास कार्यक्रम: एक संरचित निगरानी और पुनर्वास ढाँचा आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को न केवल सहायता मिले बल्कि उन्हें धीरे-धीरे समाज की मुख्यधारा में भी शामिल किया जा सके।
  - उदाहरण के लिये, गुजरात में ***गरिमा गृह*** में नामांकित ट्रांसजेंडर महिलाओं को मनोवैज्ञानिक परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

निष्कर्ष:

प्रभावी पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जनसंवेदीकरण सतत् समावेशन की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं। उचित सामाजिक न्याय केवल बहुसंख्यकों को राहत देने तक सीमित नहीं होना चाहिये, बल्कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी गरिमा एवं अवसर प्रदान किया जाना चाहिये।

प्रश्न : आप एक युवा फील्ड एथलीट हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपने पहले मैच में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। एथलीट्स विलेज में रहने के दौरान, आप गलती से कॉमन रेस्टरूम में प्रवेश करते हैं और कुछ वरिष्ठ टीम सदस्यों को एक अज्ञात पदार्थ का इंजेक्शन लगाते हुए देखते हैं। संदेह होने पर आप उनसे पूछते हैं, तो वे बताते हैं कि यह एक 'रिकवरी बूस्टर' (परफॉरमेंस-एन्हांसिंग ड्रग/PED) है, जो सहनशक्ति और मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है।

वे आगे सुझाव देते हैं कि इसका उपयोग करना आम बात है, खासकर वैश्विक प्रतियोगिताओं में और यदि आप प्रतिस्पर्द्धी बने रहना तथा टीम में अपनी जगह सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आपको भी इसे लेने पर विचार करना चाहिये। बाद में, कोच से संपर्क करने के बारे में विचार करते समय, आपको एक अन्य जूनियर एथलीट से पता चलता है कि टीम के कोच को न केवल इसकी जानकारी है, बल्कि उन्होंने कथित तौर पर 'राष्ट्रीय हित' और 'मेडल के दबाव' का हवाला देते हुए इसके उपयोग की सिफारिश की है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

(a) इस स्थिति में प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं ?

(b) इस परिदृश्य में आपके लिये क्या संभावित कार्यवाही के विकल्प हो सकते हैं ?

(c) आप कौन-सा कदम उठायेंगे और क्यों ?

परिचय:

एक युवा भारतीय फील्ड एथलीट के रूप में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करते हुए, पाता है कि वरिष्ठ टीम के साथी कोच के समर्थन से 'रिकवरी बूस्टर' (परफॉरमेंस-एन्हांसिंग ड्रग/PED) का उपयोग कर रहे हैं। आप पर भी ऐसा ही करने का दबाव डाला जाता है, जिससे आपको व्यक्तिगत रूप से सत्यनिष्ठा और करियर में उन्नति के बीच चुनाव करने के लिये मज़बूर होना पड़ता है। यह स्थिति ईमानदारी, खेल में निष्पक्षता और सफलता की नैतिक कीमत जैसी चुनौतियों को उज़ागर करती है।

हितधारक	भूमिका/रुचि
एथलीट (आप)	व्यक्ति नैतिक दुविधा का सामना कर रहा है और निर्णय ले रहा है।
वरिष्ठ टीम के सदस्य	PED का प्रयोग करना तथा दूसरों पर भी ऐसा करने के लिये दबाव डालना।
एक प्रशिक्षक (कोच)	जो PED के उपयोग के बारे में जानते है और संभावित रूप से इसका समर्थन करता है।
खेल महासंघ/डोपिंग रोधी प्राधिकरण	नैतिक मानकों को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार।
अन्य जूनियर एथलीट	सहकर्मी जो कार्यों से प्रभावित हो सकते हैं।

मुख्य भाग:

(a) इस स्थिति में प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं ?

- **सत्यनिष्ठा बनाम सफलता:** मुख्य दुविधा व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और सफल होने के दबाव के बीच संतुलन बनाने में निहित है। PED का उपयोग करना नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, लेकिन उनका उपयोग न करना प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न कर सकता है और टीम में एथलीट की जगह को खतरे में डाल सकता है।
- **निष्ठा बनाम नैतिक आचरण:** यह दुविधा टीम, कोच और देश के प्रति निष्ठा और खेल में नैतिक मानकों को बनाए रखने के कर्त्तव्य के बीच टकराव को दर्शाती है।
  - सीनियर्स और कोच की ओर से PED का इस्तेमाल करने का दबाव समूह के प्रति दायित्व की भावना को बढ़ावा देता है, भले ही यह व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा के साथ टकराव में क्यों न हो। देशभक्ति और पदक की उम्मीद के नाम पर डोपिंग को उचित ठहराना इस मुद्दे को और जटिल बनाता है, जिससे नैतिक सवाल उठते हैं।
- **दीर्घकालिक परिणाम बनाम तत्काल लाभ:** PED के उपयोग से बेहतर प्रदर्शन के तत्काल लाभ और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम, संभावित अयोग्यता तथा व्यक्ति के कैरियर और प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान के बीच दुविधा उत्पन्न करता है।

(b) इस परिदृश्य में आपके लिये क्या संभावित कार्यवाही के विकल्प हो सकते हैं ?

विकल्प 1: PED का उपयोग करना

- लाभ: PED का उपयोग करने से तत्काल प्रदर्शन में वृद्धि हो सकती है, चैंपियनशिप में सफलता की संभावना बढ़ सकती है, टीम की स्थिति में सुधार हो सकता है तथा प्रचलित टीम प्रथाओं के अनुरूपता सुनिश्चित हो सकती है।
- हानि: PED का प्रयोग नैतिक सिद्धांतों और व्यक्तिगत निष्ठा का उल्लंघन होगा तथा इससे खिलाड़ी को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, इसमें अयोग्यता या आजीवन प्रतिबंध की संभावना भी रहती है, जो अंततः करियर और प्रतिष्ठा दोनों को नुकसान पहुँचाती हैं।

विकल्प 2: एथलीटों और कोच को अनौपचारिक चेतावनी

- लाभ: इस दृष्टिकोण में एथलीटों और प्रशिक्षक (कोच) को PEDs के उपयोग की अनैतिक और अवैध प्रकृति के बारे में सावधानी से आगाह करना शामिल है।
  - यह उन्हें तत्काल औपचारिक परिणामों के बिना स्वयं को सुधारने का अवसर देता है।
    - इस पद्धति से समस्या का आंतरिक समाधान करके, मीडिया का ध्यान आकर्षित होने तथा सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचा जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- हानि: हालाँकि, ऐसी अनौपचारिक चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है, खासकर यदि टीम के भीतर PED का उपयोग सामान्य हो।
  - कोच की ओर से प्रतिशोध या अनुशासनात्मक कार्रवाई का जोखिम भी है। इसके अलावा, अगर डोपिंग जारी रहती है और बाद में इसका खुलासा हो जाता है, तो इससे देश तथा एथलीट की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हो सकता है।

विकल्प 3: प्रतियोगिता से पहले औपचारिक शिकायत दर्ज करना

- लाभ: प्रतियोगिता से पहले उपयुक्त प्राधिकारियों (खेल महासंघ/डोपिंग रोधी प्राधिकरण) के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराने से समान अवसर सुनिश्चित होंगे तथा खेल में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के सिद्धांतों को कायम रखा जा सकेगा।
  - यह नैतिक आचरण और डोपिंग रोधी मानदंडों के पालन के प्रति मज़बूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- हानि: अचानक कार्रवाई करने से आरोपी खिलाड़ियों और कोच को अपने व्यवहार को स्पष्ट करने या सुधारने का उचित अवसर नहीं मिल पाएगा।
  - ऐसा कदम मीडिया का अवांछित ध्यान भी आकर्षित कर सकता है, जिससे टीम के मनोबल को नुकसान पहुँच सकता है तथा देश की छवि खराब हो सकती है।

विकल्प 4: प्रतियोगिता के बाद समस्या की रिपोर्ट करना

- लाभ: घटना के बाद तक रिपोर्ट को विलंबित करने से तथ्यों की पुष्टि करने, स्थिति पर विचार करने तथा टीम के प्रदर्शन को बाधित किये बिना परिणामों के लिये तैयार होने हेतु अधिक समय मिल जाता है।
- हानि: हालाँकि, इस देरी से अनैतिक प्रथाओं को जारी रहने का मौका मिल जाता है और इसके परिणामस्वरूप बाहरी एजेंसियों द्वारा डोपिंग का पता लगाया जा सकता है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को अधिक नुकसान पहुँच सकता है और नैतिक संघर्ष हो सकता है।

(c) आप कौन-सा कदम उठायेंगे और क्यों?

चुनी गई कार्यवाही **विकल्प 2 और विकल्प 3 का संयोजन होगी:**

- प्रारंभ में, सबसे विवेकपूर्ण कदम यह है कि वरिष्ठ एथलीटों और कोच को अनौपचारिक रूप से PED के उपयोग की अनैतिक और अवैध प्रकृति के बारे में चेतावनी दी जाए।
  - यह दृष्टिकोण टीम के सदस्यों को तत्काल औपचारिक परिणामों या सार्वजनिक प्रदर्शन के बिना, स्वयं को सुधारने और अपने कार्यों पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है।
  - इससे टीम का मनोबल बनाए रखने, संभावित प्रतिक्रिया को कम करने और परिवर्तन के लिये रचनात्मक वातावरण बनाए रखने में मदद मिलती है।
- इसके साथ ही, यह भी महत्त्वपूर्ण है कि टिप्पणियों को सावधानीपूर्वक दस्तावेज़ित किया जाए तथा यदि उचित समय सीमा के भीतर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संबंधित खेल प्राधिकरणों या डोपिंग रोधी एजेंसियों को औपचारिक शिकायत प्रस्तुत करने के लिये तैयार रहें।
  - इससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि अनौपचारिक चेतावनी विफल हो जाती है, तो खेल में निष्पक्षता और अखंडता को बनाए रखने के लिये उचित माध्यमों से इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

एक एथलीट के रूप में, खेलों में निष्पक्षता, ईमानदारी और स्वास्थ्य सुरक्षा के मूल्यों को बनाए रखना प्राथमिक कर्त्तव्य है। पहले आंतरिक जवाबदेही को बढ़ावा देकर और आवश्यकता पड़ने पर औपचारिक कदम उठाकर, यह रणनीति स्वच्छ खेल भावना और राष्ट्रीय गौरव के प्रति समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देती है।

प्रश्न : एक ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में, आप एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की देखरेख करते हैं, जहाँ छात्र-छात्राओं को मध्याह्न भोजन भी प्रदान किया जाता है। हाल ही में, उचित प्रक्रिया और पात्रता मानदंडों का पालन करते हुए, सरकारी मानदंडों के अनुसार एक नया रसोइया नियुक्त किया गया था। हालाँकि, यह पता चला है कि रसोइया अनुसूचित जाति समुदाय से है। जातिगत पूर्वाग्रहों

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

से प्रभावित माता-पिता का एक वर्ग अपने बच्चों को भोजन खाने से रोकना शुरू कर देता है। परिणामस्वरूप, विद्यालय में उपस्थिति कम हो जाती है, जिससे मध्याह्न भोजन योजना की निरंतरता, शिक्षकों की नियुक्ति और यहाँ तक कि विद्यालय के कामकाज़ को लेकर भी चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

यह स्थिति न केवल बच्चों की शिक्षा के लिये बल्कि सामाजिक सद्भाव, समावेशिता और लोक कल्याण कार्यक्रमों की विश्वसनीयता के लिये भी खतरा है।

(a) सरपंच को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है?

(b) जातिगत संघर्ष को हल करने और विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये सरपंच क्या कदम उठा सकते हैं?

(c) विभिन्न हितधारक सार्वजनिक सेवाओं में किस प्रकार समावेशी प्रथाओं का समर्थन कर सकते हैं?

परिचय:

यह स्थिति एक जटिल नैतिक चुनौती प्रस्तुत करती है, जहाँ जाति-आधारित भेदभाव बच्चों की शिक्षा और सामाजिक सद्भाव दोनों को कमज़ोर करता है। सरपंच को शिक्षा प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हुए समानता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की दुविधा का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष को हल करने के लिये एक व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो किसी भी समूह के अधिकारों से समझौता किये बिना समावेशिता को बढ़ावा दे सके।

हितधारक	भूमिका/रुचि
सरपंच (मैं)	मध्याह्न भोजन योजना की निरंतरता सुनिश्चित करना तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखना।
अभिभावक	अपने बच्चों के कल्याण के प्रति चिंता, लेकिन जातिगत पूर्वाग्रहों से भी प्रेरित।
रसोइया	अपने कर्त्तव्यों का सम्मानपूर्वक निर्वहन करना तथा विद्यालय के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में सहयोग करना।
सरकारी अधिकारी	शैक्षिक कार्यक्रमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

मुख्य भाग:

(a) सरपंच को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है?

- **संवैधानिक नैतिकता बनाम सामाजिक पूर्वाग्रह:** यह स्थिति अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करने के संवैधानिक आदेश और समुदाय के भीतर प्रचलित जातिगत पूर्वाग्रहों के बीच संघर्ष को प्रस्तुत करती है। यह परंपरा में निहित सामाजिक बहिष्कार के गंभीर मुद्दे को दर्शाता है।
- **शैक्षिक पहुँच बनाम सामाजिक सद्भाव:** मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने से समुदाय के एक वर्ग के अलग-थलग पड़ने का खतरा है, जिससे तनाव बढ़ सकता है तथा विद्यालय में उपस्थिति और भी कम हो सकती है।
  - दुविधा यह है कि रसोइये के सेवा करने के अधिकार (Right to Profession) को बरकरार रखा जाए या जाति के आधार पर रसोइये का विरोध करने वाले माता-पिता के सामाजिक दबाव को संतुष्ट किया जाए।
- **अल्पकालिक अनुपालन बनाम दीर्घकालिक प्रभाव:** सरपंच को विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये अल्पकालिक उपायों (जैसे अभिभावकों को संतुष्ट करना) को लागू करने, या दीर्घकालिक सामाजिक न्याय के लिये दृढ़ रुख अपनाने के बीच निर्णय लेना होता है, जिससे अस्थायी अशांति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन समुदाय के भविष्य के सामाजिक सामंजस्य को मज़बूती मिलेगी।

(b) जातिगत संघर्ष को हल करने और विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये सरपंच क्या कदम उठा सकते हैं?

- **माता-पिता को संवेदनशील बनाना:** सरपंच माता-पिता को जाति-आधारित भेदभाव के हानिकारक प्रभाव और अनुसूचित जाति समुदायों के व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिये सामुदायिक बैठकें (ग्राम सभा) आयोजित कर सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- स्थानीय समुदाय के नेताओं द्वारा एकता और सामाजिक न्याय की अपील करने से पूर्वाग्रह को कम करने में मदद मिल सकती है।

- **कानूनी अधिकारों पर प्रकाश डालना:** संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 14, 15, 17) और सीमांत समुदायों के उत्थान के लिये बनाई गई सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने से रसोइये के प्रति समर्थन को बढ़ावा मिल सकता है तथा जाति-आधारित पूर्वाग्रहों को कम किया जा सकता है।
- **रसोइये के साथ संपर्क स्थापित करना:** सरपंच को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि नये रसोइये को पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से सहयोग मिले तथा विद्यालय के संचालन में उनकी भूमिका के महत्त्व को दोहराया जाना चाहिये।
  - सरपंच रसोइये की योग्यता और सरकारी मानदंडों के अनुपालन की सार्वजनिक रूप से पुष्टि करके समुदाय में विश्वास कायम कर सकते हैं, साथ ही नियमित भोजन की गुणवत्ता की जाँच और निगरानी के माध्यम से चिंताओं का समाधान भी कर सकते हैं।
- **यदि आवश्यक हो तो कठोर कार्रवाई करना:** यदि जाति-आधारित बहिष्कार जारी रहता है, तो सरपंच को बिना किसी भेदभाव के विद्यालय का संचालन सुनिश्चित करके संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिये।
  - इसके लिये कड़ा रुख अपनाने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें मामले को ज़िला शिक्षा अधिकारी जैसे उच्च अधिकारियों तक ले जाना भी शामिल है।
- **शिकायत निवारण समिति:** पारदर्शी तरीके से चिंताओं का समाधान करने के लिये अभिभावकों, शिक्षकों और सीमांत वर्गों के प्रतिनिधियों वाला एक पैनल गठित किया जा सकता है।

(c) विभिन्न हितधारक सार्वजनिक सेवाओं में किस प्रकार समावेशी प्रथाओं का समर्थन कर सकते हैं?

- **स्थानीय सरकार (पंचायत):** पंचायत गाँव के भीतर सामाजिक न्याय की मिसाल कायम करके जाति-आधारित बहिष्कार को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  - यह स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर सकता है कि शैक्षणिक योजना जातिगत पूर्वाग्रहों के हस्तक्षेप के बिना जारी रहे।
- **विद्यालय प्रशासन:** विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों को समावेशी प्रथाओं का समर्थन करना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी छात्रों को, चाहे वे किसी भी जाति के हों, शिक्षा एवं मध्याह्न भोजन योजना जैसे सरकारी संसाधनों तक समान पहुँच हो।
  - शिक्षक ऐसा वातावरण बनाकर समावेशिता को बढ़ावा दे सकते हैं जहाँ विद्यार्थियों को विविधता को स्वीकार करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
- **सरकारी प्राधिकारी:** शिक्षा विभाग जैसे कि ज़िला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन अपेक्षित रूप से हो तथा विद्यालय संचालन की नियमित निगरानी की जानी चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई जाति-आधारित भेदभाव न हो।
- **सामुदायिक नेता:** ये नेता सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिये प्रभावशाली आवाज़ के रूप में काम कर सकते हैं, जातिगत समानता के महत्त्व और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के मूल्य पर बल दे सकते हैं। उनका समर्थन समुदाय के दृष्टिकोण को बदलने और जाति-आधारित बहिष्कार को कम करने में एक लंबी राह तय कर सकता है।

निष्कर्ष:

सरपंच की रणनीति में त्वरित सुधारों की तुलना में प्रणालीगत बदलाव को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। ज़मीनी स्तर पर समावेशन, संस्थागत सुधार और हितधारक सहयोग को मिलाकर, गाँव में शिक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जातिगत बाधाओं को समाप्त किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होगा, जो स्थायी सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करता है।

प्रश्न : एक सुप्रतिष्ठित भारतीय खाद्य उत्पाद कंपनी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के लिये एक नया उत्पाद विकसित किया है। सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, कंपनी ने उत्पाद का निर्यात शुरू किया तथा गर्व के साथ अपनी सफलता की घोषणा की। कंपनी ने उपभोक्ताओं को यह भी आश्वासन दिया कि वही उच्च गुणवत्ता वाला और स्वास्थ्य के लिये लाभकारी उत्पाद जल्द ही भारतीय बाज़ार में उपलब्ध कराया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

उचित प्रक्रिया के बाद, उत्पाद को संबंधित घरेलू प्राधिकरण से स्वीकृति मिली और इसे भारतीय उपभोक्ताओं के लिये लॉन्च किया गया। समय के साथ, उत्पाद ने महत्त्वपूर्ण बाज़ार हिस्सेदारी हासिल की तथा भारत और विदेश दोनों में कंपनी के मुनाफे में काफी योगदान दिया।

हालाँकि, नियमित निरीक्षण के दौरान, एक यादृच्छिक नमूना परीक्षण से पता चला कि घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाले उत्पाद का संस्करण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मानकों का अनुपालन नहीं करता था। आगे की जाँच में पता चला कि कंपनी भारत में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद बेच रही थी, जिसमें गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारण निर्यात के लिये अस्वीकार किये गए उत्पाद भी शामिल थे।

इस खुलासे से जनता में आक्रोश फैल गया, कंपनी की छवि धूमिल हुई तथा इसकी लाभप्रदता और उपभोक्ता विश्वास में भारी गिरावट आई।

(a) इस मामले में मौजूद नैतिक मुद्दों की पहचान और उनका विश्लेषण कीजिये। इसमें शामिल प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों और ज़िम्मेदारियों पर चर्चा कीजिये।

(b) सक्षम प्राधिकारी को कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी चाहिये?

(c) संकट का प्रबंधन करने, उपभोक्ता विश्वास पुनः प्राप्त करने तथा अपनी सार्वजनिक प्रतिष्ठा बहाल करने के लिये कंपनी क्या उपचारात्मक उपाय अपना सकती है?

परिचय:

यह मामला एक स्थापित भारतीय खाद्य उत्पाद कंपनी से जुड़ा है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया उत्पाद लॉन्च किया, जिससे उपभोक्ताओं को भारत में भी उसी उच्च गुणवत्ता का आश्वासन मिला। हालाँकि, यह पता चला कि घरेलू उत्पाद नियामक मानकों को पूरा करने में विफल रहा, जिससे उपभोक्ता विश्वास और लाभप्रदता में गिरावट आई। इससे कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व, उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता के संदर्भ में नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

हितधारक	भूमिका और रुचि
कंपनी	दीर्घकालिक संवहनीयता के लिये विश्वास पुनर्स्थापित करने, प्रतिष्ठा सुधारने और बाज़ार में हिस्सेदारी हासिल करने की जिम्मेदारी।
उपभोक्ता	अंतिम उपयोगकर्त्ता, जो सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने के बारे में चिंतित हैं।
सक्षम प्राधिकारी	अनुपालन लागू करके सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला नियामक निकाय।
निवेशक/ शेयरधारक	वित्तीय समर्थक जिन्होंने लाभप्रदता सुनिश्चित करने और निवेश की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया।
आपूर्तिकर्त्ता/ वितरक	सामग्री उपलब्ध कराना और उत्पाद वितरित करना, यद्यपि उनका हित स्थिर बिक्री बनाए रखने में निहित है, क्योंकि उपभोक्ता में व्याप्त असंतोष मांग को कम कर सकता है।

मुख्य भाग:

(a) इस मामले में मौजूद नैतिक मुद्दों की पहचान और उनका विश्लेषण कीजिये। इसमें शामिल प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों और ज़िम्मेदारियों पर चर्चा कीजिये।

- **पारदर्शिता और ईमानदारी का अभाव:** कंपनी ने उपभोक्ताओं को यह आश्वासन देकर गुमराह किया कि भारत में बेचा जाने वाला उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के समान ही उच्च गुणवत्ता वाला होगा, लेकिन बाद में पता चला कि उत्पाद आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता था।
  - यह उत्पाद की गुणवत्ता के संदर्भ में संचार में पारदर्शिता और ईमानदारी की कमी को दर्शाता है, जो एक नैतिक उल्लंघन है।
- **उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन:** उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों की अपेक्षा करने का अधिकार है जो कुछ सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हों, विशेषकर जब खाद्य उत्पादों की बात आती है। घटिया उत्पाद बेचकर, कंपनी ने सुरक्षित, गुणवत्ता वाले सामान तक पहुँचने के उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- विश्वास का यह उल्लंघन उपभोक्ता संरक्षण और निष्पक्ष व्यवहार के नैतिक सिद्धांतों से समझौता करता है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारण निर्यात के लिये अस्वीकृत उत्पाद को बेचना सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिये प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न करता है।
- यहाँ नैतिक मुद्दा उपभोक्ताओं की भलाई के प्रति कंपनी की उपेक्षा में निहित है।

इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्द्धी मूल्य और जिम्मेदारियाँ शामिल हैं:

- **लाभ अधिकतमीकरण बनाम लोक कल्याण:** उत्पाद की गुणवत्ता पर कटौती करके लाभ को अधिकतम करने की कंपनी की इच्छा, लोक कल्याण की रक्षा करने के उसके कर्त्तव्य के साथ सीधे टकराव करती है।
  - हालाँकि घटिया उत्पाद बेचने से अल्पावधि में अधिक लाभ मिल सकता है, लेकिन इससे जनता का विश्वास, उपभोक्ता स्वास्थ्य और दीर्घकालिक संवहनीयता खतरे में पड़ जाती है, जिससे वित्तीय लाभ एवं उपभोक्ता सुरक्षा व कल्याण सुनिश्चित करने के बीच नैतिक तनाव उजागर होता है।
- **शेयरधारक हित बनाम उपभोक्ता संरक्षण:** घटिया उत्पाद बेचने का कंपनी का निर्णय अल्पकालिक लाभ बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित हो सकता है, जिससे शेयरधारकों को लाभ होगा जो मुख्य रूप से वित्तीय लाभ के बारे में चिंतित हैं।
  - हालाँकि, उपभोक्ता संरक्षण के लिये कंपनी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसके उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हों। इन दायित्वों की उपेक्षा करके, कंपनी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने और उपभोक्ता विश्वास खोने का जोखिम उठाती है, जो दीर्घकालिक संवहनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है।

(b) सक्षम प्राधिकारी को कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी चाहिये ?

- **तत्काल जाँच:** सक्षम प्राधिकारी को कंपनी द्वारा विनियामक मानकों को पूरा करने में विफलता की तत्काल और गहन जाँच शुरू करनी चाहिये।
  - इसमें समस्या के स्रोत का पता लगाना और यह पहचान करना शामिल है कि क्या गुणवत्ता नियंत्रण में कोई जानबूझकर लापरवाही या विफलता हुई थी।
- **सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता:** सक्षम प्राधिकारी को कंपनी से जाँच का पूरा विवरण प्रकट करने की मांग करनी चाहिये, जिसमें यह भी शामिल हो कि उत्पादों को बाज़ार में किस प्रकार आने दिया गया एवं क्या सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- **जुर्माना लगाना और उत्पाद वापस लेना:** सक्षम प्राधिकारी को खाद्य सुरक्षा विनियमों का उल्लंघन करने पर कंपनी पर जुर्माना लगाना चाहिये।
  - इसमें जुर्माना, उत्पाद वापस लेना तथा संभवत: तब तक बिक्री स्थगित करना शामिल हो सकता है जब तक कि कंपनी मानकों के अनुपालन को प्रदर्शित नहीं कर देती।
- **विनियामक निरीक्षण को मज़बूत करना:** प्राधिकरण को अपने विनियामक तंत्र की समीक्षा करनी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में ऐसी विसंगतियां न हों। इसमें सख्त उत्पाद परीक्षण प्रोटोकॉल और अधिक लगातार निरीक्षण लागू करना शामिल हो सकता है।

(c) संकट का प्रबंधन करने, उपभोक्ता विश्वास पुन: प्राप्त करने तथा अपनी सार्वजनिक प्रतिष्ठा बहाल करने के लिये कंपनी क्या उपचारात्मक उपाय अपना सकती है ?

- **सार्वजनिक माफी और जिम्मेदारी की स्वीकृति:** कंपनी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिये, अपनी विफलता को स्वीकार करना चाहिये और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद के लिये पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिये।
  - स्थिति को पारदर्शी ढंग से समझाकर और सुधारात्मक उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करके, कंपनी विश्वास का पुनर्निर्माण कर सकती है एवं नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकती है।
- **स्वैच्छिक रिकॉल और मुआवज़ा:** कंपनी को तुरंत स्वैच्छिक रूप से बाज़ार से सभी प्रभावित उत्पादों को वापस बुलाना चाहिये और घटिया सामान खरीदने वाले उपभोक्ताओं को मुआवज़ा देना चाहिये। यह उपभोक्ता कल्याण एवं सुरक्षा के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को मज़बूत करना:** कंपनी को अपने गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों में सुधार करना चाहिये, खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये सख्त आंतरिक जाँच और नियमित तृतीय-पक्ष ऑडिट लागू करना चाहिये। इसमें अधिक लगातार उत्पाद परीक्षण और बेहतर आपूर्तिकर्त्ता प्रबंधन शामिल होना चाहिये।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल:** कंपनी को नैतिक प्रथाओं और उपभोक्ता कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिये CSR गतिविधियों, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों में निवेश करना चाहिये।
  - इन पहलों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान या उपभोक्ता शिक्षा पर केंद्रित संगठनों के साथ साझेदारी शामिल हो सकती है।

निष्कर्ष:

नैतिक संकटों को हल करने में विनियामक निकायों और कंपनी दोनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि अधिकारियों को सार्वजनिक हितों की रक्षा करनी चाहिये, कंपनी को जिम्मेदारी लेनी चाहिये। उत्पाद वापसी और पारदर्शी संचार जैसे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, साथ ही सख्त विनियामक निरीक्षण, विश्वास पुनर्स्थापित करने एवं नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : अरस्तू की 'सद्गुण नैतिकता' की अवधारणा अच्छे चरित्र लक्षणों के विकास पर केंद्रित है। इस दर्शन को आधुनिक लोकतंत्रों में लोक सेवा के नैतिक कार्यढाँचे में किस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सद्गुण नैतिकता को परिभाषित कीजिये।
- प्रासंगिक उदाहरणों, मूल्यों और व्यावहारिक अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए बताइये कि इसे आधुनिक लोक सेवा नैतिकता में किस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अरस्तू की सदाचार नीतिशास्त्र अच्छे चरित्र लक्षणों की खेती पर ज़ोर देती है, आदत के माध्यम से नैतिक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करती है। यह एक ऐसा कार्यढाँचा है जो व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देता है, जिसे आधुनिक लोकतंत्रों में लोक सेवा के नैतिक कार्यढाँचे में सहजता से एकीकृत किया जा सकता है।

मुख्य भाग:

सद्गुण नैतिकता का मूल

- सद्गुण नैतिकता साहस, ईमानदारी, न्याय और बुद्धि जैसे गुणों के विकास पर केंद्रित है।
  - अरस्तू के अनुसार, नैतिक गुणों का विकास व्यावहारिक क्रिया के माध्यम से होता है, जिसका उद्देश्य 'स्वर्णिम माध्य'—अर्थात् अति और अभाव के बीच संतुलन प्राप्त करना होता है।
- कर्त्तव्य-आधारित या परिणाम-आधारित नैतिकता के विपरीत, 'सद्गुण नैतिकता' किसी विशेष कर्म के उचित या अनुचित होने पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के नैतिक चरित्र पर केंद्रित होती है।

लोक सेवा में एकीकरण

- **आदर्श उदाहरण के रूप में लोक सेवक:** प्रभावी शासन के लिये, लोक सेवकों में ईमानदारी, जवाबदेही और सहानुभूति जैसे सद्गुण होने चाहिये।
  - नैतिक उत्कृष्टता प्राप्त करने की अरस्तू की अवधारणा को यह सुनिश्चित करने के लिये लागू किया जा सकता है कि लोक सेवक न केवल कुशल हों, बल्कि नैतिक रूप से भी ईमानदार हों।
- **शासन में निर्णय लेना:** अरस्तू का स्वर्णिम माध्य का विचार राजनेताओं और लोक सेवकों को निर्णय लेने में मार्गदर्शन कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, संसाधन वितरण के मामले में, लोक सेवक दक्षता और समानता के बीच संतुलन बना सकते हैं तथा व्यावहारिक निहितार्थों की उपेक्षा किये बिना निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **नैतिक नेतृत्व:** नैतिक गुणों का प्रदर्शन करने वाले नेता जनता में विश्वास और विश्वसनीयता जागृत करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों की नेतृत्व शैली, जो अहिंसा, ईमानदारी और न्याय के गुणों पर आधारित थी, यह उदाहरण प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार सद्गुण नैतिकता समाज में विश्वास एवं एकता को बढ़ावा दे सकती है।
- **सार्वजनिक नीति:** सद्गुण नैतिकता सार्वजनिक नीतियों को भी प्रभावित करती है जो मानव कल्याण और यूडेमोनिया (जीवन की उत्कृष्टता) की खोज़ पर केंद्रित होती हैं।
  - उदाहरण के लिये, सामाजिक कल्याण नीतियों को सहानुभूति और न्याय के साथ तैयार किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए नैतिक अखंडता को प्रतिबिंबित करें।

समकालीन लोक सेवा के उदाहरण

- **महात्मा गांधी का नेतृत्व:** भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीजी के नेतृत्व ने सदाचार, विशेष रूप से सत्य और अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत किया।
  - राजनीतिक सत्ता की तुलना में नैतिक सत्यनिष्ठा पर उनका ध्यान आज सार्वजनिक नेताओं के लिये एक मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है।
- **आधुनिक लोक सेवक:** नैतिक नेतृत्व किरण बेदी जैसे प्रशासनिक अधिकारियों में देखा जाता है, जिन्होंने भारत में एक पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करते हुए सत्यनिष्ठा और न्याय का उदाहरण पेश किया।
  - ऐसे व्यक्ति दर्शाते हैं कि ईमानदारी और सहानुभूति जैसे गुण लोक प्रशासन में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष:

आधुनिक लोकतंत्रों में, लोक सेवा में अरस्तू के सद्गुण नैतिकता का एकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि लोक सेवक न केवल अपने कर्त्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन करें बल्कि नैतिक मूल्यों को भी बनाए रखें जो सामाजिक कल्याण और न्याय को बढ़ावा देते हैं। ईमानदारी, सहानुभूति और ज्ञान जैसे गुणों का समावेशन करके, लोक सेवा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मज़बूत कर सकती है तथा एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकती है।

प्रश्न : भ्रष्टाचार को प्राय: एक नैतिक विफलता के रूप में वर्णित किया जाता है जो किसी राष्ट्र की सामाजिक संरचना को नष्ट कर देता है। आपकी राय में, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों का मार्गदर्शन किन नैतिक सिद्धांतों द्वारा किया जाना चाहिये? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भ्रष्टाचार को नैतिक एवं नैतिक विफलता के रूप में परिभाषित करते हुए उत्तर दीजिये।
- भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों का मार्गदर्शन करने वाले प्रमुख नैतिक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भ्रष्टाचार ईमानदारी, न्याय और जिम्मेदारी जैसे नैतिक मूल्यों की विफलता को दर्शाता है। यह जनता के भरोसे को कमज़ोर करता है, संस्थाओं को कमज़ोर करता है और शासन की नैतिक संरचना को नुकसान पहुँचाता है। इसलिये नैतिक सिद्धांतों को भ्रष्टाचार विरोधी रणनीतियों का केंद्रबिंदु होना आवश्यक है।

मुख्य भाग:

सत्यनिष्ठा और ईमानदारी:

- सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करती है कि प्रशासनिक अधिकारी सभी परिस्थितियों में सत्यनिष्ठ, निष्पक्ष और वैध आचरण के प्रति प्रतिबद्ध रहें।
- घोषणाओं, लेखापरीक्षाओं और संसाधन आवंटन में ईमानदारी से शासन में विश्वसनीयता एवं जनता का विश्वास बढ़ता है।
  - उदाहरण: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र के माध्यम से संस्थागत सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देता है।

जवाबदेही और पारदर्शिता:

- नैतिक शासन के लिये कार्यों के प्रति स्पष्ट जिम्मेदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में खुलापन आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण हेरफेर, पक्षपात और रिश्वतखोरी की सम्भावना को कम करता है।
  - RTI अधिनियम, 2005 नागरिकों को सार्वजनिक कार्यालयों से पारदर्शिता की मांग करने तथा भ्रष्ट व्यवहार पर अंकुश लगाने का अधिकार देता है।

न्याय एवं निष्पक्षता:

- भ्रष्टाचार गरीबों को असमान रूप से प्रभावित करता है तथा वितरणात्मक न्याय और समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों से लोक सेवाओं तक समान पहुँच और कानूनों का निष्पक्ष अनुप्रयोग सुनिश्चित होना चाहिये।
  - उदाहरण: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मध्यवर्तियों और लीकेज को न्यूनतम करता है तथा कल्याणकारी वितरण में निष्पक्षता को बढ़ावा देता है।

सहानुभूति और लोक सेवा नीति:

- भ्रष्टाचार सार्वजनिक पीड़ा के प्रति उदासीनता और व्यक्तिगत लाभार्थी व्यवहार की संस्कृति में पनपता है।
- सहानुभूति और सेवा उन्मुखता को बढ़ावा देने से कर्त्तव्य की भावना एवं सार्वजनिक कल्याण की देखभाल की भावना जागृत होती है।
- लोक सेवाओं में नैतिक प्रशिक्षण अधिकारियों को सार्वजनिक संसाधनों के न्यासी के रूप में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

साहस और नैतिक जिम्मेदारी:

- भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिये नैतिक साहस और संस्थागत संरक्षण की आवश्यकता होती है।
- नैतिक कार्यढाँचे को उन लोगों का समर्थन करना चाहिये जो सार्वजनिक हित को बनाए रखते हैं, जैसे कि व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम के माध्यम से।
  - उदाहरण: IAS अधिकारी सत्येंद्र दुबे, जिन्होंने राजमार्ग भ्रष्टाचार को उजागर किया, कार्य में नैतिक साहस का उदाहरण हैं।

निष्कर्ष:

भ्रष्टाचार एक गंभीर नैतिक मुद्दा है जिसके लिये पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय की आवश्यकता होती है। हाई-प्रोफाइल घोटाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम जैसे सख्त कानूनों की आवश्यकता को उजागर करते हैं। नैतिक नेतृत्व और सुदृढ़ जवाबदेही को बढ़ावा देने से भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली बनाने तथा जनता का विश्वास पुनर्स्थापित करने में मदद मिल सकती है।

प्रश्न : 'क्षमा करना शक्तिशाली लोगों का गुण है' यह विचार व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भ में चरित्र की दृढ़ता को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भ में क्षमा और उसके महत्त्व को परिभाषित कीजिये।
- परीक्षण कीजिये कि क्षमा किस प्रकार व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भ में भावनात्मक क्षमता एवं चरित्र को प्रदर्शित करती है।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

क्षमा वह सचेत निर्णय है जिसके माध्यम से उस व्यक्ति के प्रति रोष या प्रतिशोध की भावना का त्याग कर दिया जाता है, जिसने हमें कभी किसी प्रकार की हानि पहुँचाई हो। इसमें आंतरिक शक्ति, सहानुभूति और अतीत के दुखों को को भूला देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं कि उस गलत कार्य को उचित ठहराया जाए, बल्कि इस क्षमता में स्वयं को ही क्रोध और पीड़ा के बोझ से मुक्त किया जाता है।

मुख्य भाग:

व्यक्तिगत संदर्भ में क्षमा:

- भावनात्मक शक्ति और नियंत्रण: क्षमा को दुर्बलता का नहीं, अपितु भावनात्मक दृढ़ता और आत्म-नियंत्रण का प्रतीक माना जाना चाहिये। यह व्यक्ति को क्रोध, वैमनस्य और कटुता जैसे नकारात्मक भावों से ऊपर उठने की क्षमता प्रदान करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरणस्वरूप, बौद्ध परंपरा में 'मैत्री' (Metta) अर्थात् 'प्रेमपूर्ण करुणा' के माध्यम से करुणा और क्षमा को आत्मिक शुद्धि तथा पीड़ा से मुक्ति का मार्ग बताया गया है।
  - आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, जैसे कि सड़क पर रोष (road rage) अथवा सामान्य गलतफहमियों के कारण होने वाले संघर्ष की घटनाएँ प्राय: आवेगपूर्ण क्रोध और भावनात्मक नियंत्रण के अभाव के कारण होती हैं।
  - ऐसे में यदि व्यक्ति क्षमाशील रवैया अपनाए, तो वह न केवल व्यक्तिगत तनाव को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि सामाजिक शांति एवं सह-अस्तित्व को भी बढ़ावा दे सकता है।
- मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य में क्षमा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथों में से एक, धम्मपद हमें सिखाता है कि घृणा और क्रोध की भावना से केवल स्वयं को ही पीड़ा पहुँचती है।
  - क्षमा व्यक्ति को इन भावनाओं से मुक्त करती है तथा उसे अधिक शांतिपूर्ण और भावनात्मक रूप से संतुलित जीवन जीने में सहायता करती है।

सामाजिक संदर्भ में क्षमा:

- सामाजिक सद्भाव: सामाजिक स्तर पर, क्षमा सामाजिक दुखों से निपटने और मेल-मिलाप को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - यह चरित्र की दृढ़ता को दर्शाता है जो सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद करता है।
  - महात्मा गांधी अहिंसा और क्षमा को आवश्यक नैतिक सिद्धांत मानते थे। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के तहत क्रूर अन्याय के बावजूद प्रतिशोध के बजाय शांति को चुनकर अपने जीवन में इस आदर्श को अपनाया।
  - इसी तरह, नेल्सन मंडेला का मानना था कि क्षमा आत्मा को मुक्त करती है। यह भय को दूर करती है और उन्होंने रंगभेद के बाद अपने उत्पीड़कों को क्षमा करके इसकी शक्ति का प्रदर्शन किया, क्षमा को विभाजित समाज को ठीक करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के साधन के रूप में प्रयोग किया।
- पुनर्स्थापनात्मक न्याय को बढ़ावा देना: क्षमा और जवाबदेही, गलत काम करने वालों को सुधार करने और समाज में पुन: एकीकृत होने में सहायता कर पुनर्स्थापनात्मक न्याय को सक्षम बनाती है।
  - कांट का दर्शन सुझाता है कि क्षमा नैतिक नवीनीकरण का अवसर प्रदान करती है, जहाँ व्यक्ति और समाज अपनी पिछली गलतियों से ऊपर उठते हैं तथा नैतिक उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं।

निष्कर्ष:

संघर्ष और विभाजन से भरे विश्व में, क्षमा करने की क्षमता संघर्ष को उपचार और समझ के अवसरों में बदल सकती है। चाहे व्यक्तिगत संबंधों में हो या व्यापक सामाजिक संदर्भों में, यह भावनात्मक शक्ति और सामाजिक समुत्थानशक्ति की आधारशिला है, जो अधिक सामंजस्यपूर्ण समन्वय एवं अधिक दयालु, समावेशी समाज का मार्ग प्रशस्त करती है।

प्रश्न : समकालीन समाज में नैतिक मूल्यों का संकट किस हद तक बेहतर जीवन की सीमित समझ का परिणाम है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- 'आदर्श जीवन' की अवधारणा को परिभाषित कीजिये तथा बताइये कि इसकी संकीर्ण व्याख्या किस प्रकार नैतिक संकटों में योगदान करती है।
- समकालीन नैतिक दुविधाओं को आयाम देने में भौतिकवाद, व्यक्तिवाद और तकनीकी प्रगति की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

'आदर्श जीवन' की अवधारणा कल्याण, पूर्णता और आनंद की एक आदर्श स्थिति को संदर्भित करती है। इसे प्राय: एक ऐसे जीवन के रूप में देखा जाता है जो सार्थक, आनंदमय तथा किसी के मूल्यों एवं इच्छाओं के अनुरूप होता है। आधुनिक समाज में नैतिक संकट का मुख्य कारण 'सुखी जीवन' की एक संकीर्ण और भौतिकवादी परिभाषा है, जिसे प्राय: 'धन', 'सत्ता' एवं 'बाह्य सफलता' से जोड़ा जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

भौतिकवाद और नैतिक पतन:

- **उपभोक्तावाद और भौतिक सफलता:** आधुनिक समाजों में, भौतिक संपदा की खोज प्राय: आदर्श जीवन के विचार पर हावी हो जाती है तथा ईमानदारी और करुणा जैसे नैतिक मूल्यों को दरकिनार कर देती है।
  - उदाहरण के लिये, कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार और पर्यावरण क्षरण प्राय: आर्थिक विकास एवं भौतिक सफलता पर अत्यधिक ज़ोर देने से उत्पन्न होते हैं।
  - भूटान का सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक इसे चुनौती देता है तथा भौतिक विकास की तुलना में खुशहाली को अधिक महत्त्व देता है।
- **नैतिक और आध्यात्मिक संतुष्टि की हानि:** जब समाज आदर्श जीवन को भौतिक संपदा के बराबर मानने लगता है, तो वह ईमानदारी, दयालुता और सहानुभूति जैसे नैतिक गुणों के महत्त्व की उपेक्षा कर बैठता है।
  - यह संकीर्ण ध्यान नैतिक मूल्यों में संकट को बढ़ावा देता है, जैसा कि अनैतिक व्यापारिक प्रथाओं (क्रोनी पूंजीवाद) के उदय में देखा गया है।
  - उदाहरण के लिये, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनीतिक उम्मीदवारों को जनता को प्रभावित करने के लिये खड़ा किया जाता है तथा चरित्र पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाती है।

सामाजिक नैतिकता का विघटन:

- **सामूहिक भलाई पर आत्मकेंद्रन:** आज के समाज में, व्यक्तिवाद प्राय: सामूहिक भलाई पर हावी हो जाता है। अच्छे जीवन की एक संकीर्ण परिभाषा व्यक्तिगत उपलब्धि और सफलता पर बल देती है, कभी-कभी दूसरों के अधिकारों या आम भलाई की कीमत पर।
  - उदाहरण के लिये, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता निष्पक्षता, न्याय एवं सामाजिक एकजुटता के मूल्यों से दूर जाने को दर्शाती है।
- **सामुदायिक मूल्यों का क्षरण:** सामुदायिक और सामाजिक उत्तरदायित्व पर कम ध्यान देने से नैतिक मूल्यों में कमज़ोरी आई है।
  - उदाहरण के लिये, व्यवसाय CSR को जनसंपर्क उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि वे श्रमिकों का शोषण करते हैं या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं।
  - डिजिटल वर्ल्ड के तेज़ी से विस्तार ने नई नैतिक चिंताओं को जन्म दिया है, जिनका समाधान करने में पारंपरिक नैतिक कार्यढाँचे को संघर्ष करना पड़ता है।
    - उदाहरण के लिये, सोशल मीडिया प्राय: सनसनीखेज़ और स्वार्थ को प्राथमिकता देता है, जबकि संवाद में व्यक्तिगत जिम्मेदारी एवं सहानुभूति को कम करता है।

निष्कर्ष:

जब सफलता को भौतिक संपदा और व्यक्तिगत लाभ से मापा जाता है, तो न्याय, निष्पक्षता एवं सहानुभूति जैसे नैतिक सिद्धांतों को नजरअंदाज़ कर दिया जाता है। इस संकट को हल करने के लिये, सामूहिक कल्याण और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने वाले नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक आयामों को शामिल करके आदर्श जीवन को पुन: परिभाषित करना आवश्यक है।

प्रश्न : भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रमुख घटक क्या हैं तथा उन्हें सीखने और अनुभव के माध्यम से किस हद तक विकसित किया जा सकता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता (AI) को संक्षेप में परिभाषित कीजिये।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मूल तत्त्वों जैसे आत्म-जागरूकता, आत्म-नियमन आदि का परीक्षण कीजिये, इन्हें सीखने और वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से कैसे विकसित किया जा सकता है।
- उपर्युक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य अपनी भावनाओं के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने की क्षमता से है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही स्थितियों में प्रभावी संचार, नेतृत्व और समग्र सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

- **आत्म-जागरूकता:** आत्म-जागरूकता किसी की भावनाओं और व्यवहार एवं प्रदर्शन पर उनके प्रभाव को समझने व पहचानने की क्षमता है। जो नेता आत्म-जागरूक होते हैं वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं तथा अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं।
  - उदाहरण: नेता 360 डिग्री फीडबैक के माध्यम से अपने भावनात्मक ट्रिगर्स का आकलन कर सकते हैं, जिससे वे यह समझ सकेंगे कि उनके कार्यों को दूसरे लोग किस प्रकार देखते हैं।
- **आत्म-प्रबंधन:** आत्म-प्रबंधन से तात्पर्य अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता से है, विशेष रूप से तनावपूर्ण स्थितियों में।
  - मज़बूत आत्म-प्रबंधन कौशल वाले व्यक्ति आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया के बजाय सोच-समझकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे वे असफलताओं के दौरान भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं।
- **सामाजिक जागरूकता:** सामाजिक जागरूकता में दूसरों की भावनाओं को पहचानना और समझना शामिल है, साथ ही किसी समूह या संगठन में मौजूद सामाजिक गतिशीलता को भी समझना आवश्यक है। यह कौशल व्यक्ति को सहानुभूति का अभ्यास करने में सक्षम बनाता है, जो प्रभावी संचार और सहयोग के लिये आवश्यक है।
  - उदाहरण: एक सिविल सेवक ने देखा कि ग्रामीण इलाकों में होने वाली बैठक में महिलाएँ सांस्कृतिक मानदंडों के कारण बोलने में अनिच्छुक हैं। सामाजिक गतिशीलता से अवगत, वह उन्हें संवाद के लिये प्रोत्साहित करता है तथा समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- **रिलेशनशिप मैनेजमेंट:** रिलेशनशिप मैनेजमेंट संघर्षों को प्रभावित करने, उनका मार्गदर्शन करने तथा उन्हें प्रभावी ढंग से हल करने की क्षमता है। मज़बूत रिलेशनशिप मैनेजमेंट कौशल वाले व्यक्ति सकारात्मक संबंध बना सकते हैं तथा उन्हें बनाए रख सकते हैं, टीमवर्क को बढ़ा सकते हैं तथा संघर्षों को रचनात्मक तरीके से संबोधित कर सकते हैं।
  - उदाहरण: कार्यस्थल पर किसी विवाद को तुरंत और सम्मानपूर्वक संबोधित करने वाला नेता असंतोष को रोक सकता है तथा टीम की गतिशीलता और उत्पादकता में सुधार कर सकता है।

सीखने और अनुभव के माध्यम से AI विकास:

- **360 डिग्री फीडबैक:** नेतृत्व संबंधी कमियों और खामियों को उज़ागर करने के लिये सहकर्मियों, अधीनस्थों, परिवार और पर्यवेक्षकों से सक्रिय रूप से फीडबैक प्राप्त करना।
- जर्नलिंग: निर्णयों और अंत:क्रियाओं पर उनके प्रभाव को समझने के लिये भावनात्मक अनुभवों पर चिंतन करना।
  - विकास के क्षेत्रों को लक्षित करने हेतु विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, जैसे सामाजिक कौशल या प्रेरणा में सुधार करना।
- **सक्रिय सुनना (Active Listening):** दूसरों की बातों पर पूरा ध्यान देना, उनकी बातों को अपने शब्दों में दोहराना और समझ दिखाने के लिये अशाब्दिक संकेतों (जैसे सिर हिलाना, आँख से संपर्क बनाए रखना) का उपयोग करना।
- **प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम (Training and Courses):** भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) पर कार्यशालाओं में भाग लेना या सामुदायिक गतिविधियों में शामिल होना, EI के सिद्धांतों की समझ और उनके अनुप्रयोग को गहरा करने में मदद कर सकता है।
- **आत्म-चिंतन (Self-Reflection):** विभिन्न परिस्थितियों में अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का नियमित रूप से मूल्यांकन करना, ताकि आत्म-जागरूकता और आत्म-नियंत्रण में सुधार किया जा सके।

निष्कर्ष:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने से आत्म-विकास, नेतृत्व और कार्यस्थल संबंधों में सुधार होता है। प्रतिबिंब और प्रतिक्रिया जैसी प्रथाओं के माध्यम से, व्यक्ति भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार कर सकते हैं, जिससे मज़बूत संचार, बेहतर टीमवर्क और समग्र रूप से सफलता प्राप्त होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : "जो व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिये मरने को तैयार नहीं, वह जीने के योग्य नहीं" — मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वर्तमान संदर्भ में यह उद्धरण आपको क्या संदेश देता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उद्धरण का संदर्भ बताइए और उसका अर्थ स्पष्ट कीजिये।
- वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।
- व्यक्तिगत और सामाजिक ज़िम्मेदारी पर इसके प्रभाव के साथ निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कथन *"जो व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिये मरने को तैयार नहीं, वह जीने के योग्य नहीं"* किसी उद्देश्य या कारण के लिये बलिदान देने के महत्व पर जोर देता है। यह सुझाव देता है कि सच्चा जीवन उन मूल्यों, सिद्धांतों या आदर्शों के लिये खड़ा होना है जो व्यक्तिगत लाभ या सुरक्षा से परे हैं।

मुख्य बिंदु:

- **नैतिक दृष्टिकोण:** यह उद्धरण कर्त्तव्य परायण नैतिकता से मेल खाता है, जो परिणामों पर कर्त्तव्य और नैतिक सिद्धांतों को प्राथमिकता देता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्तियों का नैतिक दायित्व है कि वे मूल्यों को बनाए रखें, भले ही इसके लिये उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े।
  - यह नि:स्वार्थता, साहस और उच्च उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता पर ज़ोर देता है, जो व्यक्तिगत अखंडता और सामाजिक प्रगति के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - यह सद्गुण नैतिकता से भी मेल खाता है, तथा साहस, निष्ठा और बलिदान जैसे सद्गुणों को सार्थक जीवन के लिये आवश्यक बताता है।
  - इसमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी न्याय, समानता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का आह्वान किया गया है।
- **व्यक्तिगत बलिदान:** यह उद्धरण सामूहिक भलाई के लिये व्यक्तिगत बलिदान के मूल्य को रेखांकित करता है, चाहे वह मानव अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण, या नैतिक शासन की खोज में हो।
  - मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में नागरिक अधिकारों और नस्लीय समानता के लिए कारावास और धमकियों को सहन किया , जिससे यह उदाहरण प्रस्तुत हुआ कि किस प्रकार व्यक्तिगत बलिदान प्रणालीगत परिवर्तन को प्रेरित कर सकता है।

वर्तमान संदर्भ में व्यापक निहितार्थ:

- सामाजिक न्याय और समानता: यह उद्धरण सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पर ज़ोर देता है तथा व्यक्तियों, विशेषकर लोक सेवकों से जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और आर्थिक विषमता का सक्रिय रूप से सामना करने का आग्रह करता है।
  - उदाहरण: ग्रामीण क्षेत्र में एक सिविल सेवक पर बंधुआ मज़दूरी या जाति-आधारित पूर्वाग्रह को नजरअंदाज करने का दबाव हो सकता है, लेकिन वह नैतिक रूप से कार्य करने, सहानुभूति दिखाने और हाशिये पर पड़े समुदायों के अधिकारों को कायम रखने का विकल्प चुनता है।
- पर्यावरण संरक्षण: जलवायु संकट के बढ़ते दौर में, यह उद्धरण व्यक्तियों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के बावजूद पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिये प्रेरित करता है।
  - उदाहरण: औद्योगिक प्रस्तावों की समीक्षा करने वाले एक IAS अधिकारी पर पर्यावरणीय उल्लंघनों को नजरअंदाज करने का दबाव हो सकता है, लेकिन कर्त्तव्य की भावना से प्रेरित होकर वह स्थिरता और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देता है।
    - यह अंतर-पीढ़ीगत न्याय को प्रतिबिंबित करता है तथा सतत् विकास के सिद्धांत को कायम रखते हुए भावी पीढ़ियों के प्रति ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करता है।
- गलत सूचना और ध्रुवीकरण का सामना करना; डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना का प्रसार सामाजिक विभाजन को बढ़ाता है। यह उद्धरण सत्य एवं एकता के लिये खड़े होने का आह्वान करता है, भले ही इससे आलोचना हो।
- उदाहरण: किसी सार्वजनिक अधिकारी को संकट (सांप्रदायिक तनाव) के दौरान झूठी बातों का सामना करने की आवश्यकता हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह उद्धरण उन्हें दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करने तथा व्यक्तिगत सुरक्षा या लोकप्रियता से अधिक सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देने के लिये प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष:

वर्तमान संदर्भ में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यह उद्धरण व्यक्तियों को उन मूल्यवान उद्देश्यों की पहचान करने का आह्वान करता है जो त्याग के योग्य हैं। यह उद्धरण हमें यह भी याद दिलाता है कि नैतिक शासन के लिये आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, ताकि किसी उद्देश्य के लिये किया गया त्याग रणनीतिक और प्रभावशाली हो।

प्रश्न : 'अंत:करण की चेतना' शब्द का आपके लिये क्या अर्थ है तथा इसे सुनने और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिये कोई व्यक्ति स्वयं को किस प्रकार प्रशिक्षित कर सकता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- 'अंत:करण की चेतना' शब्द को परिभाषित कीजिये तथा व्यक्तिगत नैतिकता और निर्णय लेने में इसके महत्त्व की व्याख्या कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि अंत:करण की चेतना नैतिक निर्णय एवं नैतिक व्यवहार को किस प्रकार निर्देशित करती है तथा अंत:करण की चेतना सुनने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता विकसित करने के व्यावहारिक तरीकों की व्याख्या कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

'अंत:करण की चेतना' एक आंतरिक नैतिक मार्गदर्शक है जो किसी व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। यह सूक्ष्म किंतु अंतरात्मा की वह शक्तिशाली आवाज़ है जो किसी व्यक्ति को सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं न्याय की ओर धकेलती है। यह विवेक व्यक्तिगत अखंडता और सामाजिक सद्भाव के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह जवाबदेही को बढ़ावा देता है तथा बाह्य प्रवर्तन के अभाव में भी नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करता है।

मुख्य भाग:

- अंत:करण की चेतना एक सतत् स्व-नियामक तंत्र के रूप में कार्य करती है। यह गलत काम करने पर अपराध या पश्चाताप की भावना जागृत करके व्यवहार को प्रभावित करती है तथा जब कोई अच्छे काम करता है तो शांति की भावना उत्पन्न करती है।
- इमैनुअल कांट के अनुसार, विवेक नैतिक निर्णय का आंतरिक न्यायालय है।
  - यह एक आंतरिक क्षमता है जो व्यक्ति के कार्यों के नैतिक मूल्य का आकलन करती है तथा व्यक्ति को कर्त्तव्य और नैतिक कानून के अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य करती है।
- रूसो ने विवेक को एक दैवीय प्रवृत्ति के रूप में देखा, जो मनुष्यों के भीतर एक प्राकृतिक मार्गदर्शक है जो उन्हें अच्छाई एवं न्याय की ओर निर्देशित करता है।
- आध्यात्मिक रूप से, अंत:करण को अंतर्यामी के रूप में देखा जाता है, जो सभी प्राणियों के भीतर दिव्य आंतरिक मार्गदर्शक या साक्षी है तथा यह आत्मा से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो शुद्ध 'आंतरिक स्व' है जो व्यक्ति को धर्म की ओर ले जाता है।

सुनने और विवेक के अनुसार कार्य करने की क्षमता विकसित करने के तरीके

- **आत्म-चिंतन:** प्रतिदिन अपने निर्णयों, विचारों एवं भावनाओं की समीक्षा करने से व्यक्ति को अपनी नैतिक प्रेरणाओं और दुर्बलताओं का बोध होता है। विशेष रूप से यह अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि यह आचरण में पारदर्शिता और आत्म-दायित्व को प्रोत्साहित करता है। भावनात्मक और नैतिक द्वंद्वों को डायरी में लिपिबद्ध करना अंत:करण की चेतना को स्पष्टता प्रदान करता है।
- **मानसिक सजगता:** माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने भीतरी संकेतों—जैसे कि किसी निर्णय के समय उत्पन्न होने वाला असहज भाव या संकोच, के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, जो किसी नैतिक टकराव का संकेत हो सकते हैं।
  - भावनात्मक रूप से जागरूक होने से व्यक्ति को आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय रुककर अपने विकल्पों के नैतिक आयामों का आकलन करने का अवसर मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **नैतिक शिक्षा:** नैतिक दार्शनिकों, धार्मिक परंपराओं तथा प्रेरणादायक व्यक्तित्वों के जीवन का अध्ययन करने से नैतिक विवेक विकसित होता है। 'न्याय', 'करुणा', 'कर्त्तव्य' जैसे सिद्धांतों का अध्ययन न केवल एक लोक सेवक की अंतरात्मा को मार्गदर्शन देता है, बल्कि प्रशासनिक निर्णयों में मानवीय मूल्यों को समाहित करने की क्षमता भी प्रदान करता है।
  - नैतिक साहस का विकास करना, भय, सामाजिक दबाव या व्यक्तिगत क्षति के बावजूद सिद्धांतों के लिये खड़े रहना, अंत:करण की चेतना को सार्थक ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिये आवश्यक है।
- **संवाद और मार्गदर्शन की तलाश:** नैतिक दुविधाओं को समझने और अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिये विश्वसनीय मार्गदर्शकों और साथियों के साथ ईमानदार संवाद अत्यंत आवश्यक है। ऐसे संवाद न केवल नैतिक स्पष्टता प्रदान करते हैं, बल्कि आत्मचिंतन की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित करते हैं।
- **नैतिक अभ्यास की आदत:** अंतरात्मा की स्पष्टता और दृढ़ता नियमित नैतिक निर्णयों के अभ्यास से विकसित होती है। जब कोई अभ्यर्थी छोटे-छोटे निर्णयों में भी अपने अंत:करण की चेतना के अनुरूप कार्य करता है, तो उससे नैतिक अनुशासन एवं आत्मविश्वास का विकास होता है, जो प्रशासनिक सेवा में अत्यंत आवश्यक गुण हैं।

निष्कर्ष:

सत्यनिष्ठा और सामाजिक जिम्मेदारी के जीवन के लिये अंत:करण की चेतना अपरिहार्य है। आत्म-जागरूकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक ज्ञान और साहस को सचेत रूप से विकसित करके, व्यक्ति इस आंतरिक आवाज़ को दृढ़ कर सकते हैं तथा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह उनके निर्णयों एवं कार्यों को आकार दे।

प्रश्न : भ्रष्टाचार राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार बाधा उत्पन्न करता है तथा शासन में भ्रष्टाचार से निपटने के संबंध में कौटिल्य के क्या विचार थे? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भ्रष्टाचार राष्ट्रीय विकास के विभिन्न पहलुओं को किस प्रकार प्रभावित करता है। विवेचना कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि भ्रष्टाचार किस प्रकार विकास, समानता और संस्थाओं में विश्वास में बाधा डालता है, तथा अर्थशास्त्र से कौटिल्य के विचार एवं समाधान बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भ्रष्टाचार समस्त विश्व में राष्ट्रों के समक्ष उपस्थित एक अत्यंत गंभीर एवं व्यापक चुनौती है। यह आर्थिक समृद्धि को बाधित करता है, संस्थागत कार्यढाँचे को कमज़ोर करता है, सामाजिक विषमताओं को और अधिक गहराता है तथा जनता के विश्वास को क्षीण करता है। चाणक्य (कौटिल्य) ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार की भयावहता तथा उसके नियंत्रण हेतु उपायों का गहन विवेचन किया है, जो आज भी नीति-निर्माण और प्रशासन के क्षेत्र में अत्यंत प्रासंगिक हैं।

मुख्य भाग:

राष्ट्रीय विकास पर भ्रष्टाचार का प्रभाव:

- **आर्थिक परिणाम:** भ्रष्टाचार लागत बढ़ाकर, निवेश को रोककर तथा सार्वजनिक धन को आवश्यक सेवाओं से हटाकर बाज़ार को विकृत करता है, जिससे अकुशलता और धीमी आर्थिक वृद्धि होती है।
- **सामाजिक बहिष्कार:** भ्रष्टाचार सीमांत और कमज़ोर समूहों को सामाजिक कल्याण योजनाओं, न्याय एवं अवसरों तक पहुँच से वंचित करके उन्हें असमान रूप से नुकसान पहुँचाता है।
  - उदाहरण के लिये, कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडी वाले खाद्यान्न का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को कमज़ोर करता है तथा कल्याणकारी योजनाओं में समानता एवं विश्वास को नुकसान पहुँचाता है।
- **विधि के शासन का क्षरण:** भ्रष्टाचार संरक्षणवाद, वंशवाद और ग्राहकवाद को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- लोक सेवक सार्वजनिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं, जिससे सरकार की विश्वसनीयता और कानूनों को न्यायसंगत रूप से लागू करने की उसकी क्षमता कम हो जाती है।

- **राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष:** जब भ्रष्टाचार प्रणालीगत हो जाता है, तो इससे जनता में निराशा, विरोध और कभी-कभी हिंसा होती है।
  - यह सरकारों को अस्थिर कर सकता है और दीर्घकालिक नीति निरंतरता में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे राष्ट्रीय विकास की दिशा प्रभावित हो सकती है।

भ्रष्टाचार और शासन पर कौटिल्य के विचार: कौटिल्य के अर्थशास्त्र (4 वीं शताब्दी ईसा पूर्व) में भ्रष्टाचार को शासक के अधिकार और राज्य के कल्याण के लिये एक गंभीर खतरा माना गया है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिये उनका दृष्टिकोण बहुआयामी था:

- **कठोर कानूनी कार्यढाँचा और दंड:** कौटिल्य ने भ्रष्ट अधिकारियों के लिये कठोर दंड का प्रावधान किया था, जिसमें जुर्माना, कारावास या यहाँ तक कि मृत्युदंड भी शामिल था, ताकि वे मज़बूत निवारक के रूप में कार्य कर सकें।
- **निगरानी और खुफिया:** राजा को अधिकारियों के आचरण पर नजर रखने, भ्रष्ट आचरण का शीघ्र पता लगाने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये जासूसों और लेखा परीक्षकों का एक नेटवर्क नियुक्त करने की सलाह दी गई।
- **नैतिक शिक्षा:** कौटिल्य ने अधिकारियों को नैतिक कर्त्तव्यों का प्रशिक्षण देने तथा राज्य और उसके लोगों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने प्रशासकों में सत्यनिष्ठा उत्पन्न करने के महत्त्व को अभिनिर्धारित किया।
- **नियंत्रण और संतुलन:** अर्थशास्त्र प्रशासनिक जिम्मेदारियों को विभाजित करने और सत्ता के संकेंद्रण, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है, को रोकने के लिये अतिव्यापी नियंत्रण लागू करने पर बल देता है।
- **लोक कल्याण पर ध्यान:** कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया था कि सुशासन में लोक कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये; भ्रष्टाचार के माध्यम से इस विश्वास के साथ विश्वासघात राज्य की नींव को कमज़ोर करता है।

निष्कर्ष:

कौटिल्य के दृष्टिकोण में संस्थागत पारदर्शिता, स्वतंत्र निरीक्षण और सख्त विधिक नियंत्रण सहित कई आधुनिक भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की अपेक्षा की गई है। उनका व्यावहारिक दृष्टिकोण नैतिक शिक्षा को प्रवर्तन के साथ जोड़ता है, जो इस बात पर बल देता है कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिये नैतिक नेतृत्व और संरचनात्मक सुधार दोनों की आवश्यकता होती है।

प्रश्न : रक्षा सेवाओं के संदर्भ में, देशभक्ति का तात्पर्य प्राय: राष्ट्र के लिये अपने जीवन का बलिदान करने की इच्छा होती है। रोज़मर्रा के नागरिक जीवन में देशभक्ति का क्या महत्त्व है? उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- देशभक्ति को परिभाषित कीजिये तथा रक्षा एवं नागरिक संदर्भों में इसकी अभिव्यक्ति में अंतर बताएँ।
- समकालीन और ऐतिहासिक उदाहरण के साथ रोज़मर्रा के नागरिक जीवन में देशभक्ति के रूपों पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
- उपर्युक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

देशभक्ति अपने देश के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण है, जो वफादारी, गर्व और अपनेपन की भावना को दर्शाता है। जबकि रक्षा बलों में, देशभक्ति को अक्सर राष्ट्र की संप्रभुता एवं सुरक्षा के लिये जीवन के अंतिम बलिदान के माध्यम से दर्शाया जाता है, रोज़मर्रा के नागरिक जीवन में इसका अर्थ अधिक सूक्ष्म और राष्ट्र निर्माण के लिये समान रूप से महत्त्वपूर्ण है।

मुख्य भाग:

रोज़मर्रा के नागरिक जीवन में देशभक्ति के आयाम:

- **नागरिक राष्ट्रवाद:** नागरिक जीवन में देशभक्ति, नागरिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत से जुड़ी है, जो कानून का पालन, लोकतांत्रिक भागीदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सामाजिक सद्भाव पर ज़ोर देती है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 के भारतीय आम चुनावों में 90 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सामाजिक अनुबंध सिद्धांत:** नागरिक देशभक्ति सामाजिक अनुबंध सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ नागरिक कानूनों का सम्मान करके, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल होकर और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय मूल्यों को बनाए रखते हैं।
  - जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने आम भलाई के प्रति नागरिकों के कर्त्तव्य पर ज़ोर दिया, जो रोज़मर्रा की देशभक्तिपूर्ण प्रतिबद्धताओं में प्रतिबिम्बित होता है।
  - इतिहास में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे नेताओं ने अहिंसक आंदोलनों और राष्ट्रीय एकता निर्माण के माध्यम से नागरिक देशभक्ति का प्रदर्शन किया। उनके योगदान ने एक नागरिक के रूप में नैतिक और सामाजिक ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया, जो राष्ट्र निर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **बहुमुखी प्रकृति:** नागरिक जीवन में देशभक्ति एक सतत् और विविध प्रतिबद्धता है, जो रोज़मर्रा के कार्यों में परिलक्षित होती है।
- उदाहरण के लिये, कोविड-19 महामारी के दौरान, नागरिकों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया, राहत कार्यों के लिये स्वेच्छा से कार्य किया तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओं का समर्थन करते हुए गैर-सैन्य तरीकों से राष्ट्र की भलाई में योगदान देकर निरंतर देशभक्ति का प्रदर्शन किया।
- **बहुलवाद के प्रति सम्मान:** यह भारत के विविध लोकाचार को प्रतिबिंबित करता है तथा समावेशी सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
  - उदाहरण: आपदा राहत और ग्रामीण विकास के लिये कार्य करने वाले गूंज जैसे गैर सरकारी संगठन सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हैं तथा सेवा के माध्यम से नागरिक देशभक्ति को दर्शाते हैं।
    - जंगलों और जल निकायों की रक्षा करने वाले ज़मीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्त्ता भावी पीढ़ियों के प्रति देशभक्तिपूर्ण कर्त्तव्य का दायित्व निभाते हैं।
    - आधुनिक उद्यमी तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देकर, रोज़गार सृजन करके तथा भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

निष्कर्ष:

नागरिक देशभक्ति केवल झंडा फहराने या गीत गाने तक सीमित नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कार्यों, नैतिक ज़िम्मेदारियों और सामाजिक योगदान से परिभाषित होती है। यह संवैधानिक मूल्यों, लोकतंत्र और सामूहिक कल्याण पर आधारित एक सक्रिय प्रक्रिया है।

प्रश्न : भारतीय सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में जॉन रॉल्स के सामाजिक न्याय के सिद्धांत की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- जॉन रॉल्स के सामाजिक न्याय के सिद्धांत का परिचय दीजिये।
- भारतीय संदर्भ में रॉल्स के न्याय के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिये, उन्हें संवैधानिक प्रावधानों और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ें।
- उपर्युक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अमेरिकी दार्शनिक जॉन रॉल्स का सामाजिक न्याय सिद्धांत दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है: सभी के लिये समान मौलिक स्वतंत्रताएँ- प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और बुनियादी स्वतंत्रताएँ प्राप्त होनी चाहिये तथा अंतर का सिद्धांत- सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ केवल तभी उचित हैं जब वे समाज के सबसे कम लाभान्वित वर्ग के हित में हों। रॉल्स ने "मूल स्थिति" (original position) और "अज्ञानता का पर्दा" (veil of ignorance) की अवधारणा न्यायपूर्ण संस्थाओं के निर्माण में निष्पक्षता की तलाश करती है। भारत के विविध और स्तरीकृत समाज को देखते हुए, रॉल्स के ढाँचे में सामाजिक-राजनीतिक असमानताओं को संबोधित करने तथा समावेशी नीतियों को आकार देने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रासंगिकता है।

मुख्य भाग:

भारत में रॉल्स के सिद्धांत की प्रासंगिकता

- **सकारात्मक कार्रवाई के लिये मानक औचित्य:** ***सभी के लिये समान बुनियादी स्वतंत्रता*** और ***अंतर सिद्धांत*** रॉल्स के सिद्धांत के दो केंद्रीय सिद्धांत हैं, जो असमानताओं को केवल तभी अनुमति देते हैं जब वे कम-से-कम सुविधा प्राप्त लोगों को लाभ पहुँचाते हैं। यह सकारात्मक कार्रवाई के लिये एक मज़बूत दार्शनिक आधार प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, भारत की आरक्षण नीति, जो हाशिये पर पड़े समूहों के लिये शिक्षा और रोज़गार तक पहुँच में सुधार लाने के लिये बनाई गई है, समानता को बढ़ावा देने और वंचित समुदायों के उत्थान के द्वारा रॉल्स के सिद्धांत के अनुरूप है।

- **अज्ञानता का पर्दा:** रॉल्स का तर्क है कि सामाजिक व्यवस्था "अज्ञानता के परदे" के पीछे की जानी चाहिये, जिससे निर्णयकर्त्ताओं को उनकी स्वयं की सामाजिक स्थिति से अनभिज्ञ रखकर निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
  - इससे ऐसी नीतियों को प्रोत्साहन मिलता है जो किसी विशेष समूह के पक्ष में अनुचित रूप से पक्षपात न करें, बल्कि सभी के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाई जाएँ।
- **संसाधनों का पुनर्वितरण:** रॉल्स धन और अवसरों के पुनर्वितरण का समर्थन करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि असमानताएँ समाज में सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों की स्थिति में सुधार लाने में सहायक हों।
  - भारत की मनरेगा योजना ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देकर इस सिद्धांत को मूर्त रूप देती है, जिससे गरीबी कम होती है और संरचनात्मक आर्थिक असमानताएँ दूर होती हैं।
- **सामाजिक सहयोग:** रॉल्स सामाजिक सहयोग को न्यायपूर्ण समाज के लिये आवश्यक मानते हैं। व्यक्तियों और समुदायों के सामूहिक प्रयास ऐसी व्यवस्था बनाने में मदद करते हैं जो पारस्परिक लाभ एवं सामाजिक उत्थान का समर्थन करती है।
  - भारत में, विशेष रूप से महिलाओं के बीच व्यापक स्वयं सहायता समूह आंदोलन, आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से सामाजिक सहयोग की एक व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।
- **भेदभाव का उन्मूलन:** रॉल्स मौलिक मानव अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय के आधार के रूप में प्रणालीगत भेदभाव को समाप्त करने पर ज़ोर देते हैं।
  - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उद्देश्य हाशिये पर पड़े समूहों के विरुद्ध भेदभाव और हिंसा को रोकना है तथा इस प्रकार रॉल्सियन आदर्शों के अनुरूप सम्मान एवं समानता को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष:

भारत की विविध सामाजिक वास्तविकताओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, रॉल्सियन न्याय एक निष्पक्ष समाज के लिये एक मार्गदर्शक ढाँचा बना हुआ है। समान बुनियादी स्वतंत्रता, अवसर की निष्पक्ष समानता और सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों को प्राथमिकता देने पर इसका ज़ोर सामाजिक न्याय के लिये भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ प्रतिध्वनित होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निबंध

प्रश्न : सत्ता पर अंध विश्वास सत्य का सबसे बड़ा शत्रु है।

प्रश्न : भय ही शत्रु है। जिन भावनाओं को हम 'घृणा' या 'शत्रुता' समझते हैं, वह वास्तव में 'भय' है।

निबंध विषय:

(a) सत्ता पर अंध विश्वास सत्य का सबसे बड़ा शत्रु है।

(b) दुश्मन है डर। हम सोचते हैं कि यह नफरत है लेकिन यह डर है।

(a) सत्ता पर अंध विश्वास सत्य का सबसे बड़ा शत्रु है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिए उद्धरण:

- "अधिकार पर अंध विश्वास सत्य का सबसे बड़ा दुश्मन है।" अल्बर्ट आइंस्टीन
- "ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाली कोई चीज़ नहीं है।" भगवद् गीता
- "जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते।" स्वामी विवेकानंद
- "बिना जांचे-परखे जीवन जीने लायक नहीं है।" सुकरात

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- सत्य की प्रकृति : सत्य प्राधिकार से प्राप्त एक स्थिर उपहार नहीं है, बल्कि आलोचनात्मक जांच का एक गतिशील परिणाम है।
  - सत्ता में अंध विश्वास पदानुक्रमिक सत्ता संरचनाओं को मजबूत करता है , असहमति और नवाचार को दबाता है।
  - यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए द्वारा प्रदत्त वैज्ञानिक सोच के विपरीत है , जिसमें जांच और तर्कसंगतता की बात कही गई है।
- भारतीय दर्शन में: तर्क शास्त्र (तर्क और वाद-विवाद) सत्य को उजागर करने के लिए तर्कसंगत संशयवाद को बढ़ावा देता है।
  - जबकि उपनिषद हठधर्मी विश्वासों से ऊपर उठने के लिए आत्म-विचार (आत्म-जांच) पर जोर देते हैं।
- "न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते" : ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है, भगवद्गीता का यह श्लोक वैज्ञानिक और तर्कसंगत जांच पर आधारित शुद्ध ज्ञान पर जोर देता है।
- सत्याग्रह: ***सत्याग्रह*** (सत्य-बल) का नैतिक सिद्धांत, जो गांधीवादी दर्शन का केंद्र है , जो आज्ञाकारिता पर सत्य को प्राथमिकता देता है और तर्कसंगत सत्य की मांग करता है।
- कलमा सुत्त: एक बौद्ध प्रवचन जो स्वतंत्र अन्वेषण और स्वतंत्र सोच पर जोर देता है।
  - यह लोगों को अंधविश्वास या परंपरा के बजाय तर्क और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर शिक्षाओं और प्रथाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- बुराई की तुच्छता का सिद्धांत: अंधी आज्ञाकारिता सत्तावादी शासन को बनाए रखती है, जैसा कि ऑरवेल के 1984 या हन्ना अरेंड्ट के 'बुराई की तुच्छता के सिद्धांत' में देखा गया है।
  - जिसमें इस बात की जांच की गई है कि कैसे साधारण व्यक्ति, आज्ञाकारिता और अनुरूपता से प्रेरित होकर, स्वाभाविक रूप से बुरे हुए बिना भी भयानक कृत्यों में भाग ले सकते हैं।

ऐतिहासिक एवं नीतिगत उदाहरण:

- विज्ञान स्थापित विचारों पर सवाल उठाने से आगे बढ़ता है, न कि उन्हें आँख मूंदकर स्वीकार करने से। 17वीं सदी में गैलीलियो द्वारा सूर्यकेंद्रवाद की वकालत ने कैथोलिक चर्च के भूकेंद्रीय सिद्धांत को चुनौती दी।
- जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने वैदिक रूढ़िवाद में अंधविश्वास को खारिज कर दिया तथा ***अनेकांतवाद के*** माध्यम से बहुविध दृष्टिकोण को अपनाने की वकालत की।
  - कठोर पुरोहिताई सत्ता को दी गई उनकी चुनौती ने बौद्धिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया तथा भारत के बहुलवादी चरित्र को प्रभावित किया।
- जाति व्यवस्था , शास्त्रीय अधिकार और पदानुक्रमिक क्रम में अंध विश्वास के माध्यम से सदियों से कायम है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- आदि शंकराचार्य (8वीं शताब्दी ई.) ने हिंदू धर्म में कर्मकांडीय परंपराओं के प्रति अंध विश्वास का विरोध किया।
  - अद्वैत वेदांत और मीमांसा विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के माध्यम से उन्होंने आत्म-जांच और तर्क पर जोर दिया, दार्शनिक विमर्श को पुनर्जीवित किया और हठधर्मिता की तुलना में सत्य को प्राथमिकता दी।
- सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) भारतीय नागरिकों को सरकारी प्राधिकार से प्रश्न करने का अधिकार देता है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।
- जनहित याचिकाओं में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार राज्य प्राधिकरण को चुनौती देने वाले नागरिक लोक कल्याण में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं, उदाहरण के लिए, भोजन का अधिकार मामला।
- व्हिसलब्लोअर संरक्षण (सत्येन्द्र दुबे का मामला) से पता चलता है कि भ्रष्टाचार या गलत कामों को उजागर करने से, चाहे अधिकारी सच्चाई को दबाने का कितना भी प्रयास करें, आवश्यक कानूनी परिवर्तन लाया जा सकता है।

समकालीन उदाहरण:

- फर्जी खबरें और डीपफेक : लोग तथ्यों की पुष्टि किए बिना सोशल मीडिया सामग्री पर विश्वास कर लेते हैं, जिससे सांप्रदायिक हिंसा और गलत सूचना फैलती है।
- राजनीति में पंथ-अनुयायी : व्यक्तित्व-संचालित राजनीति अक्सर संस्थागत जवाबदेही को दरकिनार कर देती है।
- टीकाकरण में हिचकिचाहट बनाम अतिविश्वास : बिना जांच के अंधाधुंध अस्वीकृति और अंधाधुंध स्वीकृति दोनों ही खराब परिणामों को जन्म देते हैं।

निष्कर्ष:

जो नागरिक आँख मूंदकर वही स्वीकार कर लेता है जो उसे बताया जाता है, वह हेरफेर, शोषण और नैतिक पतन के प्रति संवेदनशील हो जाता है। लोकतंत्र , विज्ञान और प्रगति संवाद, असहमति और तर्कसंगत जांच पर आधारित हैं। जैसा कि भारतीय संविधान "हम, लोग" से शुरू होता है, यह सत्य को शासकों को नहीं, बल्कि सामूहिक, सूचित निर्णय को सौंपता है।

(b) दुश्मन है डर। हम सोचते हैं कि यह नफरत है लेकिन यह डर है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिए उद्धरण:

- "दुश्मन भय है। हम सोचते हैं कि यह घृणा है; लेकिन, यह भय है।" महात्मा गांधी
- "भय आसक्ति और मोह से उत्पन्न होता है; साहस धर्म से उत्पन्न होता है।" भगवद गीता
- "मैंने सीखा कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय पाना है।" नेल्सन मंडेला

दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आयाम:

- भय की प्रकृति : भय एक आदिम प्रवृत्ति है, जो विकासवादी रूप से जीवित रहने के लिए है, लेकिन यह अक्सर तर्कहीन और प्रतिकूल हो जाता है।
  - घृणा प्राय: एक द्वितीयक भावना होती है , जो अनसुलझे भय, परिवर्तन के भय, 'दूसरे' के भय, या हानि के भय से उत्पन्न होती है।
  - विदेशी-द्वेष, सांप्रदायिक घृणा , या यहां तक कि युद्ध भी अक्सर गहरे बैठे भय से ही उपजते हैं।
  - डर अक्सर विनाशकारी होता है, लेकिन यह सुधार या सावधानी का संकेत भी हो सकता है। असफलता का डर तैयारी के लिए प्रेरित कर सकता है, और अन्याय का डर सक्रियता को बढ़ावा दे सकता है।
    - भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आंशिक रूप से सांस्कृतिक विलोपन के भय से प्रेरित था, लेकिन अहिंसा और नैतिक दृष्टि के माध्यम से एक सकारात्मक आंदोलन में तब्दील हो गया।
- भारतीय दर्शन में, भगवद् गीता में 'ऋषि' को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो भय और क्रोध से मुक्त है, तथा यह सुझाव दिया गया है कि भय पर विजय पाने से समभाव विकसित होता है।
- ***क्लेश*** (दुख) पर बौद्ध शिक्षाएं भय को दुख का मूल कारण मानती हैं, जो घृणा और विभाजन को बढ़ावा देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- अज्ञात का भय, चाहे वह सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक अस्थिरता हो, या सांस्कृतिक क्षरण हो, कथित खतरों के प्रति शत्रुता के रूप में प्रकट होता है।
  - भय का समाधान करने के लिए सहानुभूति और समझ की आवश्यकता होती है , तथा इसे साहस और करुणा में बदलना होता है।

- गांधीवादी दर्शन में, गांधीजी का मानना था कि निडरता (अभय) सत्याग्रही के लिए सबसे बड़ा गुण है। अहिंसा के लिए आंतरिक निडरता की आवश्यकता होती है।
- आधुनिक मनोविज्ञान : लड़ो या भागो प्रतिक्रिया यह बताती है कि भय किस प्रकार भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है।
  - लेकिन दीर्घकालिक या सामाजिक रूप से प्रेरित भय (जैसे, निर्णय, असफलता का भय) चिंता, दमन और यहां तक कि घृणा को जन्म देता है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **राजनीतिक और सामाजिक भय:** अधिनायकवाद असहमति, निगरानी और दंड के डर पर पनपता है। जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल की 1984 में दिखाया गया है, जब डर संस्थागत हो जाता है, तो स्वतंत्रता गायब हो जाती है।
  - नाजी जर्मनी के यहूदी विरोधी अभियानों ने बहुसंख्यकों में आर्थिक नुकसान और सांस्कृतिक दुर्बलता का भय पैदा करके घृणा को बढ़ावा दिया।
  - भारत का विभाजन : सांप्रदायिक हिंसा मुख्यत: अधीनता के भय से प्रेरित थी , न कि केवल 'दूसरे' के प्रति घृणा से।
  - नागरिक अधिकार आंदोलन : मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं को न केवल नस्लीय घृणा का सामना करना पड़ा, बल्कि प्रमुख समुदायों के बीच एकीकरण के डर का भी सामना करना पड़ा।
  - शीत युद्ध काल : हथियारों की दौड़ नफरत से नहीं बल्कि आपसी भय से प्रेरित थी - जिसके कारण दशकों तक तनाव रहा।

व्यक्तिगत और नैतिक परिप्रेक्ष्य:

- नैतिक साहस बनाम डर: डर अक्सर लोगों को सही काम करने से रोकता है। नैतिक कार्य के लिए नैतिक साहस की आवश्यकता होती है - सत्ता के सामने सच बोलना या दबाव में ईमानदारी से काम करना।
  - उदाहरण: भारत के अशोक खेमका जैसे मुखबिर संस्थागत भय (स्थानान्तरण, प्रतिशोध या कैरियर में असफलता का भय) के सामने नैतिक रूप से कार्य करने में कठिनाई दर्शाते हैं।

आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयाम:

- भारतीय परम्परा में भय को धर्म और मोक्ष में बाधा माना जाता है।
- भगवद गीता में , युद्ध के मैदान में अर्जुन का डर नैतिक कार्य करने से पहले मानवीय हिचकिचाहट का प्रतीक है। कृष्ण उसे कर्तव्य और वैराग्य के माध्यम से भय पर विजय पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ।
- दुर्गा पूजा जैसे त्यौहार भय पर विजय का उत्सव मनाते हैं , जिसका प्रतीक देवी द्वारा राक्षस महिषासुर का वध है।

आर्थिक और विकासात्मक दृष्टिकोण:

- गरीबी, आजीविका की हानि या बाजार की अस्थिरता का डर अक्सर प्रतिक्रियावादी नीतियों , जमाखोरी या लोकलुभावनवाद को जन्म देता है।
- किसानों को फसल खराब होने का भय हो सकता है, जो उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करेगा - यह व्यक्तिगत कमजोरी का नहीं, बल्कि नीतिगत खामियों और आर्थिक असुरक्षा का दुखद परिणाम है।
- **स्टार्टअप इकोसिस्टम:** नवाचार तभी फलता-फूलता है जब असफलता का डर खत्म हो जाता है। मजबूत उद्यमशीलता संस्कृति वाले देशों में असफलता का डर कम होता है।

समकालीन उदाहरण:

- **जलवायु परिवर्तन:** ग्रह की रहने योग्य क्षमता खोने का डर पर्यावरणीय चिंता को बढ़ा रहा है, लेकिन यह स्थिरता आंदोलनों को भी प्रेरित कर रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता:** नौकरी छूटने, निगरानी और गलत सूचना के बढ़ते भय के परिणामस्वरूप प्रतिक्रियावादी विनियमन या तकनीकी-संदेह हो सकता है, जब तक कि संतुलित शासन के साथ इसका समाधान नहीं किया जाता।
- **आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा:** 9/11 के बाद वैश्विक भय के कारण निगरानी, नस्लीय भेदभाव और नागरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ।
- **सोशल मीडिया:** छूट जाने का डर (FOMO), निर्णय का डर, और साइबर धमकी प्रत्यक्ष शत्रुता से कहीं अधिक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष:

भय गुलाम बनाता है, साहस मुक्त करता है। शांति और न्याय का सच्चा मार्ग सहानुभूति, नैतिक स्पष्टता और साहसी नेतृत्व के माध्यम से भय पर विजय पाने में निहित है। जैसा कि उपनिषद हमें याद दिलाते हैं "अभयं वै जनक प्राप्नोति" - जो निडर हो जाता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है।

प्रश्न : वह सरकार श्रेष्ठ होती है, जो कम-से-कम शासन करती है।

प्रश्न : नेता वह होता है जो लोगो में उम्मीदें जगा सकता है।

निबंध विषय:

(a) वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करती है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिए उद्धरण:

- "वह सरकार सबसे अच्छी है, जो कम से कम शासन करती है।" हेनरी डेविड थोरो
- न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन: भारतीय कहावत
- "सरकार, अपनी सबसे अच्छी स्थिति में भी, एक आवश्यक बुराई है; अपनी सबसे खराब स्थिति में, एक असहनीय बुराई है।" थॉमस पेन

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **शासन की प्रकृति:**
  - वाक्यांश "वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करती है" शासन के न्यूनतम दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां राज्य बुनियादी कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करता है लेकिन अपने नागरिकों के जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप से बचता है।
  - शास्त्रीय उदारवाद: रात्रि-प्रहरी राज्य के विचार का समर्थन करता है , जहां सरकार की भूमिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने तक सीमित होती है।
  - स्वतंत्रतावादी विचार : स्वतंत्रतावादी विचार मुक्त बाजार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यूनतम राज्य विनियमन की वकालत करता है , विशेष रूप से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ढांचे के भीतर, जो दक्षता, अर्थव्यवस्था और प्रभावशीलता पर जोर देता है।
  - अग्रणी अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायेक ने तर्क दिया कि राज्य का बहुत अधिक हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है, जिसके परिणामस्वरूप अकुशल बाजार और अर्थव्यवस्थाएं बनती हैं।
  - अराजकतावाद : कुछ राजनीतिक विचारधाराएं, जैसे कि अराजकतावाद, इस विचार को और आगे ले जाती हैं, तथा तर्क देती हैं कि राज्य स्वाभाविक रूप से दमनकारी और अन्यायपूर्ण है , तथा इसकी भूमिका को कम किया जाना चाहिए या पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- **भारतीय दर्शन:**
  - भारतीय संविधान विकेन्द्रित सरकार के विचार के साथ राज्य के हस्तक्षेप और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक नाजुक संतुलन प्रदान करता है।
  - "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" की अवधारणा एक ऐसे शासन मॉडल को संदर्भित करती है, जहां हस्तक्षेप के संदर्भ में सरकार की भूमिका सीमित होती है, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार सेवाएं प्रदान करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में अत्यधिक प्रभावी हो।
  - स्वराज (स्व-शासन): गांधीजी का आदर्श राज्य स्वराज या स्व-शासन के विचार पर आधारित था , जहां सत्ता विकेन्द्रित होती है और स्थानीय स्तर पर मौजूद होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उन्होंने एक ग्राम गणतंत्र मॉडल की कल्पना की, जहां समाज की सबसे छोटी इकाइयां अपने लोगों द्वारा शासित होंगी।
- गांधीजी के अनुसार , सच्चा स्वशासन तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों का अपने जीवन और स्थानीय शासन पर नियंत्रण हो, तथा वे केंद्रीय सरकार की दबावपूर्ण शक्ति से मुक्त हों।

ऐतिहासिक एवं नीतिगत उदाहरण:

- स्वतंत्र पार्टी (1959-1974) : सी. राजगोपालाचारी द्वारा स्थापित इस पार्टी ने आर्थिक स्वतंत्रता और व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में सीमित सरकारी हस्तक्षेप की वकालत की।
- आर्थिक उदारीकरण (1991) : पी.वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के तहत उदारीकरण सुधारों का ध्यान बाजारों पर राज्य के नियंत्रण को कम करने, निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने और अनावश्यक नौकरशाही नियंत्रण को कम करने पर केंद्रित था।

समकालीन उदाहरण :

- **पर्यावरण विनियमन :** जलवायु परिवर्तन विनियमन पर बहस सार्वजनिक भलाई (जैसे, पर्यावरण संरक्षण) के लिए शासन करने और अत्यधिक नियामक ढांचे के बीच तनाव को प्रदर्शित करती है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकता है या आर्थिक विकास में बाधा डाल सकता है।
- न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन; डिजिटल शासन (ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया), लालफीताशाही को कम करना और व्यापार करने में आसानी, कल्याण वितरण में बिचौलियों और रिसाव को खत्म करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)।
- **स्टार्टअप इंडिया और एमएसएमई सुधार:** सरलीकृत अनुपालन, श्रम कानूनों में स्व-प्रमाणन और कर प्रोत्साहन। उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम हस्तक्षेप को दर्शाता है।
- **निजीकरण और विनिवेश नीति:** गैर-रणनीतिक क्षेत्रों (जैसे, एयर इंडिया की बिक्री, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण) में राज्य की भूमिका को कम करने के लिए चल रहे प्रयास । नौकरशाही पर बाजार की प्रतिस्पर्धा और दक्षता को प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष:

"वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है" का विचार न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप और अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करता है । यह सुझाव देता है कि अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे नागरिकों के जीवन पर अनावश्यक नियंत्रण से बचना चाहिए।

(b) नेता वह होता है जो लोगो में उम्मीदें जगा सकता है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिए उद्धरण:

- "एक नेता आशा का व्यापारी होता है।" नेपोलियन बोनापार्ट
- "प्रजा सुखे सुखं राज्य: प्रजानाम च हिते हितम्" (प्रजा का सुख राजा का सुख होना चाहिए। प्रजा का कल्याण ही राजा का कल्याण है)। चाणक्य नीति
- "भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बनाना।" अब्राहम लिंकन

दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आयाम:

- नेतृत्व की प्रकृति: नेतृत्व का अर्थ केवल अधिकार या निर्णय लेना नहीं है , बल्कि आशा की प्रेरणा देना , प्रतिकूल परिस्थितियों में लोगों का मार्गदर्शन करना और बेहतर भविष्य की परिकल्पना करना है।
- एक नेता अनिश्चितता के समय में भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाकर लोगों में आत्मविश्वास पैदा करता है, इस प्रकार वह "आशा के विक्रेता" के रूप में कार्य करता है।
- मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि: अब्राहम मास्लो के ***आवश्यकता पदानुक्रम*** के अनुसार , आत्म-साक्षात्कार, या व्यक्तिगत क्षमता की प्राप्ति, व्यक्तियों की अंतिम आवश्यकता है।
- एक नेता, आशा के माध्यम से , व्यक्तियों को उद्देश्य, प्रेरणा और दिशा की भावना प्रदान करके उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाता है।
- भारतीय दर्शन : नेतृत्व को अक्सर धर्म के सिद्धांत से जोड़ा जाता है , जिसमें धार्मिकता के साथ कार्य करना और अपने कार्यों के माध्यम से एक उदाहरण स्थापित करना शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- भगवद्गीता: *" यद् यद् आचारति श्रेष्ठस तत् तद् एवेतरो जनः,* महान व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है , सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वह जो भी मानक स्थापित करता है, दुनिया उसका अनुसरण करती है।
  - यह दर्शाता है कि कैसे एक सच्चा नेता दूसरों को प्रेरित करता है और उनका उत्थान करता है, तथा उदाहरण के माध्यम से आशा की किरण बनता है।
- भगवद्गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य निभाने का आग्रह करते हुए आशा और कर्म के महत्व को दर्शाया है, तथा विश्वास के माध्यम से आशा पर बल दिया है।
- शिवाजी महाराज: दक्कन में मुगल प्रभुत्व और राजनीतिक अराजकता का सामना किया। हिंदवी स्वराज्य (स्व-शासन) की स्थापना करके मराठों और आम लोगों को आशा प्रदान की।
- किसानों और योद्धाओं को एकजुट करके एक मजबूत, न्यायपूर्ण और लचीला राज्य बनाया।

ऐतिहासिक एवं नीतिगत उदाहरण:

- महात्मा गांधी का नेतृत्व : भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधीजी के नेतृत्व की विशेषता यह थी कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी जनता में आशा का संचार करने में सक्षम थे।
- ***भारत छोड़ो आंदोलन*** के दौरान उनका नारा ***"करो या मरो"*** इस बात का उदाहरण था कि कैसे आशा लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकती है।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर: उत्पीड़ित समुदायों को गहरे भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा की वकालत की और संविधान लिखा। हाशिए पर पड़े समुदायों को नए भारत में सम्मान और समानता की उम्मीद दी।
- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम: एक समय था जब भारत अभी भी विज्ञान और वैश्विक स्तर पर उभर रहा था।
  - "विकसित भारत 2020" के अपने विजन के माध्यम से , उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। वे आशा और प्रगति के प्रतीक बन गए, खासकर छात्रों और वैज्ञानिकों के बीच।
- विंस्टन चर्चिल : द्वितीय विश्व युद्ध में, चर्चिल के भाषणों ने ब्रिटिश जनता को प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, "हम कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।" सबसे बुरे समय में आशा का संचार करने की उनकी क्षमता ब्रिटेन के लचीलेपन की कुंजी थी।

निष्कर्ष:

नेतृत्व का मतलब जितना विश्वास जगाना है, उतना ही मुश्किल फैसले लेना भी है। जबकि अधिकार और नियंत्रण नेतृत्व का हिस्सा हैं, यह आशा , दिशा और प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता है जो वास्तव में परिवर्तनकारी नेतृत्व को परिभाषित करती है।

प्रश्न : "बुराई के साथ असहयोग करना, अच्छाई के साथ सहयोग करने से अधिक आवश्यक कर्त्तव्य है।"

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिए उद्धरण:

- "बुराई के साथ असहयोग करना भी उतना ही बड़ा कर्तव्य है जितना अच्छाई के साथ सहयोग करना" - महात्मा गांधी
- "बुराई की जीत के लिये केवल इतना ही काफी है कि अच्छे लोग कुछ न करें।" - एडमंड बर्क
- "कहीं भी हो रहा अन्याय, हर जगह न्याय के लिये खतरा है।" - मार्टिन लूथर किंग जूनियर

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- नैतिक उत्तरदायित्व: अच्छाई के साथ सहयोग का तात्पर्य है—न्याय और धर्म की सक्रिय स्थापना में भागीदारी, जबकि बुराई के साथ असहयोग का अर्थ है—अनैतिकता और अन्याय का प्रतिरोध करना। ये दोनों ही कार्य एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिये अनिवार्य नैतिक दायित्व हैं।
- गांधीवादी 'सत्याग्रह' का दर्शन: महात्मा गांधी का 'असहयोग' केवल निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं था, बल्कि यह एक नैतिक संकल्प था। यह सत्य (Truth) और अहिंसा (Non-violence) के सिद्धांतों पर आधारित था, जो इस बात पर बल देता था कि अन्यायपूर्ण कानूनों या व्यवस्थाओं का पालन करने से इनकार करना अर्थात् असहयोग एक शक्तिशाली नैतिक रुख है, जिसमें सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा की जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- कांट का नैतिक दर्शन: इमैनुएल कांट के 'श्रेणीबद्ध अनिवार्यता' (Categorical Imperative) के अनुसार, व्यक्ति को ऐसे नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिये जो सार्वभौमिक रूप से लागू किये जा सकें। इस दृष्टिकोण से यदि कोई व्यक्ति बुराई का समर्थन करता है, तो वह उस अनैतिकता को सार्वभौमिक बना देता है, जो नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है।
- सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत: सामाजिक अनुबंध का तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक का यह उत्तरदायित्व है कि वह सामाजिक भलाई (Common Good) की रक्षा करे। इसमें अन्याय और बुराई का प्रतिरोध— चाहे वह सक्रिय हो या निष्क्रिय (असहयोग के माध्यम से) शामिल है।
- धार्मिक दृष्टिकोण: बौद्ध धर्म जैसी कई धार्मिक परंपराएँ यह सिखाती हैं कि व्यक्ति का नैतिक कर्त्तव्य है कि वह बुराई का त्याग करे और सदाचार का समर्थन करे। यह दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत अंतरात्मा की बात नहीं करता, बल्कि सामाजिक नैतिकता की सामूहिक चेतना को भी रेखांकित करता है।
  - उदाहरण के लिये बुद्ध ने 'कुशल' (सद्कर्म) और 'अकुशल' (दुष्कर्म) कर्मों के सिद्धांत का उपदेश दिया और अनुयायियों को 'सम्यक वाणी', 'सम्यक कर्म' तथा 'सम्यक आजीविका' जो आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंग हैं, के विकास हेतु प्रेरित किया।

ऐतिहासिक एवं नीतिगत उदाहरण:

- भारत का स्वतंत्रता संग्राम: महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन (वर्ष 1920-22) औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जन-सहभागिता से पूर्ण असहयोग का एक अग्रणी उदाहरण था। यह इस सिद्धांत पर आधारित था कि अन्याय और अत्याचार से असहयोग करना, उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि न्याय और स्वतंत्रता से सहयोग करना।
- अमेरिका का सिविल राइट्स आंदोलन: अफ्रीकी-अमेरिकियों द्वारा भेदभावपूर्ण कानूनों के विरुद्ध केवल बहिष्कार और धरना प्रदर्शन जैसे कदम उठाना, समान अधिकारों के लिये उनकी सक्रिय मांग के समान ही महत्त्वपूर्ण था।
  - डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा प्रेरित और नेतृत्व किये गए प्रतिरोध के इन अहिंसक कृत्यों ने आंदोलन की नैतिक शक्ति को मूर्त रूप दिया।

समकालीन उदाहरण:

- राजनयिक असहयोग: पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन दिये जाने के विरोध में भारत ने एक दशक तक SAARC शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर राजनयिक स्तर पर असहयोग का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया।
- नैतिक असहयोग और व्हिसलब्लोअर: अशोक खेमका जैसे व्यक्तियों ने सरकारी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े होकर यह दर्शाया कि अनैतिक कार्यों से असहयोग करना समाज में नैतिकता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य है।
- बहिष्कार आंदोलन: अनैतिक कार्यों (पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना, मानवाधिकारों का उल्लंघन) में लिप्त कंपनियों का बहिष्कार बुराई के साथ सामूहिक स्तर पर अनैतिकता से असहयोग को प्रदर्शित करता है।
- सोशल मीडिया सक्रियता: ***#MeToo*** जैसे अभियान जहाँ यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, वहीं ***Black Lives Matter*** आंदोलन शोषणकारी व्यवस्थाओं से असहयोग का आह्वान करता है।

निष्कर्ष:

सकारात्मक कार्यों में सहयोग जितना आवश्यक है, अन्याय और अनैतिकता से असहयोग भी उतना ही अपरिहार्य है। जैसा कि गांधीजी ने कहा था — *"अन्याय के समक्ष मौन रहना या उसमें सहयोग करना, नैतिकता और मानवता के मूलभूत सिद्धांतों के साथ विश्वासघात है।"*

सद्भावना के साथ सक्रिय सहयोग और दृढ़ असहयोग के संतुलन से ही एक न्यायपूर्ण और करुणामय समाज की स्थापना संभव है।

प्रश्न : "दुनिया शिक्षित परित्यक्त लोगों से भरी पड़ी है।"

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- "मूल्यविहीन शिक्षा, चाहे जितनी उपयोगी क्यों न हो, मनुष्य को केवल एक चतुर शैतान बना देती है।" - सी.एस. लुईस
- "शिक्षा का उद्देश्य गहन विचार और समालोचनात्मक सोच को विकसित करना है। बुद्धिमत्ता के साथ चरित्र का समावेश ही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है।" - मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
- "ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अधिक लाभ देता है।" - बेंजामिन फ्रैंकलिन

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **शिक्षित परित्यक्त एवं विवेक की आवश्यकता:** ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ व्यक्ति ने औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त की है, परंतु नैतिक बोध, आलोचनात्मक चिंतन अथवा सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव उसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा समाज के लिये उपयोगी होने के बजाय हानिकर बन जाती है — यह 'शिक्षित भ्रांतता' (Educated Dereliction) की स्थिति है।
  - इसका कारण यह है कि शिक्षा केवल ज्ञान या कौशल प्राप्त करने तक सीमित रह जाती है, जबकि 'विवेक' उस ज्ञान का न्यायसंगत और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करता है।
    - शिक्षा के बावजूद 'विवेक' का अभाव भटकाव की ओर ले जाता है।
- **मानव पूंजी सिद्धांत की आलोचना:** मानव पूंजी सिद्धांत यह मानता है कि शिक्षा में निवेश से उत्पादकता और आर्थिक विकास बढ़ता है। किंतु जब शिक्षा केवल सूचनाओं की भरमार या डिग्री अर्जन तक सीमित रह जाए तथा उसमें मूल्यबोध, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या नैतिक प्रशिक्षण का अभाव हो, तब यह सिद्धांत अपूर्ण एवं हानिप्रद प्रतीत होता है। ऐसे में शिक्षित व्यक्ति नैतिक संकटों के समाधान हेतु तैयार नहीं होता और न ही वह समाज के प्रति कोई सार्थक योगदान दे पाता है।
- **शिक्षा-दर्शन (जॉन ड्यूई):** शिक्षा अनुभवात्मक और समग्र होनी चाहिए, जिसमें न केवल बुद्धि बल्कि सहानुभूति और नागरिक भावना को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। असफलता शिक्षित अवनति की ओर ले जाती है। जॉन ड्यूई के अनुसार शिक्षा एक अनुभवात्मक, समग्र और सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिये, जिसमें बौद्धिक विकास के साथ-साथ सहानुभूति, नागरिकता-बोध एवं नैतिकता का भी समावेश हो। यदि शिक्षा केवल अकादमिक सफलता या रोज़गारोन्मुखी बनकर रह जाए, तो वह 'शिक्षित भ्रांतों' का निर्माण करती है।
- **भारतीय दृष्टिकोण:** प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे *भगवद्गीता* और *उपनिषद* इस तथ्य पर बल देते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल 'अध्ययन' से नहीं, बल्कि आत्मबोध, कर्त्तव्यपालन और नैतिक जीवन से प्राप्त होता है। 'विद्या' तभी सार्थक है जब वह व्यक्ति के भीतर आत्मसंयम, धर्मबोध और लोककल्याण की भावना जागृत करे।
- **सुकरात की समालोचना:** सुकरात ने आत्म-ज्ञान और सद्गुण के बिना केवल तथ्यों के संचय की आलोचना की और चेतावनी देते हुए यह कहा था कि जब तक ज्ञान व्यक्ति को आत्मचिंतन एवं नैतिक उत्थान की ओर प्रेरित न करे, तब तक वह अधूरा और व्यर्थ है। शिक्षा का उद्देश्य 'केवल जानना' नहीं, बल्कि 'बेहतर मनुष्य बनना' होना चाहिये।
- **शिक्षित भ्रांतता के कारण:**
  - शिक्षा का व्यावसायीकरण: आज शिक्षा एक 'उद्योग' के रूप में बदल चुकी है, जहाँ रोज़गार प्राप्ति और अंक-संचय प्रमुख उद्देश्य बन चुके हैं। नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और समग्र विकास जैसे आयाम पाठ्यक्रम से बाहर होते जा रहे हैं। इस प्रवृत्ति से ऐसे स्नातक तैयार हो रहे हैं जिनके पास 'कौशल' तो है, परंतु 'संवेदनशीलता' या 'विवेक' नहीं।
  - वास्तविक समस्याओं से विच्छिन्नता: जब शिक्षा केवल सैद्धांतिक हो जाए और जीवन, समाज या पर्यावरण की समस्याओं से उसका कोई संबंध न हो, तब वह न केवल नीरस हो जाती है, बल्कि व्यक्ति को संवेदनशून्य भी बना देती है। शिक्षा को यदि केवल आर्थिक उन्नयन का साधन मान लिया जाए, तो उसका उद्देश्य आत्मविकास या लोकहित नहीं रह जाता।

ऐतिहासिक एवं नीतिगत उदाहरण:

- **भारत में औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था:** मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने ऐसे शिक्षित कर्मचारी और लिपिक तैयार किये जो समालोचनात्मक चिंतन या सामाजिक सुधार की क्षमता से वंचित थे। इस प्रणाली ने ऐसे 'शिक्षित परंतु दिशाहीन' वर्ग को जन्म दिया जो उपनिवेशवादी शासन का उपागम बन गया।
  - शिक्षा के तीव्र प्रसार के बावजूद यदि शिक्षाशास्त्र, नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित सुधार न किये जाएँ, तो ऐसे स्नातक उत्पन्न होते हैं जो सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में अक्षम होते हैं।
  - विश्व के अनेक ऐसे देश उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किये जा सकते हैं जहाँ साक्षरता दर तो उच्च है, परंतु नवाचार, सामाजिक प्रगति एवं नागरिक उत्तरदायित्व में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। इससे स्पष्ट होता है कि मात्र शिक्षा प्राप्त करना, प्रभावी और नैतिक नागरिकता की गारंटी नहीं है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **कॉर्पोरेट घोटाले:** धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के उदाहरण नैतिक आधारहीन शिक्षा को दर्शाते हैं। कई स्नातक बेरोज़गार या कम रोज़गार वाले रह जाते हैं, जो शिक्षा और बाज़ार या सामाजिक जरूरतों के बीच असंतुलन को उजागर करता है।
- **सोशल मीडिया पर गलत सूचना:** आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना का प्रसार कभी-कभी शिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है, जो समालोचनात्मक सोच की कमी को उजागर करता है।
  - कई देशों में ऐसे नेतृत्वकर्त्ता भी देखे जाते हैं जो शिक्षित तो हैं, परंतु नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट हैं।

निष्कर्ष:

शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियाँ प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसा विवेक विकसित करना होना चाहिये जो समाज के व्यापक हित में कार्य करे। जब तक शिक्षा प्रणाली नागरिकों एवं नेतृत्व को नैतिक, समावेशी और विवेकशील बनाने में सक्षम नहीं होती, तब तक किसी भी समाज की प्रगति अधूरी रहेगी। इसलिये शिक्षा और सामाजिक चेतना के बीच के अंतराल को दूर करना आज की एक नितांत आवश्यकता है।

प्रश्न : नेतृत्व का वास्तविक कार्य अनुयायियों का समूह बनाना नहीं, बल्कि अधिक नेतृत्वकर्त्ता तैयार करना है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- नेतृत्व का वास्तविक कार्य अनुयायियों का समूह बनाना नहीं, बल्कि अधिक नेतृत्वकर्त्ता तैयार करना है। - राल्फ नादेर
- "नेतृत्व किसी उपाधि या पदनाम के बारे में नहीं है। यह प्रभाव, प्रभावशीलता और प्रेरणा के बारे में है।" रॉबिन एस. शर्मा।
- "नेतृत्वकर्त्ता वह है जो रास्ता जानता है, रास्ता चलता है, और रास्ता दिखाता है।" जॉन सी. मैक्सवेल।
- "नेतृत्वकर्त्ता बनने से पहले, सफलता का मतलब है खुद को आगे बढ़ाना। जब आप नेतृत्वकर्त्ता बन जाते हैं, तो सफलता का मतलब है दूसरों को आगे बढ़ाना।" जॉन सी. मैक्सवेल

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **नेतृत्व की प्रकृति:** सच्चा नेतृत्व स्वायत्तता, विकास और समुत्थानशीलता को बढ़ावा देकर दूसरों को सशक्त बनाता है। व्यक्तियों को नेतृत्व करने के लिये प्रेरित करके, यह एक ***लहर जैसा प्रभाव*** उत्पन्न करता है जो दीर्घकालिक अनुकूलनशीलता और नवाचार सुनिश्चित करता है।
- **उत्तराधिकार और विरासत:** किसी नेता की अंतिम विरासत उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसके द्वारा पीछे छोड़े गए नेताओं और उसके दृष्टिकोण की निरंतरता से मापी जाती है।
  - प्रभावी नेता मार्गदर्शन करते हैं, ज़िम्मेदारी सौंपते हैं, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे अन्य लोग स्वामित्व लेने और नवप्रवर्तन करने में सक्षम होते हैं।
  - महान नेता अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर सख्ती से थोपने के बजाय उसे अपनाने और विस्तार देने के लिये दूसरों को प्रेरित करते हैं।
- **भारतीय दर्शन और नेतृत्व:** भगवद् गीता "धर्म" और "स्वधर्म" *की अवधारणा* सिखाती है, जहाँ नेताओं को दूसरों को अपने उद्देश्य और ज़िम्मेदारियों का एहसास कराने के लिये मार्गदर्शन करना चाहिये।
- **सुकराती पद्धति:** प्रश्न पूछने और संवाद को प्रोत्साहित करती है तथा दूसरों को अपने भीतर ज्ञान और नेतृत्व खोजने में मदद करती है।

ऐतिहासिक एवं नीतिगत उदाहरण:

- **अशोक महान:** चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अपने पूर्ववर्तियों से प्रेरित और उत्साहित होकर, अशोक कलिंग युद्ध के बाद एक क्रूर विजेता से एक दयालु और नैतिक नेतृत्वकर्त्ता में परिवर्तित हो गया।
- **गुरु नानक:** उन्होंने सेवा और समानता पर आधारित आत्म-साक्षात्कार और नेतृत्व पर ज़ोर दिया तथा अनुयायियों को आध्यात्मिक रूप से नेतृत्वकर्त्ता बनने के लिये प्रेरित किया।
- **महात्मा गांधी:** लाखों लोगों को अपने क्षेत्र में नेता बनने के लिये प्रेरित किया, स्वतंत्रता के लिये एक जन आंदोलन को बढ़ावा दिया जिससे मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे वैश्विक नेताओं को प्रभावित हुए।
- **स्वामी विवेकानंद:** भारतीय संस्कृति और मूल्यों में निहित युवा सशक्तीकरण और स्वतंत्र विचार को प्रोत्साहित किया। उनके मार्ग पर चलने वाले सुधारकों, स्वतंत्रता सेनानियों और आध्यात्मिक नेताओं को प्रेरित किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **शिक्षा और नेतृत्व विकास:** राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और राष्ट्रीय सेवा योजना (NASS) जैसी पहल युवाओं में नेतृत्व गुणों का पोषण करती हैं।
- **कॉर्पोरेट लीडरशिप मॉडल (CLM):** सफल संगठन कमांड-एंड-कंट्रोल संरचनाओं के बजाय नेतृत्व पाइपलाइन, सलाह और सशक्तीकरण को बढ़ावा देते हैं।
- **मिशन कर्मयोगी:** यह नियमित प्रशासनिक कार्यों से रणनीतिक नेतृत्व भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करके नेतृत्व विकास का समर्थन करता है। अधिकारियों को जटिल निर्णय लेने, नवाचार और सार्वजनिक नेतृत्व के लिये तैयार करता है।
- **समकालीन उदाहरण:**
  - डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम: विक्रम साराभाई जैसे नेताओं ने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे दूरदर्शी लोगों का समर्थन और मार्गदर्शन किया, जो बाद में स्वयं एक प्रेरक नेता के रूप में उभरे तथा शिक्षा और नवाचार के माध्यम से भविष्य के नेताओं को विकसित करने की विरासत को आगे बढ़ाया।
- **रतन टाटा:** भारत में नैतिक व्यावसायिक नेतृत्व को बढ़ावा देते हुए, टाटा समूह के भीतर भावी व्यावसायिक नेताओं को तैयार किया।
- उनकी नेतृत्व शैली को अक्सर ज़िम्मेदारी और नवाचार की संस्कृति विकसित करने का श्रेय दिया जाता है।
- **इंद्रा नूयी (पूर्व CEO, पेप्सिको):** उन्होंने नेतृत्व की अगली पीढ़ी तैयार करने पर ज़ोर दिया तथा महिलाओं व अल्पसंख्यकों के नेतृत्व की भूमिकाओं में प्रोत्साहित किया। वे मार्गदर्शन (मेंटोरशिप) और संगठन के भीतर दीर्घकालिक नेतृत्व विकास के लिये जानी जाती हैं।"
- **जैसिंडा अर्डर्न (न्यूज़ीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री):** समावेशी नेतृत्व का अभ्यास किया, युवाओं, महिलाओं और स्वदेशी समुदायों को आवाज दी।

निष्कर्ष:

वह नेतृत्व जो स्वयं को दोहराता है, दीर्घकालिक सफलता, नवाचार और सामाजिक प्रगति की आधारशिला होता है। जब नेता दूसरों को नेतृत्व करने के लिये सशक्त बनाते हैं, तो वे एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो उनके कार्यकाल से भी आगे तक जीवित रहती है तथा संगठनों व समाजों में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। सबसे महान नेता वे होते हैं जो दूसरों को अपने साथ शीर्ष पर लाने के लिये प्रेरित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि नेतृत्व की मशाल आगे बढ़ाई जाए, न कि जमा की जाए।

प्रश्न : स्वतंत्रता, स्वयं के प्रति उत्तरदायी होने की ही इच्छाशक्ति है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- "स्वतंत्रता स्वयं के प्रति उत्तरदायी होने की इच्छा है।" फ्रेडरिक नीत्शे
- "स्वतंत्रता का अर्थ है ज़िम्मेदारी है, यही कारण है कि अधिकांश लोग इससे डरते हैं।" जॉर्ज बर्नार्ड शॉ
- "स्वतंत्रता की कीमत है सतत् सतर्कता।" थॉमस जेफरसन

दार्शनिक और सैद्धांतिक आयाम:

- **स्वतंत्रता की अवधारणा:** स्वतंत्रता केवल संयम का अभाव नहीं है, बल्कि ज़िम्मेदारी और नैतिक रूप से कार्य करने और परिणामों को स्वीकार करने का सचेत विकल्प है।
- **सामाजिक अनुबंध सिद्धांत:** समाज में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिये स्वतंत्रता को सामाजिक ज़िम्मेदारी के साथ संतुलित किया जाता है। ज़िम्मेदारी के बिना स्वतंत्रता अराजकता की ओर ले जाती है, उत्तरदायी स्वतंत्र लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करती है।
- **मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण:** उत्तरदायी या ज़िम्मेदार स्वतंत्रता स्वायत्तता, आत्म-नियमन और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है। ***सार्त्र का दर्शन*** इस बात पर ज़ोर देता है कि स्वतंत्रता में व्यक्ति के विकल्पों और कार्यों के लिये ज़िम्मेदारी शामिल है।
  - भगवद् ***गीता में मोक्ष*** *को* आत्म-अनुशासन और अपने धर्म के प्रति ज़िम्मेदारी के माध्यम से मुक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। कर्म योग परिणाम के प्रति आसक्ति के बिना ज़िम्मेदारी से कार्य करना सिखाता है।
- **गांधीवादी दृष्टिकोण:** गांधीजी स्वतंत्रता को स्वयं, समुदाय और मानवता के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के साधन के रूप में देखते थे। स्वशासन और अनुशासन सच्ची स्वतंत्रता के लिये आवश्यक शर्तें हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **कांटियन एथिक्स:** इमैनुअल कांट ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता स्वयं-लगाए गए नैतिक कानूनों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ज़िम्मेदारी स्वतंत्रता का सार है, क्योंकि यह नैतिक विकल्प को सक्षम बनाती है।
- **प्रामाणिकता:** सच्ची स्वतंत्रता स्वयं के प्रति सच्चा होना है, भले ही इसका अर्थ सामाजिक अपेक्षाओं या बाहरी दबावों का विरोध करना हो।
- **नैतिक एजेंसी:** स्वतंत्र इच्छा से तात्पर्य नैतिक ज़िम्मेदारी से है, हमारे विकल्प सार्थक हैं क्योंकि हम उनके लिये जवाबदेह हैं।

ऐतिहासिक एवं नीतिगत उदाहरण:

- **लोकतांत्रिक समाज:** लोकतंत्र का आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जो नागरिक ज़िम्मेदारी के साथ संतुलित है, उदाहरण के लिये, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हिंसा न भड़काने के कर्त्तव्य के साथ जोड़ा गया है।
- दक्षिण अफ्रीका का सत्य और सुलह आयोग (TRC) इस विचार का उदाहरण है कि सच्ची स्वतंत्रता में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपने कार्यों की ज़िम्मेदारी लेना शामिल है।
  - TRC प्रक्रिया ने अपराधियों को अपने गलत कार्यों को स्वीकार करने और पीड़ितों को अपने अनुभव बताने के लिये प्रोत्साहित किया, जिससे जवाबदेही और नैतिक ज़िम्मेदारी को बढ़ावा मिला।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान कर्तव्यों के साथ-साथ मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है (अनुच्छेद 51A)।
- **RTI अधिनियम (भारत):** सूचना का अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाता है, लेकिन यह उनसे यह भी अपेक्षा करता है कि वे सूचना का उपयोग सार्वजनिक हित के लिये ज़िम्मेदारी से करें।
- **पर्यावरण संरक्षण:** संसाधनों के दोहन की स्वतंत्रता को भावी पीढ़ियों के प्रति ज़िम्मेदारी के साथ संतुलित किया जाना चाहिये।

समकालीन उदाहरण:

- **सोशल मीडिया:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अक्सर ज़िम्मेदारी के बिना दुरुपयोग किया जाता है, जिससे गलत सूचना और ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है।
- **उद्यमिता:** जो समाज विफलता को कलंकमुक्त करते हैं, वे नवाचार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता हितधारकों और समाज के प्रति ज़िम्मेदारी के साथ आती है।

निष्कर्ष:

स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति स्वयं, दूसरों और समाज के प्रति उत्तरदायी होती है। सच्ची स्वतंत्रता कोई लाइसेंस नहीं है, बल्कि ईमानदारी, आत्म-नियंत्रण और कर्त्तव्य की भावना के साथ कार्य करने की इच्छा है। जब व्यक्ति ज़िम्मेदारी स्वीकार करता है तभी स्वतंत्रता न्याय, सद्भाव और प्रगति में योगदान देती है।

प्रश्न : न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वोपरि मूल्य है।

- *"न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है।"* — जॉन रॉल्स
- *"न्याय का गुण संयम में निहित होता है, जो बुद्धिमत्ता से नियंत्रित किया जाता है।"* — अरस्तू
- *"कहीं भी होने वाला अन्याय, हर जगह न्याय के लिये खतरा है।"* — मार्टिन लूथर किंग जूनियर
- *"प्रेम से दिया गया न्याय आत्म-समर्पण है, जबकि विधि द्वारा किया गया न्याय दंड है।"* — महात्मा गांधी

न्याय के दार्शनिक और सैद्धांतिक आयाम

- न्याय का स्वरूप: न्याय का आशय समाज में लाभों और भारों के समान वितरण से है। प्लेटो से लेकर रॉल्स तक, न्याय के सिद्धांत आवश्यकता, अधिकारों और योगदान के आधार पर समान व्यवहार को महत्त्व देते हैं।
  - रॉल्स का सिद्धांत दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है—सभी के लिये समान मौलिक स्वतंत्रताएँ और ऐसी असमानताएँ जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के हित में व्यवस्थित हों। यह समान परिणाम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये समान अवसर सुनिश्चित करता है।
- सामाजिक अनुबंध सिद्धांत: जैसा कि लॉक और रूसो जैसे राजनीतिक दार्शनिकों ने प्रतिपादित किया— न्याय, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का अभिन्न हिस्सा है। इस सिद्धांत में व्यक्तियों को कुछ स्वतंत्रताओं को राज्य की सुरक्षा के बदले त्याग करना पड़ता है।
  - सामाजिक संस्थाओं का यह कर्त्तव्य है कि वे इस अनुबंध का पालन करते हुए न्याय सुनिश्चित करें; इसमें विफल रहने पर उनकी वैधता पर प्रश्न उठता है तथा सामाजिक अशांति का जोखिम उत्पन्न होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- भगवद् गीता: भारतीय दर्शन के संदर्भ में, न्याय 'धर्म' या धार्मिक मार्ग की अवधारणा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।
  - भगवद्गीता में व्यक्ति के स्वधर्म (व्यक्तिगत कर्त्तव्य) का पालन करने के कर्त्तव्य की बात कही गई है और ऐसा करके वह समाज के सामूहिक न्याय में योगदान देता है।
    - इसलिये, भारतीय दर्शन में न्याय का तात्पर्य केवल व्यक्तिगत अधिकारों से नहीं है, बल्कि व्यापक समुदाय के कल्याण में योगदान से भी है।
- भारतीय संविधान, जो अपनी प्रस्तावना में न्याय को एक मुख्य मूल्य के रूप में स्थापित करता है, का उद्देश्य अपने सभी नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है।
  - अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) जैसे अनुच्छेद न्याय के लिये एक मज़बूत कार्यढाँचा प्रदान करते हैं।
- न्याय की बौद्ध अवधारणा: बौद्ध दर्शन में न्याय केवल विधि या कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सम्यक आचरण, सम्यक आजीविका और मानवीय संबंधों में निष्पक्षता से जुड़ा है।
  - 'करुणा' की संकल्पना एक ऐसी न्याय प्रणाली की ओर संकेत करती है जो सहानुभूति और निष्पक्षता पर आधारित हो और जिसका अंतिम उद्देश्य दु:खों की समाप्ति हो।
- न्याय का गांधीवादी दर्शन: महात्मा गांधी की न्याय की धारणा सत्य और समानता में गहराई से निहित थी। उन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जहाँ व्यक्ति एक-दूसरे के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करें और राज्य निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करे।

सामाजिक संस्थाओं में न्याय का महत्त्व

- न्यायपालिका की भूमिका: न्यायपालिका को समाज में प्राय: न्याय की संरक्षक माना जाता है। लोकतांत्रिक देशों में न्यायालय इस बात की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि देश के कानून न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हों।
- शिक्षा प्रणाली की भूमिका: शिक्षा एक प्रमुख सामाजिक संस्था है जो न्याय के सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। यह ज्ञान और व्यक्तिगत विकास के लिये समान अवसर सुनिश्चित करती है।
- पुलिस तथा विधि प्रवर्तन की भूमिका: विधि प्रवर्तन ऐसी संस्था है जो विधि (कानून) और व्यवस्था बनाए रखकर न्याय को सुदृढ़ करती है। हालाँकि, न्याय की स्थापना तभी संभव है जब विधि प्रवर्तन निष्पक्ष ढंग से, किसी भी समूह के प्रति पक्षपात के बिना कार्य करे।
  - पुलिस और समाज के बीच संबंध आपसी विश्वास, सम्मान तथा निष्पक्षता पर आधारित होने चाहिये।

न्याय के ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरण

- ऐतिहासिक न्यायिक हस्तक्षेप: भारत में न्याय की खोज़ को ऐतिहासिक न्यायिक हस्तक्षेपों और प्रगतिशील विधानों ने आकार दिया है, जो आज भी निष्पक्षता एवं समानता के सिद्धांतों को बनाए रखने तथा इसे विस्तारित करने का कार्य कर रहे हैं।
  - केशवानंद भारती केस (वर्ष 1973) ने 'मूल संरचना सिद्धांत' स्थापित किया, जिससे संविधान के मूल मूल्यों, जिनमें न्याय भी शामिल है, को संसदीय संशोधनों से संरक्षित किया गया।
  - विशाखा दिशानिर्देश (वर्ष 1997) ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु एक रूपरेखा प्रदान की, जिससे लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिला।
  - शिक्षा का अधिकार अधिनियम (वर्ष 2009) 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, जिससे समान शैक्षणिक अवसरों के माध्यम से सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाया गया।
- सामाजिक न्याय आंदोलन: डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसी हस्तियों के नेतृत्व में दलित अधिकार आंदोलन, इस आंदोलन ने अस्पृश्यता और जाति-आधारित भेदभाव के उन्मूलन के लिये लड़ाई लड़ी, जिसके परिणामस्वरूप सीमांत समुदायों के लिये न्याय के उद्देश्य से संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई एवं सामाजिक सुधार हुए।
  - महिला आरक्षण अधिनियम इस बात का प्रतीक है कि राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिये विधायिकाओं

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

न्याय सुनिश्चित करने वाली समकालीन कल्याणकारी योजनाएँ:

- आयुष्मान भारत योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना: PM-JAY): यह योजना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है, जिससे वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित कर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को बढ़ावा मिलता है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009: यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करना तथा सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को कम करना है।
- वन नेशन वन राशन कार्ड योजना: यह योजना विशेषकर प्रवासी श्रमिकों एवं हाशिये के समुदायों के लिये खाद्य सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है। यह उन्हें देश के किसी भी भाग में रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाती है और प्रवास के कारण होने वाले अपवर्जन को रोकती है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019: यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता, भेदभाव से सुरक्षा तथा कल्याणकारी उपाय प्रदान करता है, जिससे इस वंचित समुदाय के लिये सामाजिक न्याय एवं समानता को सशक्त किया जाता है।
- अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006: यह अधिनियम जनजातीय समुदायों को भूमि अधिकार लौटाकर उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय की पूर्ति करता है तथा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता है।

वैश्विक उदाहरण:

- सत्य और सुलह आयोग (दक्षिण अफ्रीका): यह तंत्र रंगभेदी शासन के बाद स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य अतीत के अन्यायों का समाधान करना तथा सुधारात्मक न्याय के माध्यम से राष्ट्रीय पुनरुत्थान को बढ़ावा देना था।
- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (वर्ष 1948): यह उद्घोषणा न्याय, समानता और मानव गरिमा के वैश्विक मानकों को स्थापित करती है तथा विश्वभर के संवैधानिक ढाँचों को प्रभावित करती है।

निष्कर्ष:

न्याय, सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है, जो किसी भी समाज के कामकाज़ और धारणीयता के लिये आवश्यक है। न्याय के अभाव में सामाजिक संस्थाएँ अपनी वैधता खो देती हैं और सामाजिक व्यवस्था बाधित हो जाती है। जब न्याय को सामाजिक संस्थाओं के केंद्र में स्थापित किया जाता है, तब समाज धारणीयता, समरसता और प्रगति सुनिश्चित करते हैं।

प्रश्न : "स्वतंत्रता, आवश्यकता की स्वीकृति है।"

- *"स्वतंत्रता का अर्थ है अपने प्रति उत्तरदायी होने की इच्छा।"* — फ्रेडरिक नीत्शे
- *"स्वतंत्रता का अर्थ है जिम्मेदारी; इसी कारण प्रायः अधिकांश लोग इससे भयभीत रहते हैं।"* — जॉर्ज बर्नार्ड शॉ
- *"स्वतंत्रता इच्छा की स्वायत्तता है, जो स्वयं पर आरोपित नैतिक नियमों के अधीन होती है।"* — इमैनुएल कांट

स्वतंत्रता के दार्शनिक और सैद्धांतिक आयाम

- स्वतंत्रता और जिम्मेदारी: सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों या प्रतिबंधों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा को उत्तरदायित्व की भावना के साथ प्रयोग करना है।
  - इस अर्थ में स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसे कार्यों के चयन से है जो नैतिक हों तथा उन चुनावों के परिणामों को स्वीकार करना भी आवश्यक हो।
  - इमैनुएल कांट ने भी यह तर्क दिया कि वास्तविक स्वतंत्रता स्व-प्रणीत नैतिक नियमों के दायरे में होती है, जहाँ व्यक्ति अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी होता है।
- अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से स्वतंत्रता: मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वतंत्रता व्यक्तिगत विकास और स्व-नियमन से निकटता से जुड़ी है।
  - अस्तित्ववादी दर्शन का तर्क है स्वतंत्रता में अपने चुनावों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करना शामिल है तथा यह स्वीकार

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

करना भी शामिल है कि स्वतंत्रता मुक्तिदायक भी है और बोझिल भी।
- स्वतंत्रता के प्रयोग के लिये विश्व को प्रभावित करने की अपनी क्षमता को समझना आवश्यक है, साथ ही व्यक्तिगत शक्ति की सीमाओं को स्वीकार करना भी आवश्यक है।

- गीता की स्वतंत्रता की अवधारणा: भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि स्वतंत्रता अपने कर्त्तव्य से भागने में नहीं बल्कि अपने धर्म (नैतिक आवश्यकताओं) को समझने और उन्हें स्वीकार करने में निहित है।
  - अर्जुन की दुविधा संकट के क्षण का प्रतिनिधित्व करती है, और कृष्ण का मार्गदर्शन यह सुझाता है कि सच्ची मुक्ति (मोक्ष) व्यक्ति की भूमिका और सार्वभौमिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने से उत्पन्न होती है, न कि उत्तरदायित्व से बचने से।
- अद्वैत वेदांत: आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता (मोक्ष) भौतिक इच्छाओं में लिप्त होने से नहीं, बल्कि भ्रम (माया) को पहचानने और वैराग्य एवं आत्म-ज्ञान की आवश्यकता को समझने से मिलती है।
- गांधीजी का स्वतंत्रता दर्शन: गांधीजी के लिये, सच्ची स्वतंत्रता अपने धर्म (कर्त्तव्य) के अनुसार कार्य करने की क्षमता थी, जो आत्म-अनुशासन और जिम्मेदारी में निहित थी।
  - स्वराज की उनकी अवधारणा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि यह भी था कि व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बने और राष्ट्र के नैतिक एवं सामाजिक विकास में योगदान करे।
  - उन्होंने माना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल उन्हीं जिम्मेदार कार्यों के माध्यम से संभव है जो समाज के कल्याण में सहायक हों।
- लोकतंत्र में स्वतंत्रता की भूमिका: लोकतंत्र का संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति उत्तरदायी चुनावों की आवश्यकता को समझें जो सामाजिक सद्भाव का समर्थन करें।
  - एक वास्तविक स्वतंत्र समाज व्यक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, परंतु यह स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ प्रयोग की जानी चाहिये ताकि दूसरों के अधिकारों का सम्मान हो।
- पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरणीय संरक्षण जिम्मेदार स्वतंत्रता का एक महत्त्वपूर्ण रूप है, क्योंकि संसाधनों का अंधाधुंध शोषण दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन को कमज़ोर करता है।

स्वतंत्रता पर ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरण

- सामाजिक सुधार: 19वीं सदी के प्रारंभ में, भारतीय समाज सती प्रथा, बाल विवाह कठोर जाति व्यवस्था जैसे रूढ़िवादी प्रथाओं से गहराई से बंधा हुआ था। राजा राम मोहन राय ने समझा कि भारतीय समाज के लिये वास्तविक स्वतंत्रता सुधार में निहित है, जो परंपरा के विरुद्ध विद्रोह नहीं बल्कि उसकी सावधानीपूर्वक पुनर्व्याख्या है।
  - डॉ. बी.आर. अंबेडकर और संविधान ने यह माना कि कानूनी-राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है जब तक सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिबंधों को दूर न किया जाये।
    - उनका संविधान निर्माण भारत की ऐतिहासिक आवश्यकताओं (जाति, पदानुक्रम, उत्पीड़न) की समझ पर आधारित था और स्वतंत्रता को उसी के अनुसार अभिकल्पित किया गया।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: लोकतांत्रिक समाजों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है (अनुच्छेद 19), तथापि यह स्वतंत्रता दूसरों को हानि न पहुँचाने की जिम्मेदारी के साथ आती है, जैसा कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाई गई सीमाओं से स्पष्ट होता है।
  - इस संदर्भ में आवश्यकता की स्वीकृति का अर्थ यह स्वीकार करना है कि स्वतंत्रता के प्रयोग से दूसरों के अधिकारों और सम्मान का उल्लंघन न हो।
- सूचना का अधिकार (RTI) आंदोलन: संस्थागत जवाबदेही की आवश्यकता को समझते हुए, नागरिकों ने लोकतांत्रिक उपायों (याचिका, सुनवाई, विधिक संरचना) का उपयोग कर आंदोलन किया जिससे RTI अधिनियम, 2005 अस्तित्व में आया।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO): सीमित बजट और तकनीकी बाधाओं के कारण, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गंभीर संसाधन सीमाओं के तहत संचालित करना पड़ा। ISRO ने कम लागत और उच्च दक्षता के नवाचार की आवश्यकता को स्वीकार किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- मंगलयान (मंगल ऑर्बिटर मिशन) जैसे मिशन सफल रहे क्योंकि बाधाओं को स्वीकार किया गया और उन्हें डिजाइन सिद्धांतों में शामिल किया गया।

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): उद्यमी नवाचार और जोखिम लेने के माध्यम से स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं।
  - हालाँकि, इस स्वतंत्रता के साथ यह जिम्मेदारी भी आती है कि उनके कार्य समाज को हानि न पहुँचाएँ। उद्यमियों को अपने उत्पादों और सेवाओं के सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों का विचार करना आवश्यक है, जैसा कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवसायों एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के उदय से स्पष्ट होता है।

निष्कर्ष

जब स्वतंत्रता को संरचनात्मक, ऐतिहासिक या संस्थागत आवश्यकताओं की समझ के साथ जोड़ा जाता है, तो वह सार्थक, धारणीय एवं नैतिक बनती है। सामाजिक सुधार हो, संवैधानिक रचना हो, जनतांत्रिक सक्रियता हो या वैज्ञानिक नवाचार, भारतीय इतिहास एवं समकालीन अनुभव इस गहन दार्शनिक सत्य को समृद्ध रूप से प्रदर्शित करते हैं।

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME